पंचम माला, खंड 42, अंक 17, मंगलवार, 13 अगस्त, 1974/22 श्रावण, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLII, No. 17, Tuesday, August 13, 1974/Sravana 22, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंड 42 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची CONTENTS

अंक 17, मंगलवार, 13 अगस्त, 1974/22 श्रावण, 1896 (शक्)

No. 17, Tuesday, August13 , 1974/Sravana 22, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
325.	रेल कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक नीति	Vindictive Policy against Railwaymen	1—4
326.	तेल नीति का पुनर्निर्धारण	Reorientation of Oil Strategy	4—6
328.	कालटैक्स का सरकारीकरण	Take Over of Caltex	6—9
329.	रायपुर से नागपुर होकर भोपाल तथा दिल्ली के लिए सीधी और तेज गति से चलने वाली गाड़ी की मांग	Demand for Direct and Fast Train from Raipur to Bhopal and Delhi via Nagpur	9—10
330.	पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के निर्माण को प्राथमिकता देना	Priority for Construction of Railway Lines in Hilly and Backward Areas	10—12

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

327.	भारतीय रेलवे के लोको कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना	Pension Scheme for Loco Staff of Indian Railways	12—15
331.	गत दो वर्षों में पेरुंगुजी हाल्ट से लाभ	Earnings from Perunguzhi Halt during the last two Years	15
332.	गत हड़ताल के पश्चात् रेल कर्मचारियों को राशन की सप्लाई	Supply of Ration to Railway Employees after last Strike	16
333.	रेल हड़ताल के दौरान रेलवे के टिकट-चैकिंग स्टाफ के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action against Railway Ticket Checking staff during Strike	16
334.	रेलवे बोर्ड की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Powers of Railway Board	17

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

398 LSS/74

ता०प्र०सं० S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
335.	निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के बारे में विधि सचिवों की बैठक	Meeting of Law Secretaries on Free Legal Aid to the Poor	17
336.	वफादार रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये तृतीय श्रेणी के पदों का आरक्षण	Reservation of Class III Posts for Wards of Loyal Railway Workers ..	17—18
337.	वैगन न मिलने के कारण गुजरात में पड़ा हुआ नमक	Salt Lying in Gujarat due to Non-Uvailability of Wagons	18
338.	चुनावों में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को कानून के माध्यम से रोकने का प्रस्ताव	Proposal to prevent Misuse of Official Machinery in Elections through Law	19
339.	बरौनी के निकट पैट्रो-केमिकल कारखाना खोलने की बिहार सरकार की योजना	Scheme of Bihar Government for setting up of a Petro-Chemical Factory near Barauni	19
340.	अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात	Import of Crude Oil and Petroleum Products	19—20
342.	ऐसे तेल क्षेत्रों में तेल की खोज जिनमें तेल का उत्पादन घट रहा है	Oil Exploration in Declining Fields	20
343.	पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में विदेशी सहयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत	Guidelines for Foreign Collaboration in Petro-Chemicals	20—21
344.	वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को भेजे गए विदेशी कम्पनियों के मामले	Cases of Foreign Companies referred to MRTP Commission during 1973-74 and 1974-75	21
अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos.			
2294.	रेल नेताओं की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को हुई हानि	Loss sustained by the National Economy as a result of Arrest of Railway Leaders	21—22
2295.	'बम्बई हाई' में नए कुओं की खुदाई	Fresh Drilling of Wells in Bombay High	22
2296.	केरल में रेल सुविधाएं	Railway Facilities in Kerala	22—23
2297.	राजधानी में राशन कार्डों पर साबुन का वितरण	Distribution of Soap under Rationing in Capital	23
2298.	ट्रांबे उर्वरक सयंत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for Trombay Fertiliser Plant	23—24

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2299.	कोयला ले जाने वाली विशेष माल गाड़ी का जमालपुर के निकट पटरी से उतर जाना	Derailment of Special Goods Train carrying Coal near Jamalpur ..	24
2300.	रेल कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई	Supply of Essential Commodities to Railway Employees	24
2301.	गंगा नदी में बाढ़ के कारण बरौनी तेल शोधक कारखाने की पाइप लाइनों को कटाव से खतरा	Danger of Erosoin to Pipelines of Baruani Oil Refinery due to Floods in Ganga	24
2302.	कम तथा अधिक घनत्व की पोलिथीलीन के निर्माता	Manufacture of Low Density and High Density Polythelene	25
2303.	ईंधन चालित कारखानों द्वारा बनाए गए उर्वरकों के मूल्य संबंधी समिति	Committee on Price for Fertilisers produced by Fuel Based Factories	25—26
2304.	तेल आदि के लिए खुदाई संबंधी परियोजनाओं पर व्यय	Expenditure on Drilling Projects ..	26—27
2305.	मद्रास-स्थित तेलशोधक कारखाने के विस्तार के लिए ईरान के साथ समझौता	Agreement with Iran for Expansion of Madras Refinery ..	27
2306.	बम्बई में कर्जत के निकट रेल दुर्घटना	Train Accident near Karjat in Bombay	27—28
2308.	दिल्ली के न्यायालयों में चल रहे मकानों के किराए संबंधी मुकद्दमें	House Rent Cases pending in Courts of Delhi	28
2309.	केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Coastal Areas of Kerala	28—29
2310.	केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण	Survey for Railway Lines in Coastal Areas of Kerala	29—30
2311.	केरल में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of Metre Gauge Lines into Broad Gauge in Kerala	31
2312.	भरवाई, गगरेट, मदौन ज्वालामुखी और प्रागपुर (हिमाचल प्रदेश) में आउट एजेंसियां पुन: खोलना	Reopening of Out Agencies at Bharwain, Gagret, Madaun, Jwalamukhi and Pragpur (Himachal Pradesh)	31
2313.	समस्तीपुर-दरभंगा लाइन को बड़ी लाइन (ब्राड गेज) में बदलना	Conversion of Samastipur-Darbhanga Line into Broad Gauge	31
2314.	समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना और झंझारपुर-लौकाहा नई लाईन का बिछाया जाना	Conversion of Samastipur-Darbhanga Metre Gauge Line into Broad Gauge and new Jhanjharpur Loukaha Line	32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2315.	विदेशी फर्मों को तट से दूर तेल की खोज के लिए ठेका दिया जाना	Contract for Offshore Exploration to Foreign Firms	32
2316.	पश्चिम रेलवे में गिरफ्तार किए गए कर्मचारी	Employees Arrested in Western Railway	33
2317.	मई, 1974 में पूर्वोत्तर रेलवे में बंद की गई गाड़ियां	Trains cancelled in North Eastern Railway in May, 1974 ..	33
2318.	पश्चिम रेलवे में सेवा से निकाले गए तथा निलंबित कर्मचारियों को फिर से सेवा में लिया जाना	Reinstatement of Dismissed and Suspended Employees on Western Railway	33
2319.	पश्चिम रेलवे में हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या	Employees participated in Strike on Western Railway	33—34
2321.	एस्सो के साथ हुए करार के पूरे पाठ का प्रकाशन	Publishing of Full Text of Agreement with ESSO	35
2322.	जी० एस० पी० सी० और आई० पी० सी० एल० के संयंत्रों में कैप्रोलेक्टम और डी० एम० टी० के उत्पादन में विलंब	Delay in Production of Caprolactum and D. M. T. at G. S. P. C. and I. P. C. L. Plants	34
2323.	अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात	Import of Crude Oil and Petroleum Products	34—35
2324.	आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोडा एश का उत्पादन	Production of Soda Ash to meet Requirements	35—36
2325.	तटवर्ती क्षेत्रों में पुन: खोज कार्य करने हेतु विदेशी तेल कंपनियों द्वारा मांगी गई अनुमति	Permission sought by Foreign Oil Campanies to re-explore the On-shore Areas	36
2326.	रेलवे हड़ताल के दौरान रद्द की गई गाड़ियां	Trains Suspended during Railway Strike	36
2327.	नायलोन यार्न के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना	Establishment of Additional Capacity for Nylon Yarn	37
2328.	अरुणाचल प्रदेश में तेल-भंडारों से तेल निकालना	Tapping Oil Reserve in Arunachal Pradesh	37
2330.	एल्लप्पी होते हुए कोचीन से कायम्गुलाम तक रेल लाइन बिछाने के लिए स्लीपर देने का केरल सरकार का प्रस्ताव	Kerala Government's Offer for Sleeper for Construction of Railway Line between Cochin and Kayamgulam via Alleppy	37
2331.	भारत में बहुराष्ट्रीय निगम की शाखाएं	Subsidiaries of Multi-national Corporation in India	38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2332.	रेल मंत्रालय द्वारा रेल कार्य करण के विभिन्न पहलुओं का सर्वेक्षण	Railway Ministry's Survey in different aspect of Railways functioning ..	38—39
2333.	रेलों में हड़ताल पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाया जाना	Extension of period of Moratorium on Strikes in Railways	39—40
2334.	दमनकारी उपायों के विरुद्ध दमन विरोध दिवस	Anti-victimisation Day against Repressive Measures	40
2335.	मरहरा रेलवे यार्ड, बरौनी जंकशन, तिलरथ, बरौनी फ्लैग और तेघरा स्टेशन पर कोयले और रेल संपत्ति की चोरी	Theft of Coal and Railway Property from Garhara Railway Yard, Barauni Junction, Tilrath, Baruani Flag and Teghra Station	40
2336.	घोगरडीह स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट 20 बोरी कोयले की कथित बिक्री	Alleged Sale of 20 Bags of Coal near Ghogardiha Station (N. E. Railway)	40—41
2337.	धनबाद डिवीजन और पहाड़पुर स्टेशन पर मालगाड़ियों से खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं की चोरी	Theft of Foodgrains and other Commodities in Goods Trains to Dhanbad Division and Paharpur Station	41
2338.	कर्नाटक को डीजल तेल का नियतन	Allocation of Diesel Oil to Karnataka	41
2339.	पी० वी० सी० बनाने के लिए नेफ्था के प्रयोग पर प्रतिबंध	Banning use of Naphtha for PVC manufacturing	42
2340.	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में श्रम संबंधी मामलों को निपटाने के लिए पृथक बैंच स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Bench in High Courts and Supreme Court for disposal of Labour Cases	42
2341.	मजगांव डाक्स को फिक्स्ड प्लेटफार्म के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दिया गया आर्डर	Fixed Platform ordered by O & NGC from Mazagaon Docks	52
2342.	मयूरभंज (उड़ीसा) बनिक संघ, बारीपदा के सचिव से अभ्यावेदन	Representation from Secretary, Mayurbhanj (Orissa) Banik Sangha, Baripada	42—43
2343.	झींगा मछली वाले क्षेत्रों में तेल की विद्यमानता	Existence of Oil Beds in Areas having Prawns	43
2344.	गुरुवयूर होकर त्रिचूर कुट्टीपुरम् के बीच रेल लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण	Traffic Survey for Railway Line between Trichur Kuttipuram via Guruvayoor	43
2345.	अशोधित तेल और उसके उत्पादों का आयात	Import of Crude Oil and Distillation of its Products	43—44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2346.	1972, 1973 और 1974 के दौरान कम्पनियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C. B. I. Investigations against concerns during 1972, 1973 and 1974	45—47
2347.	रेलवे में अपराधों में वृद्धि	Increase in Crimes on Railways ..	47
2348.	मनमाड-सिकन्दराबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Manmad-Secunderabad Line into Broad Gauge	47
2349.	खड़गपुर-आद्रा रेल लाइन (दक्षिणपूर्व रेलवे) का विद्युतीकरण	Electrification of Khargpur-Adra Railway Line (South Eastern Railway)	47—48
2350.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट टिकटों की चोरबाजारी	Black Marketing of Tickets near New Delhi Railway Station ..	48—49
2352.	पेट्रोल की बचत के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया आयुर्वेदिक तेल	Specially prepared Ayurvedic Oil to save Petrol	49
2353.	एरणाकुलम और कायमकुलम रेल लाइन के लिए केरल सरकार की भूमि और स्लीपर मुफ्त में देने की पेशकश	Free Land and Sleeper Offer of Kerala Government for Ernakulam and Kayamkulam Railway Line ..	49
2354.	इंडेन गैस सिलेंडरों की वितरण पद्धति	Delivery System of Indane Gas Cylinders	50
2355.	भारत के रेलवे प्रशिक्षण केन्द्रों में बंगलादेश के अधिकारियों को प्रशिक्षण	Bangladesh Officials Training in Railway Training Centres in India ..	50—51
2356.	लम्बी दूरी तक जाने वाली गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Long Distance Trains	51
2357.	मैसूर डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में मैसूर और चामराजनगर के बीच रेलवे लाइन	Rail Link between Mysore and Chamarajanagar in Mysore Division (Southern Railway)	51—52
2359.	बेरोजगार स्नातकों को उर्वरक वितरक बनाना	Allotment of Fertilizer Distributor Ships to Unemployed Graduates ..	52
2360.	वर्ष 1973—74 के दौरान रेल गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने के कारण हुई हानि	Loss suffered due to Ticketless travelling in Trains during 1973-74 ..	52
2361.	औषध एककों पर मूल्य नियंत्रण का प्रभाव	Effect of Price Control on Drug Units	53
2362.	लघु औषध एककों के लिए कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material for Small Drug Units	53—54
2363.	हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स, पिंपरी में उत्पादन	Production at Hindustan Antibiotics, Pimpri	54—55

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2364.	पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने संबंधी योजना	Plans for Curbing Consumption of Petroleum Products	55—56
2365.	डाक्सीसाइक्लिन तथा एनाल्जीन बनाने के लिए फाइजर तथा होचैस्ट कम्पनियों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Prizers and Hoechest for Manufacture of Doxicycline and Analgin	56
2366.	श्रीलंका द्वारा कच्चातीबू द्वीप में तेल की खोज	Oil Exploration in Kachchativu Island by Sri Lanka	56—57
2367.	नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में मिया भाई न्यायाधिकरण की सिफारिश	Recommendation of Miabhoy Tribunal about Casual Labour	57—58
2368.	कांगड़ा वैली रेलवे में काम कर रहे रेल कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरी	Alternate Employment to Railwaymen engaged on Kangra Valley Railway	58
2369.	भारतीय उर्वरक निगम के कुछ मुअत्तिल अधिकारियों की बहाली	Reinstatement of certain suspended Officers of FCI	58—59
2370.	नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिया के लिए उत्पाद मिश्र में परिवर्तन	Change in Product Mix for Nitrogen, Phosphate, Urea and other Products	59
2371.	भारत में तेल का उत्पादन बढ़ाने की संभावना का पता लगाने के लिए रूसी विशेषज्ञ दल का दौरा	Visit of Soviet Expert Team for increased Oil Exploration in India ..	59
2372.	मथुरा में एक रासायनिक प्रशासन संयंत्र की स्थापना करने के बारे में इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी की योजना	Scheme of Indo-Burma Petroleum Company to set up a Chemical Detergent Plant at Mathura ..	59—60
2373.	रेल वैगनों की अनुपलब्धता के कारण राजस्थान में जमा हो गया नमक	Salt piled up in Rajasthan due to Non-availability of Wagons ..	60
2374.	गुजरात में रेल कर्मचारियों को जेल से रिहा किया जाना	Raillway Employees in Gujarat to be released from Jail	60
2375.	पांचवी योजना के पहले वर्ष में गुजरात में नए क्षेत्रों के लिए रेल संबंध	Railway link for new Areas in Gujarat during First Year of Fifth Plan	61
2376.	गैस व्यापारियों द्वारा वितरण प्रणाली के प्रस्तावित विकेन्द्रीकरण का विरोध	Gas Dealers opposing proposed Decentralisation of Distribution System	61—62
2377.	लाभांश की अदायगी पर रोक लगाने संबंधी अध्यादेश से प्रभावित कम्पनियों की संख्या	Companies affected by the Ordinance on Dividend Freeze ..	62
2378.	रेलवे में प्रशासन के किसी अधिकारी द्वारा हड़ताल का समर्थन करना	Response of Strike by Officers of Administration in Railways ..	63

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2379.	एरणाकुलम और मद्रास के बीच तमिल भाषियों द्वारा मलयालम भाषी यात्रियों को परेशान किया जाना	Harassment of Malayali Passengers between Ernarkulam and Madras by Tamilians	63
2380.	लेह में आउट एजेंसी खोलने की मांग	Demand for opening Out Agency at Leh	63—64
2381.	हरिजन तथा आदिवासियों को पेट्रोल पम्पों का आवंटन	Allotment of Petrol Pumps to Harijans and Adivasis	64
2382.	कुकिंग गैस की कमी	Shortage of Cooking Gas	64
2383.	हड़ताल के दौरान सेवा से निकाले गए रेल कर्मचारियों द्वारा अपीलें	Appeals by Railway Employees whose Services were terminated during Strike	64—65
2384.	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट	Reports submitted by MRTP Commission	65
2385.	इलैक्ट्रानिक उद्योगकर्ताओं द्वारा मेडिकल इलैक्ट्रानिक्स के निर्माण के लिए एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से अनुमति मांगना	Permission sought by Electronic Entrepreneurs to manufacture Medical Electronics from MRTP Commission	65—66
2386.	साबुन बनाने के लिए मेसर्स टाटा तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को की गई कच्चे माल की सप्लाई	Raw Material supplied to M/s Tatas and Hindustan Lever Limited for manufacturing Soap	66
2387.	मद्रास तेल शोधक कारखाने में नेफ्था का उत्पादन	Production of Naphtha at Madras Refineries	66—67
2388.	उड़ीसा के लिए मिट्टी के तेल का नियतन	Allocation of Kerosene Oil to Orissa	67
2389.	पंजाब को मिट्टी के तेल का नियतन	Allocation of Kerosene Oil to Punjab	67—68
2390.	शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना	Conversion of Shahadara-Saharanpur Light Railway into Broad Gauge Line	68
2391.	विलासपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, हनुमान शुगर मिल्स और रामा इंजीनियरिंग वर्क्स	Bilaspur Spinning and Weaving Mills, Hanuman Sugar Mills and Rama Engineering Works	68—69
2392.	पाली मारवाड़ स्टेशन का विकास	Development of Pali Marwar Station	69—70
2393.	मध्य प्रदेश में ग्वालियर रेयन्स के निकट सोडा फैक्ट्री में उत्पादन	Production at Soda Factory near Gwalior Rayons in M. P.	71
2394.	साहिबाबाद के निकट रेल दुर्घटना	Railway Accident near Sahibabad ..	71
2395.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्युटिक्ल्स लिमिटेड को हुई हानि	Loss suffered by IDPL	71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2396.	अंतर-निगम पूंजी निवेश को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियम और विनियम	Rules and Regulations framed to regulate inter Corporate Investment ..	72
2397.	दिल्ली में भूमि पर चलने वाली तथा भूमिगत ट्यूब रेलवे	Surface and Underground Tube Railways in Delhi	72—73
2398.	जापान को नेफ्था का निर्यात	Export of Naphtha to Japan ..	73
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	*Re* ; Adjournment Motion (Query)...	73
	विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	73—76
	श्रीमती विभा घोष गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में अध्यक्ष को अधूरी सूचना भेजना	Incomplete information sent to the Speaker *re* : Arrest of Shrimati Bibha Ghosh Goswami	73—76
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	76—77
	राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	77
	विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Bills as passed by Rajya Sahba ..	78
	अविलंबनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	78—81
	दिल्ली में सप्लाई किए जाने वाले पेय जल में संक्रामक पीलिया (हेपाटाइटिस) के कीटाणु	Filtered Water Supply in Delhi reported to be contaminated with Infection hepatitis virus	78—81
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	78—79
	डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh ..	79—81
	नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड में इंजीनियरों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement *re* : Strike by Engineers in Neyveli Lignite Corporation Ltd. ..	81—82
	श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda ..	81—82
	नियम 377 के अधीन मामला	Matter under rule 377	82—83
	(1) एक ही नम्बर वाले पांच-पांच रुपए के 20 करेंसी नोट प्राप्त होना	Twenty 5-Rupee Currency Notes reported to be bearing the same number	82—83
	(2) एक मृत पुलिस इंस्पेक्टर को राष्ट्रपति पुरस्कार दिए जाने के सरकार के कथित निर्णय का औचित्य	Propriety of Reported Decision of Government to give President's Award to a Deceased Sub-Inspector of Police	83
	वित्त सं० (2) विधेयक, 1974	Finance (No. 2) Bill, 1974 ..	84—96
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	
	श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	84—85
	श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanthy ..	85—86
	श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary ..	86
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	87

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe..	88
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	88—89
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam ..	89
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody ..	89—91
श्री नारायण चन्द पराशर	Shri Narain Chand Parashar ..	91—93
श्री एस० आर० दामणि	Shri S. R. Damani	93—94
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao..	94—95
श्री रामसहाय पाण्डे	Shri R. S. Pandey.. ..	95
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ..	95—96
श्री रामहेडाऊ	Shri Ram Hedaoo ..	96
सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Members ..	87

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 13 अगस्त, 1974/22 श्रावण, 1896 (शक)
Tuesday, August 13, 1974/Sravana 22, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at one minute past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
(MR. SPEAKER *in the Chair*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रेल कर्मचारियों के खिलाफ दण्डात्मक नीति

*325 **श्रीमती सावित्री श्याम : श्री बनमाली पटनायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि सभी सेण्ट्रल यूनियन्ज आर्गनाइजेशन्स तथा नेशनल फैडरेशन्स आफ वर्क्स एण्ड एम्पलाइज के प्रतिनिधियों ने रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ दण्डात्मक नीति अपनाने के बारे में सरकार को 21 जुलाई, 1974 को चेतावनी दी है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए निरन्तर संघर्ष छेड़ने की धमकी दी है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में पत्र अथवा संकल्प प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री० एल० एन० मिश्र) : (क) से (घ) सरकार का ध्यान समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है किन्तु कहीं से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

हमारी नीति किसी कर्मचारी को परेशान करना नहीं है। इसके अलावा रेलों की दो मान्यता प्राप्त यूनियनों को, जिन्हें रेलवे बोर्ड के साथ बातचीत करने की सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसे किन्हीं मामलों को प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं जिनके बारे में वे यह सोचें कि अन्याय किया गया है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए इस समय कोई कार्यवाही करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

SHRI SHANKAR DYAL SINGH : Sir, Question No. 333 relates to the same subject matter. It is good if we take both these questions together;

MR. SPEAKER : If he agrees then we may take both of them together. He is not here. Let me see it first.

SHRI SHANKAR DYAL SINGH : I don't think the Hon. Minister has any objection to it.

MR. SPEAKER : We can not take that with this that is a different from this Question.

SHRIMATI SAVITRI SHYAM : I appreciate that the Hon. Minister in his reply as well as in treatment has been sympathetic towards strikers. About two and a half lakh railway employees absented themselves from duties during the strike period. May I know whether the Railway Ministry has issued a circular in which documentary proof just as medical certificate, showing the reasons of absence have been asked to be furnished, and if so, is it not against the policy of victimization ?

SHRI L. N. MISHRA : I had explained yesterday that two and a half lakhs people have suffered break-in service. Break-in service does not mean termination of service but the employee has to suffer for certain facilities in this penalty. Out of five and half lakh, one lakh 40 thousand have joined. As regards dismissal or termination, the number of employees who have been dismissed or removed or whose services have been terminated is 16,749 and the number taken back about 7000, individual cases are being examined on merit and I hope, many more will be taken back.

SHRIMATI SAVITRI SHYAM : My Question was different. I had asked whether a circular have been issued in which absentees have been asked to furnish documentary proof showing the reason of absence. If so, whether it is in confirmity iwth the Government policy ?

SHRI L. N. MISHRA : It is true. From the beginning we have been of the view that those who were absent during the strike period would not get pay for this period and they will have to suffer break-in service. But they have got the right to appeal. There is a circular to show reasons of the absence. These reasons are being examined and the people are being taken back.

SHRIMATI SAVITRI SHYAM : I am not satisfied with the reply. May I know whether, barring INTUC, all the trade unions in India have adopted a proposal to take the matter to ILO and request its representatives to come to India and study whether the Railway employees in India are being victimised or not ?

The number of casual labourers who have put in more than 180 days service is more than 15000. May I know whether all these labourers will be confirmed and all those facilities which are being enjoyed by permanent employees will be extended to them or they will have to face the policy of victimization ?

SHRI L. N. MISHRA : The Hon. Member has asked that the casual labourers should be confirmed. But, can we reward them for their act of going on strike ? They went on strike and the result is that they have been dismissed from service. There are about 18,000 in number and out of them we have taken back near about 8 to 10 thousand as casual laboures. If there is any rational in their cases they will be taken back but as casual labourers.

Shri Indrajit Gupta has repeatedly objected that quasi-permanent or temporary labourers are being victimized and taken back as casual labourers. This is our policy we do not want to encourage the strikers.

Secondly, it has been said that the employees want to take the matter to ILO. I do not think that they should approach there. When Shri Fernandez was under arrest, he had sent a telegram to International Transport Union and I had read it out in both the Houses. They may go wherever they want to go. We have not ratified the conventions of ILO and we are doing nothing out of the code of conduct of a civilized or a democratic country.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Is it a fact that many employees were arrested under DIR and MISA during the strike period ? Out of them certain employees have been taken back in service and the cases of certain others are still under consideration. May

I know the policy of the Government in this regard ? Would it not be proper for the Railway Ministry to withdraw all those cases and take departmental action against them ? Action should not be taken under MISA.

SHRI L. N. MISHRA: As regards arrests, 19,883 employees have been arrested. Out of them 14,000 under DIR and 1,400 under MISA. Out of them 19,431 have been acquitted. Only 450 employees are in jails. There are serious charges, sabotage, destruction and damaging of Railway property, against them. Their cases also are being looked into. They will be acquitted if found not guilty. As regards withdrawal of the cases and departmental action against the employees. I would like to tell that the arrests have been made by the State Governments machinery and they are persuing the cases. We do not want to pressurise the State Governments in this regard. The State Government had extend their full help in that period of crisis and we do not want to pressurize them.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : DIR and MISA have been enacted by the Central Government. The State Governments have not enacted these laws. States have been authorised to see that these measures are implemented. But the Central Government can direct the State Governments in this regard. I want to know the policy of the Central Government in this regard. Employees have been arrested on false allegations and they are being harassed. May I know whether the Home Ministry has issued any directives to the State Governments regarding these employees ?

SHRI L. N. MISHRA : The Home Ministry had extended their full cooperation. But this matter is required to be taken up by us since administration is with the Railway Ministry in this case. We seek help from the Home Ministry. We are acting according to the policy evolved. It is because of this policy that 19,431 employees have been acquitted. I will be happy if other employees are also acquitted on the basis of facts and their capabilities. I am not going to ask for the acquittal of those who are guilty and their faults have been proved.

श्री ए० के० एम० इसहाक : बहुत से कर्मचारी इस मामले से संबंधित हैं। क्या तोड़ फोड़ के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाएगा। दूसरे, निष्ठावान कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर राष्ट्रीय जीवन की अत्यावश्यक सेवा को बनाए रखा क्या सरकार उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है अथवा वे अभी भी अपने को असुरक्षित समझते हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, मैं उत्तर दे चुका हू। 19,833 गिरफ्तार कर्मचारियों में से 19,431 छोड़ दिए गए हैं। शेष को इसलिए नहीं छोड़ा गया है कि उनके विरुद्ध गंभीर आरोप हैं तोड़फोड़ के, सर्वनाश कार्यों के आदि (व्यवधान)। वह न मानें परन्तु उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं और उन्हें उनके परिणाम भूगतने होंगे। हमारी चेतावनी के बावजूद भी, उन्होंने ऐसे कार्य किए और उन्हें उनके परिणाम भुगतने होंगे।

जहां तक रेल मंत्रालय का संबंध है राज्य सरकारों तथा गृह मंत्रालय को नीति स्पष्ट कर दी गई है। हमारी नीति जैसा कि मने पहले बताया है, यह है कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़ तथा हिंसात्मक कार्य किए हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए। शेष को छोड़ा जा सकता है। उन्होंने ऐसा किया है और उन्हें छोड़ दिया है। निष्ठावान कर्मचारियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और हमने भी उनके लिए कुछ किया है। यह प्रक्रिया चल रही है। 2,32,077 लोगों की अग्रिम वेतन वृद्धि की गई है। 92,022 लोगों को नकद पारितोषिक दिए गए हैं। जिन लोगों के सेवाकाल में वृद्धि अथवा दुबारा रोजगार पर लिए गए हैं उनकी संख्या 1000 है। 2700 लोगों की निगरानी के लिए नियुक्ति की गई। 553 उचित दर पर दुकानें खोली गई।

मोहम्मद खुदा बख्श : मंत्री महोदय ने बताया है कि निष्ठावान कर्मचारियों को नकद इनाम दिए गए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि कुल कितनी धनराशि इनाम के रूप में दी गई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने सबसे पहले यह बताया है : 2,32,077।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मंत्री महोदय ने उन कर्मचारियों की संख्या बताई है जिन्हें सेवा से निकाल दिया गया है परन्तु उन नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या नहीं बताई गई है, जिन्हें अभी भी सेवा में नहीं लिया जा रहा है। उनकी सेवा दैनिक मजूरी पर ही चल रही थी। ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है ? दूसरे मंत्री महोदय यह बताते रहे हैं कि कितने लोग वापस ले लिए गए। उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी अपीलें रद्द कर दी गई हैं। और जिनकी अपीलें रद्द कर दी गई हैं उनका क्या होगा। हमारे पास तो यह जानकारी है कि इधर उधर के आरोपों पर लोगों से शर्तों पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं और इस प्रकार अभी जो कर्मचारी जेलों में हैं उनके विरुद्ध मामले तैयार किए जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए तथा उन अधिकारियों को रोकने के लिए जो कर्मचारियों से उनके रोजगार में लिए जाने के लिए पैसा मांगते हैं उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री एल० एन० मिश्र : शायद श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने मेरा वह उत्तर नहीं सुना जो मैंने श्रीमती सावित्री श्याम को दिया था। मैंने बताया था कि 18,500 वैयक्तिक कर्मचारी सेवा से निकाले गए और 10,000 सेवा में वापस ले लिए गए। शर्तनामे के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बारे में स्थानीय प्रशासन को निर्णय करना होता है। यदि उन्होंने शर्तनामा लिखकर उन्हें वापस लेने का निर्णय किया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक हमारी बात है, हमने ऐसे नहीं कहा है... (व्यवधान)

तेल नीति का पुनर्निर्धारण

*326. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उत्पादक देशों की नीति को देखते हुए सरकार अपनी तेल नीति का पुनर्निर्धारण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ? और

(ग) क्या इससे किसी तरह से तेल की खपत में बचत होगी; और यदि हां, तो कितनी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) तेल के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए तथा सप्लाइयों को प्राप्त करने में आने वाले कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए/उठा रही है। इनमें (1) देशीय उत्पादन को अधिकतम करने के लिए तीव्रीकरण कार्य; (2) ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर निर्भरता बढ़ाना (3) तेल-उत्पादों के अनावश्यक उपभोग के कटौती (4) द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत कच्चे तेल का आयात, और (5) आयातित तेल के लागत मूल्य को पूरा करने के लिए निर्यातों को अधिकतम बढ़ाना, आदि कार्य सम्मिलित हैं।

(ग) वर्तमान वर्ष के पहले 5 महीनों के पेट्रोलियम उत्पादों के खपत के अस्थाई आंकड़े गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 3.6 की कमी दर्शाते हैं।

श्री के० मालन्ना : क्या तेल उत्पादक निर्यातकर्ता देशों ने तेल के मूल्य अथवा सप्लाई के बारे में विकासशील तथा विकसित देशों के बीच कोई अन्तर किया है ? क्या वे विकसित देशों की तुलना में भारत को तेल कम मूल्य पर दे रहे हैं ?

श्री देवकान्त बरुआ : तेल उत्पादक निर्यातकर्ता देशों ने तेल के मूल्य तथा सप्लाई के बारे में विकासशील तथा विकसित देशों के बीच कोई अन्तर नहीं किया है। परन्तु अरब देशों ने तथा ईरान ने हमें दूसरों

की अपेक्षा तेल सुविधापूर्वक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। ईराक तथा ईरान दोनों ने हमें आस्थगित देय राशि के बारे में कुछ छूट दी है।

श्री के० मालन्ना : भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है कि पांच महीनों में 3.6 प्रतिशत की कमी हुई है। तेल के अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तेल के आवश्यक उपयोग की तुलना में अनावश्यक उपयोग में कितने प्रतिशत कमी हुई है?

श्री देवकान्त बरुआ : हमारे देश में तेल आवश्यक कार्यों के उपयोग में ही आता है। तेल की मात्रा का अधिकांश भाग औद्योगिक विकास, कृषि विकास के लिए इंजनों से पानी खींचने, ट्रैक्टर चलाने, ट्रकों से परिवहन, बसों तथा रेलों में उपयोग किया जाता है। जहां तक व्यक्तिगत खपत की बात है, देश में 500,000 मोटरकारें हैं जिनमें पैट्रोल का उपयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल खाना पकाने के ईंधन तथा प्रकाश करने के कामों में आता है। अधिकांश खपत विकासशील क्षेत्र में होती है। हमने व्यक्तिगत खपत, पेट्रोल की खपत, कम करने के प्रयास किए हैं क्योंकि यदि पेट्रोल की बचत कर पाते हैं तो हम नेफ्था का उत्पादन कर सकते हैं। 80 प्रतिशत मिट्टी का तेल खाना पकाने के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है और 20 प्रतिशत प्रकाश करने के काम आता है। यहां भी हमें अपनी इच्छा के प्रतिकूल 30 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी है। डीजल में कोई कटौती नहीं की गई है। मिट्टी तेल में 10 प्रतिशत की कमी कर दी गई है, इस कमी को कुशल प्रबन्ध के द्वारा पुरा किया जा सकता है। ईंधन तेल की खपत में भी हम थोड़ी और कटौती करने जा रहे हैं। कृषि तथा कर्षण के काम आने वाले डीजल तेल की खपत में कोई कटौती नहीं की गई है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या मंत्री महोदय को पता है कि देश में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा आए दिन बड़े बड़े जलूस निकाले जाते हैं जिसमें इधर उधर से लोगों को लाने के लिए बसों तथा ट्रकों का उपयोग किया जाता है? क्या मंत्री महोदय का विचार ईधन बचाने के उद्देश्य ऐसे अनुत्पादक कार्यों के लिए परिवहन के दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है?

श्री देवकान्त बरुआ : परिवहन में कमी करने से हमारा कोई संबंध नहीं है हमारा उद्देश्य डीजल के दुरुपयोग को रोकना है क्योंकि डीजल उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए आवश्यक है। हमने कुछ आदेश पारित किए हैं कि विवाह जैसे अनावश्यक उद्देश्यों के लिए बिजली का उत्पादन करने हेतु डीजल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने पूछा था कि क्या तेल का प्रयोग राजनैतिक शक्ति के लिए किया जा सकता है?

श्री देवकान्त बरुआ : राजनैतिक उद्देश्यों तथा निर्वाचनों के लिए बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है?

तब हमने यह विचार बनाया कि ट्रैक्टर केवल कृषि कार्यों के लिए तो प्रयोग किए जाएं, मतदाताओं तथा व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए नहीं। हम इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठा रहे हैं क्योंकि इस पर उनका तो नियंत्रण है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि परिवहन के लिए गैर-आवश्यक प्रयोग के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार शक्ति के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने की बात सोच रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि देश में, विशेषतया पिछड़े तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, कोयले की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री देवकान्त बरुआ : हमने इस्पात और खान मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया है और विभिन्न उद्योगों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। जो उद्योग तत्काल कोयले का उपयोग आरम्भ कर सकते हैं उन्हें कोयला दिया जाएगा। जो उद्योग बाद को कोयले का उपयोग आरम्भ करेंगे जब तक वे कोयले प्रयोग आरम्भ न कर पाएंगे तब तक उन्हें तेल दिया जाएगा। व्यापार विकास महानिदेशक की अध्यक्षता में उन उद्योगों का पता लगाने का कार्यक्रम बनाया है जिसमें परिवर्तन करके कोयले का प्रयोग आरम्भ किया जा सके और हम उनको कोयले की सप्लाई आरम्भ कर देंगे और उनको तेल की सप्लाई बन्द कर देंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों की हमारी खपत पहले की तुलना में 3.5 प्रतिशत कम हुई है तो क्या मंत्री महोदय देश में कारों के लिए कोई राशन पद्धति आरम्भ करने का विचार कर रहे हैं जिससे कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम हो सके ?

श्री देवकान्त बरुआ : पेट्रोल का मूल्य बढ़ाने का हमारा उद्देश्य खपत में 25 प्रतिशत कमी करना था, जिससे हमें उर्वरक कारखाने चलाने के लिए नेफ्था उपलब्ध हो जाता। यह लगभग 23.5 प्रतिशत है। अतः हम खपत में थोड़ी बहुत कमी करने में सफल हुए हैं जिससे कि हमें नेफ्था उपलब्ध हो सके। हमारे देश में लगभग 5 लाख कारें हैं। यह बहुत बड़ी संख्या नहीं है।

श्री जे० माता गोडा : भारत सरकार की स्टाफ कारों में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने से चालू वित्तीय वर्ष के पृथक पांच महीनों में कितनी कमी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह तेल की नीति के बारे में है। वह निश्चित बचत के बारे में पूछ रहे हैं। इसके लिए उन्हें अलग से नोटिस देना चाहिए।

श्री देवकान्त बरुआ : इसके लिए मुझे अलग से नोटिस की आवश्यकता है।

SHRI SARJOO PANDEY : The Hon. Minister has just now stated that being friendly to India, Arab countries and Iran intend to extend certain concession to India. May I know the nature of concessions proposed to be given in the conditions of oil supply ?

SHRI D. K. BOROOAH : We are importing crude from Iraq and Iran and they are supplying crude to India and have assured future supply. We are importing crude from Iran for Madras refinery. Iranian Government have arranged for full requirements of oil for Madras refinery and that have assured future supply. They are supplying crude of deferred Payment Basis. Iraq, as you know, has given us aid to the tune of 110 million dollars and that is meant for Mathura refinery in the forum of crude. They have agreed for further supply of 6 million tonnes required for Mathura refinery. We have signed the acceptance letter also.

कालटैक्स का सरकरीकरण

*328. **श्री डी० डी० देसाई श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कालटेक्स के प्रबन्ध को अपने हाथ में इतने शीघ्र लेने पर विचार कर रही है जितने की आशा नहीं थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकारीकरण कब तक किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) शीघ्र ही कालटैक्स के साथ विचार विमर्श प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में अभी कोई भी ब्योरे बताना सम्भव नहीं है।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि विश्व बाजार में अशोधित तेल की वर्तमान कमी को देखते हुए कालटैक्स कम्पनी के दायित्वों को पूरे न कराने से भारत में तेल की

और कमी हो जाएगी। आज अशोधित तेल के उत्पादों की पहले ही कमी चल रही है। क्या मंत्री महोदय ने अपने वैकल्पिक साधनों से तेल लाने का विचार किया है और यदि हां, तो क्या वह विवरण बता सकते हैं कि अशोधित तेल कहां से मंगाया जाएगा ? विदेशी मुद्रा की स्थिति गंभीर है, देश की मुद्रा स्थिति भी संकट में है। क्या मंत्री महोदय ने इस बात पर विचार किया है कि इसके भुगतान कार्य के लिए जो राशि अपेक्षित होगी उसके संदर्भ में बडे-बडे कारखाने, जिनमें आज विलम्ब होता रहा है या छोड़े जा रहे हैं स्थापित किए जाएंगे।

श्री देवकान्त बरुआ : जहां तक विदेशी तेल कम्पनियों को सरकारी अधिकार में लेने की बात है, हमने 'एस्सो' का अधिग्रहण कर लिया है। हमने बर्माशैल के साथ बात-चीत शुरु कर दी है और 'कालटैक्स' के साथ बात-चीत आरम्भ करने वाले हैं। यह सरकार की नीति तथा संसद के निर्णय के अनुरूप किया जा रहा है कि विदेशी तेल कंपनियों को यथाशीघ्र सरकारी अधिकार में लिया जाए।

माननीय सदस्य ने जो कठिनाई बताई है कि यदि इस कम्पनी का अधिग्रहण कर लिया गया तो अशोधित तेल उपलब्ध होने की निश्चितिता समाप्त हो जाएगी और उपलब्धता अनिश्चित हो जाएगी। इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि तेल उत्पादक देशों की परिवर्तनशील नीति के कारण उनके द्वारा या हमारे द्वारा तेल का लाया जाना अनिश्चित ही है। फिर भी, अनुभव के आधार पर हमारा यह विश्वास है कि यदि उन्हें मध्य-पूर्व से तेल उपलब्ध हो सकता है, तो हमें भी वहीं से तेल प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जहां तक मूल्य का संबंध है, हमें भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, चाहे तेल कम्पनीयां लाएं चाहे हम स्वयं अपने साधनों से लाएं, चाहे तेल वे खरीदें अथवा हम। अपने लिए कंपनियों से तेल मंगाने में कोई लाभ नहीं है क्योंकि संसाधन एक ही है और मूल्य भी। अत: सभी दृष्टीकोणों से देश में इन कम्पनियों को कार्य करने देने का कोई विशेष लाभ नहीं है।

श्री डी० डी० देसाई : संसाधन स्थिति के बारे में प्रश्न के दूसरे भाग का क्या हुआ ?

श्री देवकान्त बरुआ : संसाधन स्थिति पर विचार कर लिया गया है। यदि वे इन उद्योगों को चलाती हैं, तो इन उद्योगों के लाभों को वो स्वदेश भेजेंगी। सभी दृष्टिकोणों से सभी पहलुओं पर विचार करके इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन कंपनियों के अधिग्रहण से सरकार अथवा देश को कोई हानि नहीं होगी।

श्री डी० डी० देसाई : क्या शैल तथा कालटैक्स के विविधीकरण अथवा विस्तार को रोकने के लिए उन्होंनें कोई अनुदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो विस्तार अथवा विविधिकरण के माध्यम से अधिक उत्पादन की क्षमता अथवा नये उत्पादों की निर्माण क्षमता को उपयोग में लाने के लिए मंत्रालय ने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

श्री देवकान्त बरुआ : हमने योजनायें तथा कार्यक्रम बनाये हैं। नई शोधनशालाओं के बारे में हमारी जो भी योजनाएं अथवा कार्यक्रम हैं समग्र योजना से उनका तालमेल होना चाहिए। परन्तु हम उन्हें अच्छे ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं यदि हम उनका अधिग्रहण कर लें।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : खाड़ी के देशों के कुछ प्रतिनिधि हाल ही में भारत आए थे और ईरान तथा ईराक से साथ करार किए गए थे। जब हमने इन देशों से तेल मंगाने के लिए करार करने पर विचार किया तब तेल की निरन्तर सप्लाई के उद्देश्य से क्या इस कंपनी तथा अन्य कंपनियों को अधिग्रहण करने की बात ध्यान में रखी गई थी ?

श्री देवकान्त बरुआ : जब तक इनका अधिग्रहण करना चाहते हैं तब तक अशोधित तेल की उपलब्धता को भी ध्यान में रखते हैं। परन्तु हमने जो करार किए हैं वे इन कंपनियों के संबंध में नहीं हैं। मद्रास तथा मथुरा शोधनशाला के लिए अतिरिक्त तेल खरीदने के लिए हैं। मेरे विचार से यदि ये कंपनियां तेल नहीं लाती हैं तो हमारे इस उद्देश्य के लिए तेल लाना कठिन नहीं होगा।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मेरा प्रश्न यह था कि जब हमने उन देशों के साथ करार किए तब कालटैक्स के अधिग्रहण के विचार को भी ध्यान में रखा गया था।

श्री देवकान्त बरुआ : जी हां। इस तथ्य को हमने ध्यान में रखा है।

SHRI MADHU LIMAYE : May I know whether the Hon. Minister has received information to the effect that the companies like Caltex etc. have recently repatriated Rs. 5 crores as profit ? May I also know whether the Hon. Minister would give all the details and take parliament into confidence. When the question of taking over of Caltex is taken up with them ? Unlike his habit to enter into agreements secretly as in the case of ESSO, details of which have not yet been laid on the table ?

SHRI D. K. BOROOAH : He has said that Caltex have repatriated to the tune of 5 crores. I have got figures from 1967 to 72. Both the Marketing Company as well as refinery of Caltex have repatriated 1,29,60,000 during 1971 and 52,74,000 in 1972. Therefore this does not come to 5 crores, it is ten times less than that. He has given exaggerated figures.

SHRI MADHU LIMAYE : My question has not been answered.

SHRI D. K. BOROOAH : I am replying to the second part also. We take action according to the laws of the land. I may assure the House that the necessary action will be taken in conformity with laws of the land.

SHRI MADHU LIMAYE : May I know whether the agreement which was the basis of the Bill introduced by him will be made public ?

SHRI D. K. BOROOAH : We do act according to the rules and regulations. But if you direct us to make in public, we will do so.

SHRI MADHU LIMAYE : The Bill regarding ESSO has been passed but the details of the agreement are not available so far this is a breach of privilege.

श्री राजा कुलकर्णी : श्रीमान्, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय : आपके खड़े होने का यही तात्पर्य है कि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री राजा कुलकर्णी : कालटैक्स के अधिग्रहण किए जाने से पूर्व मैं यह बात जानना चाहता हूं कि सरकार ने कालटैक्स से 140 फुटकर एजेंसियों को भारतीय तेल निगम को सौंपने को कहा था उसका क्या हुआ ?

श्री देवकान्त बरुआ : इस विशेष प्रश्न के लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह बात स्पष्ट हो गई है कि इन तेल कंपनियों का अधिग्रहण देश के हित में है। मंत्री महोदय ने बताया है कि करार करने के संबंध में बातचीत की जा रही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम उनके साथ बातचीत करते चले जाएं और कोई निष्कर्ष ही न निकाल पाए। यदि कोई निश्चित करार नहीं हो पाता तो सरकार क्या वैकल्पिक उपाय अपनाएगी।

श्री देवकान्त बरुआ : विश्वास अनुभव से प्राप्त होता है। आपने देखा है कि हमने 'इस्सो' का अधिग्रहण किया और इसके लिए कोई कारण नहीं है कि हम बर्मा शैल और कालटैक्स का अधिग्रहण नहीं करेंगे। इसका उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो हम तभी उसका भी हल निकाल लेंगे।

श्री एम० एस० संजीवीराव : सरकार ने कालटैक्स के राष्ट्रीयकरण का दृढ़ निश्चय किया है इससे हमें बड़ी प्रसन्नता है। मंत्री महोदय को पता है कि देश में विशाखापटनम् तेल शोधनशाला की दयनीय स्थिति है, यहां केवल 1 लाख टन अशोधित तेल का शोधन हो पाता है। मंत्री महोदय यहां का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मथुरा में बहुत बड़ी तेलशोधनशाला बनाई जा रही है क्या मंत्री महोदय विशाखापटनम् तेल शोधनशाला की क्षमता 5 लाख टन और बढ़ाने का विचार करेंगे। क्या इसका स्पष्ट उत्तर दिया जाएगा ?

श्री देवकान्त बरुआ : यद्यपि यह छोटी शोधनशाला है, जब हमें हमारे उत्पादन से अधिक तेल उप लब्ध होगा, हमें तेल शोधनशालाओं की विशेषतया समुद्रतटीय तेल शोधनशालाओं की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि समुद्र से तेल प्राप्त होने की बहुत अधिक संभावना है।

DEMAND FOR DIRECT AND FAST TRAIN FROM RAIPUR TO BHOPAL AND DELHI VIA NAGPUR

*329. SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether repeated demands have been made for having a direct and fast train operating from Raipur town (Madhya Pradesh) to Bhopal and Delhi via Nagpur; and

(b) if so, the reasons for not accepting the demand ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) नागपुर के रास्ते रायपुर और भोपाल/दिल्ली के बीच यातायात की दृष्टि से एक सीधी गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं है। लेकिन नागपुर से आने-जाने वाले यात्रियों को नागपुर में गाड़ी बदलने के लिए उपयुक्त मेल लेने वाली गाड़ियों के साथ-साथ पर्याप्त गाड़ियां उपलब्ध हैं।

SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR : This demand is being made by Madhya Pradesh since 1954 but this Ministry has always termed it as unjustified. I want to taken the criteria on which direct train is sanctioned. The presumption of the people is being confirmed that Railway Ministry try to avoid the request of Madhya Pradesh, may it be for a passanger service or any other services.

SHRI L. N. MISHRA : No body can deny that justice should be done. The only criteria is to see whether it is justified economically or not. It has been observed that there are about 90 passengers on an average who go to Bhopal from Raipur *via* Nagpur. We should examine it if the number of passengers is increased. However, I would like to give an assurance that at present a bogie is provided which is attached with connecting train. We shall try to run a train even if there is some loss.

SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR : In this connection I would like to state that the number of persons coming from Bhilai daily comes to more than 50 and those coming from Bhopal is about 40-50 and besides this many people come from Raipur and other places. I would like to know from the hon'ble Minister whether any train comes to Delhi direct from any place situated in Madhya Pradesh; if not, whether it is proposed to introduce direct train from any place ?

SHRI L. N. MISHRA : The hon'ble Member is aware of all the trains which come from Madhya Pradesh. He has been a journalist and visited many places. In so far as this region is concerned according to the findings of our survey on an average 91 passengers travel daily in that direction. In view of this a bogies is being provided at present in which seats for I and II class would be available. After observing for some time, we intend to introduce a train, even if it is uneconomic to some extent.

श्री वसंत साठे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या मध्य भारत से और विशेषकर विलासपुर रायपुर प्रदेश से दिल्ली आने वाली सीधी गाड़ी कोई नहीं है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली आने वाली जी० टी० अथवा दक्षिण एक्सप्रेस के साथ मिलाने वाली बिलासपुर की ओर से कोई गाड़ी नहीं है, मालगाड़ी लगभग 4.25 पर आती है और उस समय तक मद्रास से आने वाली जी० टी० चली जाती है क्या मंत्री महोदय कलकत्ता की ओर से नागपुर आने वाली डाकगाड़ी को

रायपुर-बिलासपुर (मध्य प्रदेश) के मार्ग से चलाने का विचार करेंगे ताकि उनको दिल्ली आने के लिए मिलाने वाली गाड़ी मिल सके? अथवा क्या बरास्ता नागपुर बिलासपुर-नागपुर क्षेत्र से जाने वाली एक गाड़ी चलाने संबंधी सुझाव पर विचार करेंगे--वह इसका नाम 'सैंट्रल इंडिया एक्सप्रेस' रख सकते हैं जैसे 'दक्षिण एक्सप्रेस' है?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री राम सहाय पांडे : मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ और पहाड़ी प्रदेश है। क्या वह बिलासपुर-रायपुर से बरास्ता नागपुर दिल्ली को जाने वाली एक रेलगाड़ी देने पर सहमत है। **(व्यवधान)** वह कहते हैं कि उसमें कोई औचित्य नहीं है। क्या मंत्री महोदय मध्य प्रदेश को, जोकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, रेलगाड़ियां या रेलवे लाइनों को व्यवस्था करने के संबंध में विशेष ध्यान देंगे?

श्री एल० एन० मिश्र : गत पंद्रह वर्षों में मध्य प्रदेश में कितनी लाइनें बिछाई गई हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, । परन्तु वहां पर इंजीनियरी उद्योग स्थापित किए गए हैं। मैंने बताया है कि सीधे दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी संबंधी सुझाव पर विचार किया जाएगा और तब मैं इस संबंध में निदेश दे सकूंगा।

पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के निर्माण को प्राथमिकता देना

*330. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चालू वित्तीय वर्ष में पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों को मंजूरी देने तथा उनके निर्माण कार्य को कोई प्राथमिकता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं? और उन्हें किन क्षेत्रों के लिए मंजूरी दी गई है?

रेल मंत्री (श्री एल०एन० मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 1974-75 के दौरान रेलवे ने पहाड़ी/पिछड़े क्षेत्रों में निम्नलिखित नई लाइनों का अनुमोदन किया है :--

(1) नादिकुडे--वीवीनगर (आंध्र प्रदेश में बड़ी लाइन)

(2) झंझारपुर--लोकहाबाजार (बिहार में मीटर लाइन)

(3) रोहतक--भिवानी (हरियाणा में बड़ी लाइन)

(4) धरमनगर--कुमारघाट (पूर्वोत्तर परिषद के खर्च पर पूर्वोत्तर क्षेत्र त्रिपुरा में : मीटर लाइन)

(5) उत्तर प्रदेश में रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी लाइन रेल संपर्क।

(6) बिहार में सकरी--हसनपुर।

(7) उड़ीसा में जाखापुरा--बांसपानी।

उपर्युक्त सूची की प्रथम तीन परियोजनाओं के निर्माण का काम पहले से ही हो रहा है। बाकी परियोजनाओं के बारे में मंजूरी देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री नारायण चन्द पराशर : विवरण से पता चलता है कि सात नई लाइनें मंजूर की गई हैं परन्तु पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ बड़ा अन्याय किया गया है क्योंकि इस प्रदेश को कोई नई रेलवे लाइन नहीं दी गई। लोक लेखा समिति ने भी सिफारिश की थी कि पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों को तरजीह दी जानी चाहिए मंत्री महोदय ने भी अपने बजट संबंधी भाषण में नांगल बांध और तलबाड़ा रेलवे लाइन का उल्लेख किया था जिसके लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। पंजाब सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और सिचाई तथा विद्युत् मंत्रालय ने इस लाइन के लिए सिफारिश की है। इससे उत्तर पश्चिम भारत की दो मुख्य परियोजनाओं अर्थात् भाखड़ा और पोंग बांध में सम्पर्क स्थापित हो सकेगा। इस लाइन के महत्व को देखते हुए और इस क्षेत्र के विकास के लिए विस्तृत क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि इस लाइन की मंजूरी देकर और उसका कार्य इसी वर्ष आरंभ करके पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्र के साथ न्याय किया जाएगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं अपने बजट भाषण में दिये गये आश्वासन पर कायम हूं। लगभग तेरह या चौदह प्रस्ताव हैं, जिनमें से छः या सात पर कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति की हिमाचल प्रदेश से सहानुभूति है क्योंकि वहां कोई रेलवे लाइन नहीं है। वास्तव में पर्याप्त धन उपलब्ध न होने की कठिनाई है। हमने 255 करोड़ रुपये की मांग की थी और हमें केवल 100 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मैं पराशर जी को आश्वासन देता हूं कि मैं आगामी बजट प्रस्तुत करते समय इससे अच्छी स्थिति का उल्लेख कर सकूंगा।

श्री नारायण चन्द पराशर : मैं एक विशेष आश्वासन चाहता था। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दो राज्य सरकारों और एक केन्द्रीय मंत्रालय ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, इस लाइन का काम इस वर्ष आरम्भ करने पर विचार करेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस प्रस्ताव से सम्बन्धित सर्वेक्षण पर अन्तिम निर्णय का अनुमोदन कर दिया गया है और यातायात सर्वेक्षण भी पूरा हो चुका है। 5 या 10 लाख रुपये के काम का आरम्भ मात्र हो सकता है। यदि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट हो सकें, तो मुझे ऐसा करने में प्रसन्नता होगी।

श्री के० एस० चावड़ा : ककोसी और बिलड़ी के बीच, जोकि राजस्थान और गुजरात का बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, नई रेल लाइन बनाने का इस सूची में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्या में पूछ सकता हूं कि वर्ष 1974-75 में नई लाइनों की मंजूरी देने के बारे में वर्तमान नीति क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने अपने बजट भाषण में नीति का उल्लेख किया था कि केवल आर्थिक सक्षमता के आधार पर ही विचार नहीं किया जाता। यदि कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ अथवा पहाड़ी है और उससे हानि होती है, तो भी रेलवे उन क्षेत्रों का विकास करने के लिये लाइनें बिछाने का काम कर सकता है। यही नीति अब भी है।

SHRI NARENDRA SINGH BISHT : I would like the hon'ble Minister to let us know the progress achieved so far in connection with Ramnagar—Kathgodam link in Uttar Pradesh ? It has been stated in No. 5 of the statement :

"Regarding the rest of the projects, the question of issuing sanction is under consideration."

I want to know as to how much time it would take and when it is expected to be implemented.

SHRI L. N. MISHRA : We are going to take up Ramnagar—Kathgodam line shortly.

SHRI DARBARA SINGH : I would like to draw the attention of the hon'ble Minister that there are two projects and it is the responsibility of the Government to provide a railway line for development of the same as stated by Shri Parashar. The present position in that region is that even missing links have not been connected. Not an inch of railway line has been added to what it was in the British period. In view of this, I want to know whether preference will be given to this area or not ?

SHRI L. N. MISHRA : Preference will be given definitely. I have discussed this matter with Shri Parashar and also in the Consultative Committee and the propose to arrange special allotment for Himachal Pradesh.

SHRI K. M. MADHUKAR : Bihar is a backward State and I want to know whether a line from Hajipur to Raxaul is proposed to be constructed or not and if not, the reason therefor ?

SHRI L. N. MISHRA : There is no such scheme.

(Interruptions)

श्री नवल किशोर सिंह : क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने रेल मंत्री और मंत्रालय से कई बार अनुरोध किया है कि खनन और परिवहन प्रयोजनाओं के लिये खनन क्षेत्रों में रेलवे लाइन विछाई जानी चाहिये जिसके बिना इन क्षेत्रों की काफी हानि हो रही है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मुझे ऐसा कोई अध्यावेदन नहीं मिला है । परन्तु मैं जानता हूं कि बिहार में खनन क्षेत्रों में समस्याएं हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय रेलवे के लोको कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

*327. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे के लोको कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को होने वाले लाभों की रूपरेखा क्या है; और

(ग) उक्त योजना केन्द्रीय भविष्य निधि व्यवस्था की तुलना में कितनी अधिक उपयोगी होगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर कर्मचारियों पर लागू पेंशन योजना में रेल कर्मचारियों की सभी कोटियाँ आ जाती हैं जिनमें लोको कर्मचारी भी शामिल हैं ।

16-11-1957 को या उसके बाद नियुक्त किये गये रेल कर्मचारी पेंशनीय हैं । इससे पहले नियुक्त किये गये रेल कर्मचारी भविष्यनिधि नियमों द्वारा शासित होते हैं लेकिन उन्हें कई बार

पेंशन नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प दिया गया है। चालू आठवां विकल्प 23 जुलाई, 1974 से 6 महीने तक के लिए हैं।

स्थायी रेल कर्मचारियों को स्वीकार्य पेंशनीय लाभों की प्रमुख बातें जो उनके नौकरी छोड़ने, सेवानिवृत्ति होने या अशक्त होने पर लागु होती हैं, संक्षेप में निम्नलिखित हैं :--

यदि कोई रेल कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हता सेवा पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ देता है तो उसे पहले चार वर्षों के लिए सेवा की पूरी की गयी प्रत्येक छमाही के लिए 1/2 महीने की परिलब्धियों की दर से और उसके बाद 9-1/2 वर्ष की अर्हता सेवा तक, प्रत्येक छमाही अवधि के लिए मासिक परिलब्धियों के 3/8 की दर से उपदान की एकमुश्त रकम मंजूर की जाती है।

यदि कोई रेल कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हता सेवा पूरी करने के बाद नौकरी छोड़ता है तो वह मासिक पेंशन पाने का हकदार है। पेंशन का हिसाब उसकी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में ली गयी औसत परिलब्धियों के 1/160 की दर से लगाया जायेगा लेकिन यह सेवा की प्रत्येक छमाही अवधि जिनकी संख्या 66 से अधिक नहीं होगी, के लिए प्रतिमास 2500 रुपये की सीमा के अन्दर होगी। पेंशन की अधिकतम राशि प्रतिमास 1000 रुपये तक सीमित है। किन्तु, जो रेल कर्मचारी अशक्तता पेंशन पर सेवा निवृत्ति होता है तो उसकी अशक्तता पेंशन की राशि आगे उल्लिखित साधारण दर से दी जाने वाली परिवार पेंशन की राशि से कम नहीं होगी।

प्रत्येक रेल कर्मचारी, चाहे उसकी अर्हता सेवा की अवधि कितनी भी रही हो, वह एकमुश्त मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति उपदान पाने का हकदार है। यह उपदान सेवा निवृत्ति से तुरन्त पहले की सेवा की पूरी की गयी प्रत्येक छमाही अवधि में प्राप्त परिलब्धियों के 1/4 भाग की दर से अर्जित होता है, लेकिन शर्त यह है कि यह 16-1/2 महीनों की परिलब्धियों अथवा 30,000 रु० से अधिक नहीं होगा। लेकिन यदि सेवा काल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान बढी हुई दर से दिया जाता है, जैसा कि नीचे बताया गया है :—

अर्हता सेवा की अवधि	मृत्यु उपदान
एक वर्ष से अधिक नहीं .	2 महीने की परिलब्धियां
एक वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम .	6 महीने की परिलब्धियां
5 वर्ष और उससे अधिक .	अर्हता सेवा की पूरी की गयी प्रत्येक छमाही अवधि की परिलब्धियों का 1/4 भाग जो परिलब्धियों के 16-1/2 गुणा से अधिक और 12 गुणा से कम न हो, लेकिन साथ ही उसकी मात्रा 30,000 रुपये से अधिक न हो।

अस्थायी रेल कमचारियों को जो अधिवर्षता प्राप्त कर लेने पर अथवा स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर अथवा कर्मचारियों की छटनी कर दिये जाने पर अथवा सेवा काल में मृत्यु

हो जाने पर नौकरी से अलग हो जाते हैं, निम्नलिखित दरों पर सेवान्त/मृत्यु उपदान किया जाता है :—

नौकरी छोड़ने के समय जितने वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो	सेवान्त उपदान	मृत्यु उपदान
1 वर्ष या अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम ।	कुछ नहीं ।	1 महीने का वेतन
3 वर्ष या अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम ।	3 वर्ष की सेवा से अधिक की सेवा के लिए पूरे किये गये हर वर्ष के लिए आधे महीने का वेतन ।	3 महीने का वेतन ।
5 वर्ष या अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम ।	पूरे किये गये पहले 3 वर्षों की सेवा के लिए एक महीने का वेतन और तत्पश्चात हर पूरे वर्ष की सेवा के लिए आधे महीने का वेतन ।	4 महीने का वेतन ।
10 वर्ष या अधिक ।	लेकिन पूरे वर्ष की सेवा के लिए एक महीने का वेतन, लेकिन अधिकतम 12,000 रु० ।	प्रत्येक पूरे वर्ष की सेवा के लिए एक महीने का वेतन, लेकिन अधिकतम 12 महीने का वेतन या 12,000 रु० में से जो भी कम हो ।

रेलों में एक परिवार पेंशन योजना भी है जो पेंशनीय स्थापनाओं के अंतर्गत आने वाले स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना के अंतर्गत, सेवाकाल में अथवा सेवा-निवृत्ति के पश्चात भी रेल कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर परिवार पेंशन स्वीकार्य है, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। परिवार पेंशन के लिए स्वीकार्य रकम इस प्रकार है :—

रेल कर्मचारी की वेतन	प्रति माह परिवार पेंशन की राशि
400 रु० से कम	वेतन का 30 प्रतिशत, लेकिन कम से कम 60 रु० और अधिक से अधिक 100 रु० ।
400 रु० और अधिक लेकिन 1,200 रु० से कम ।	वेतन का 15 प्रतिशत लेकिन कम से कम 100 रु० और अधिक से अधिक 160 रु० ।
1200 रु० और इससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत लेकिन कम से कम 160 रु० और अधिक से अधिक 250 रु० ।

यदि किसी कर्मचारी की न्यूनतम 7 वर्ष सेवा करने के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसे बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन का भुगतान किया जाता है ताकि वह लिये गये अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत या परिवार पेंशन के दुगने के बराबर, इसमें जो भी कम हो, अधिकतम 7 वर्ष की अवधि या यदि वह जीवित होता तो उसकी 65 वर्ष की आयु होने तक, इसमें जो भी पहले हो के लिये दिया जाता है। उसके बाद परिवार पेंशन केवल साधारण दर से दी जाती है। यह योजना अंशदायी है और इसके द्वारा शासित प्रत्येक कर्मचारी को यदि उसे अनुज्ञेय हो तो अपने उपदान का एक अंश छोड़ना अपेक्षित है, जो दो मास की परिलब्धियों के बराबर लेकिन अधिकतम 5000 रुपये तक होगा।

रेलों पर पेंशन योजना, रेल मजदूरों से तथा उनकी ओर से प्राप्त प्रतिवेदनों, जिनकी चर्चा संसद में भी हुई थी, के फलस्वरूप तथा सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी लागू की गयी थी।

लेकिन, एक तरफ पेंशन योजना और दूसरी तरफ अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त लाभों की सही-सही तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि सेवा-निवृत्ति लाभों की ये दो भिन्न-भिन्न योजनाएं हैं जिनके अपने-अपने लाभ और हानियां हैं।

गत दो वर्षों में पेरुंगुजी हाल्ट से लाभ

*331. **श्री रामचन्द्रन कंडनापल्ली**
श्री वयालार रवि } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष रेलवे को पेरुंगुजी हाल्ट से कितनी आय हुई और इससे पहले दो वर्षों की आय की तुलना में यह आय कम है अथवा अधिक है;

(ख) क्या इस हाल्ट की वर्तमान आय को देखते हुए इसे फलेग स्टेशन में बदलने का औचित्य है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में पेरुंगुजी हाल्ट स्टेशन से होने वाली आमदनी इस प्रकार है :—

1971-72	28,825 रुपए।
1972-73	43,460 रुपए।
1973-74	38,544 रुपए।

इस हाल्ट स्टेशन को फलैग स्टेशन में बदलने के बारे में विचार किया जा सकता है बशर्ते उसकी कुल वार्षिक आमदनी लगभग 62,000 रुपये हो जाये। इसके अलावा, इस फलैग स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए दो लाख रुपए की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त से प्रतीत होता है कि यदि पेरुंगुजी हाल्ट स्टेशन को फलैग स्टेशन में बदल दिया गया तो रेल प्रशासन पर दो लाख रुपये (अनावर्ती) और लगभग 14 हजार रुपए वार्षिक (आवर्ती) खर्च का बोझ बढ़ जायेगा।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए फिलहाल इस हाल्ट स्टेशन को फलैग स्टेशन में बदलना व्यावहारिक नहीं है।

गत हड़ताल के पश्चात् रेल कर्मचारियों को राशन की सप्लाई

*332. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत रेल हड़ताल के पश्चात रेल कर्मचारियों को राशन की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर सहमति हो गयी थी कि उन सभी रेलवे बस्तियों में अनाज की सस्ती दुकानें उपलब्ध की जायेंगी जहां तीन सौ से अधिक रेल कर्मचारी रहते हैं। इस आशय के आवश्यक अनुदेश क्षेत्रीय रेलों को भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा, रेल मन्त्री ने राज्य सरकारों के मुख्य मन्त्रियों को भी लिखा है कि सस्ते गल्ले की सभी दुकानों को अनाज की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जाए।

Action against Railway Ticket Checking Staff during Strike

*333. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of Railway Ticket Checking staff against whom action was taken by Government during the last Railway Strike indicating the nature of action taken; and

(b) the Zone-wise number of Railway T.Ts and T.Cs in the whole of the country who were suspended and removed from service and were allowed to resume their duties again ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) & (b) Separate figures in respect of Ticket Checking Staff against whom action was taken in the context of the last Railway Strike are not readily availble. However figures (Zone-wise) regarding Ticket Checking Staff who were removed/dismissed or suspended and later on taken back on duty are given below :

Railways	Suspended	Dismissed/Removed from service	Total	No. of Ticket Checking staff who have been taken back to duty
1	2	3	4	5
Central	9	3	12	11
Eastern	2	109	111	73
Northern	4	14	18	16
North Eastern	6	3	9	4
Northeast Frontier	—	52	52	35
Southern	1	7	8	Nil.
South Central	5	2	7	5
South Eastern	—	6	6	Nil.
Western	23	29	52	37

रेलवे बोर्ड की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

*334. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जोनल रेलवे के कार्यकरण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से रेलवे बोर्ड की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) सरकार ने इस मामले पर विचार किया है तथा क्षेत्रीय रेलों को और अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में हाल ही में कार्रवाई की है। यह कार्रवाई "निर्माण-कार्य", "स्थापना" और अन्य मामलों में महाप्रबन्धकों को और अधिक अधिकार देने के रूप में है।

निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देने के बारे में विधि सचिवों की बैठक

*335. **श्री पी० गंगादेव**
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देने की व्यावहार्यता पर विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विधि सचिवों की बैठक 20 जुलाई, 1974 को नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विधि सचिवों का एक सम्मेलन 20 जुलाई, 1974 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ था। यह सम्मेलन मुख्यत: उन उपायों और साधनों का पता लगाने के सम्बन्ध में हुआ था जिनसे राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विधि विभागों के पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसे कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, जो प्रारूपण में प्रशिक्षित हों। हम कानूनी सहायता पर विशेषज्ञ समिति की, जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश वी० आर० कृष्ण अय्यर थे, रिपोर्ट राज्य सरकारों को पहले ही भेज चुके हैं और हमने इस अवसर पर एकत्रित विधि सचिवों से अनुरोध किया था कि वे रिपोर्ट को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने में हमारे साथ सहयोग करने के लिए अपनी अपनी सरकारों से इस रिपोर्ट पर अपने विचार और सुझाव यथासंभव शीघ्र भेजने के लिए कहें और इस सम्बन्ध में अपने प्रभाव का उपयोग करें।

वफादार रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों का आरक्षण

*336. **श्री सरजू पांडे :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्रालय ने ऐसे वफादार कर्मचारियों के बच्चों के लिए तृतीय श्रेणी

के 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के लिए अनुदेश दिए हैं जिन्होंने रेल हड़ताल विफल करने में सरकार की सहायता की थी; और

(ख) यदि हां, तो इन अनुदेशों का किस हद तक पालन किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अनुग्रह के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था भारतीय रेलों में पहले से ही मौजूद है।

रेल मन्त्री द्वारा संसद में की गयी घोषणा के अनुसरण में, कि वफादार कर्मचारियों की सेवाओं को मान्यता दी जायेगी, यह विनिश्चय किया गया था कि श्रेणी-III की कोटि में अनुग्रह के आधार पर रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए रेल-कर्मचारियों की इन कोटियों को भी शामिल कर लिया जाये। इस आशय की हिदायतें फरवरी, 1974 में जारी की गयी थीं कि जिनमें यह कहा गया था कि उस कोटि में भर्ती प्रारम्भिक भर्ती के ग्रेडों में खाली जगहों के 20 प्रतिशत तक की जायेगी। ये हिदायतें हाल में हुई रेल हड़ताल से काफी पहले जारी की गयी थीं, इसलिए हड़ताल की स्थिति का मुकाबला करने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) इन हिदायतों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में हुई प्रगति की सूचना अभी विभिन्न रेल प्रशासनों से मिली नहीं है।

वैगन न मिलने के कारण गुजरात में पड़ा हुआ नमक

*337. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री वेकारिया } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगन न मिलने के कारण गुजरात के विभिन्न प्लेटफार्मों पर हजारों टन नमक पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्लेटफार्मों पर पड़े नमक के स्टाक की ढुलाई के लिये प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त संख्या में वैगन देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कुछ स्टेशनों पर परेषकों की सुविधा के लिये रेलवे परिसर में पट्टे पर प्लाट दिये जाते हैं जहां वे अपना माल रखते हैं ताकि जब कभी माल डिब्बों की सप्लाई हो उनका लदान किया जा सके। जहां तक अन्य स्टेशनों का सम्बन्ध है, लदान के लिए माल डिब्बों का आवंटन हो जाने के बाद ही परेषण स्टेशन पर लाये जा सकते हैं।

गुजरात राज्य में लगभग 18 स्टेशन ऐसे हैं जहां नमक के चट्टे लगाने के लिए प्लाट पट्टे पर दिये गये हैं। सामान्यतः ये नमक के लदान वाले प्रमुख स्टेशन हैं। इन स्टेशनों पर व्यापारियों को पट्टे पर दिये गये प्लाटों में लगभग 89,000 मीटरिक टन नमक के चट्टे लगे हैं।

नमक की ढुलाई प्राथमिकता की विभिन्न कोटियों अर्थात् 'बी', 'सी', 'डी' और 'ई' के अन्तर्गत की जाती है। विभिन्न कर्मचारी आन्दोलनों और नागरिक उपद्रवों के कारण विशेष रूप से गुजरात राज्य में, अनिश्चितता की स्थितियों के बावजूद नमक का लदान, जो उच्चतर प्राथमिकता के अधीन किया जाता है, सन्तोषजनक है। रेलों की इस वचनबद्धता के अनुरूप कि उच्चतर प्राथमिकता के सामान वाले माल-डिब्बों को अग्रता दी जायेगी, पर्याप्त नमक का यातायात सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

निर्वाचनों में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को कानून के माध्यम से रोकने का प्रस्ताव

*338. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचनों में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की रोकथाम के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई आदर्श आचार संहिता में निर्धारित नियमों के कानूनी मान्यता देने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) आचार संहिता मार्गदर्शक सिद्धांतों का संग्रह है, जिसका आशय निर्वाचनों में राजनीतिक दलों द्वारा, जिनके अन्तर्गत शासक दल और अभ्यर्थी भी हैं, कुछ आदर्शों का पालन सुनिश्चित करना है। संहिता का दृढ़ता से पालन करना, अन्ततोगत्वा दलों के बीच सहमति पर निर्भर करेगा। इसे कोई विधिक मंजूरी देने का विचार नहीं है।

SCHEME OF BIHAR GOVERNMENT FOR SETTING UP OF A PETRO CHEMICAL FACTORY NEAR BARAUNI

*339. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether the Government of Bihar have sent to him any scheme for setting up of a petro-chemicals factory near Barauni;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI D. K. BOROOAH): (a) to (c) The Government of Bihar have reiterated their earlier proposal regarding establishment of Petro-chemical complex at Barauni. The scheme of the Government of Bihar on the basis of feasibility report prepared by M/s. Engineers India Limited envisages the setting up of the following chemical units:

(i) Xylene
(ii) Pure-Terephthalic Acid
(iii) Detergent Alkylate
(iv) Polyester Fibre, and
(v) Phthalic Anhydride.

The Government of India have constituted a Study Team to examine the possibilities of production of Aromatics and to suggest suitable location for these facilities. However, no major petrochemical complex is presently proposed to be undertaken in the Fifth Plan period.

अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

*340. **श्री वसंत साठे**
श्री घामनकर } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में कच्चे तेल तथा तेल उत्पादों के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा बचाई गई है ; और

(ख) पश्चिमी सहायता संघ (वैस्टर्न एंड कन्सोर्टियम) द्वारा आश्वासित-सहायता की राशि में से उपरोक्त वस्तुओं के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की राशि का अतिरिक्त नियतन किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) अक्तूबर, 1973 से तथा उसके बाद जनवरी 1974 से कच्चे तेल के मूल्यों में और तीव्र वृद्धि हो जाने के कारण देश में पेट्रोलियम पदार्थों की मांग को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयातित मूल्यों की विदेशी मुद्रा लागत में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। जबकि तेल उत्पादों के उपभोग में कटौती करने के लिये यथा संभव अनेक कदम उठाये गए हैं। आवश्यक मांगों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल तथा उसके उत्पादों की देशीय उपलब्धता को आयात द्वारा सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

वर्ष 1973-74 में 14.07 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल तथा 3.61 मिलियन मीटरी टन उत्पादों के आयात के लिए कुल 571.25 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा के उपयोग किए जाने की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कच्चे तेल तथा उसके उत्पादों के लिए लगभग 13 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल तथा लगभग 3 मिलियन मीटरी टन पेट्रोलियम उत्पादों के आयात हेतु 1120 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का आवंटन किया गया है।

(ख) कन्सोर्टियम से तेल आयात हेतु सहायता उपलब्ध नहीं है।

ऐसे तेल क्षेत्रों में तेल की खोज जिनमें तेल का उत्पादन घट रहा है

*342. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल के बढ़ते हुये मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन देल क्षेत्रों में खोज-कार्य पुनः आरम्भ करने का निर्णय किया है जहां तेल का उत्पादन नहीं हो रहा है अथवा घट रहा है और जहां उक्त कार्य बन्द कर दिया गया था क्योंकि इन क्षेत्रों में तेल का उत्पादन लाभप्रद नहीं समझा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या है जहां उक्त कार्य पुनः आरम्भ किये जाने की संभावना है ; और

(ग) खोज कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में अशोधित तेल प्राप्त होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड के पास रियायती क्षेत्र के अन्तर्गत कोई ऐसे क्षेत्र नहीं है। असम आयल कम्पनी डिग्बोई में अपने छोटे तेल क्षेत्रों से अभी भी तेल का उत्पादन करती है। तथापि डिग्बोई क्षेत्र का उत्पादन प्रतिवर्ष कम हो रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

GUIDELINES FOR FOREIGN COLLABORATION IN PETROCHEMICALS

*343. SHRI M. G. DAGA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether any suitable guidelines have been formulated for foreign collaboration in the field of Petrochemicals;

(b) if so, the points on which particular attention has been given while formulating such guidelines; and

(c) the cases of foreign collaboration in regard to which final decision has been taken during the year 1973 and 1974 and the cases which are yet to be decided ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI D. K. BAROOAH) : (a) and (b) No separate guidelines for foreign collaboration in respect of petrochemicals as such have been formulated.

(c) The total number of foreign technical/financial collaboration cases approved by the Govt. in 1973 and 1974 (Jan/June) were 265 and 226 respectively. Out of these, the foreign collaboration cases pertaining to petrochemicals in 1973 and 1974 (Jan/June) were 6 and 7 respectively. 14 proposals for foreign collaboration for various petrochemical items are under consideration.

वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को भेजे गए विदेशी कम्पनियों के मामले

*344. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1973–74 में तथा वर्ष 1974–75 में 31 जुलाई, तक विदेशी कम्पनियों के कितने मामले एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को भेजे गये तथा इन कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या किसी कम्पनी ने न्यायालय से रोकादेश (स्टे आर्डर) प्राप्त किये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : (क) तथा (ख) कोकाकोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के विषय में, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के लिये, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 31 के अन्तर्गत एक निर्देश के सिवाय, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 में यथा परिभाषित किसी विदेशी कम्पनी का और कोई विषय, 1 अप्रैल, 1973 से 31 जुलाई, 1974 तक की अवधि के मध्य, आयोग को निर्देशित नहीं किया गया था। तथापि, कैडबरी फ्राई (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड तथा दि कालगेट-पामोलिव (इन्डिया) प्राइवेट लि० नामक दो विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों के विषय, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत आयोग को निर्देशित किये गये थे। इन तीन विषयों की बाबत, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई व्यावहारिक लिखित याचिका पर, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में इन विषयों की सुनवाई के लिये इसी मास की विभिन्न तारीखें निर्धारित की गई थीं।

निम्नांकित चार कम्पनियां, जिनमें, प्रदत्त साम्य पूंजी का 50 प्रतिशत या इससे अधिक, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, विदेशी कम्पनियों, उनकी शाखाओं अथवा सहायक कम्पनियों द्वारा या विदेशी नागरिकों अथवा अन्येत्रवासी भारतीयों द्वारा धारित हैं, के विषय एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आधिनियम, 1969 के अध्याय 3 के अन्तगत आयोग को निर्देशित किये गये थे; यथा :—

(1) मै० फिलिप्स इन्डिया लिमिटेड—दो विषय

(2) मै० जे० स्टोन एन्ड कम्पनी (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

(3) मै० लूकास टी० वी० एस० लिमिटेड (मै० लूकास इन्डियन सर्विस लि० तथा लूकास इलेक्ट्रिकल ट्रेक्टर सर्विस लि० का म० लूकास टी०वी०एस० के साथ समामेलन)।

(4) मै० गैब्रीयल इन्डिया लिमिटेड।

रेल नेताओं की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हुई हानि

2294. **श्री मधु लिमये :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि बातचीत के दौरान रेल

नेताओं की गिरफ्तारी तथा उसके परिणामस्वरूप माल ढुलाई 20 दिन तक बंद रहने से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को कितनी हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कितनी-कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) हाल की रेल हड़ताल द्वारा अर्थ व्यवस्था को कितनी हानि हुई है इसका निर्धारण करना संभव नहीं है। लेकिन, अनुमान है कि रेलों को प्रत्यक्षत: लगभग 60 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(ग) हड़ताल द्वारा उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से यातायात के जमाव को दूर करने, रेल सेवाओं के सामान्य संचलन को सुनिश्चित करने तथा सभी स्तरों पर उत्पादकता में सुधार के लिये जोरदार अभियान चलाये गये। बचट-खर्च को घटाने के लिये मितव्ययिता अभियान भी प्रारम्भ किये गये हैं।

'बम्बई हाई' में नए कुओं की खुदाई

2295. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री अनादि चरण दास
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर
श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1974 में 'बाम्बे हाई" में नये स्थानों पर खुदाई शुरू हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दो नये कुएं खोदे गये थे ;

(ग) इन कुओं की खुदाई कब पूरी होने की संभावना है ; और

(घ) क्या स्थायी ड्रिलिंग कम-प्रोडक्शन प्लेटफार्म लगा कर उत्पादन सुविधाएं आरम्भ करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बम्बई हाई में तेल के भंडार की वाणिज्यिक संभाव्यता का पता लगने के बाद ही उत्पादन सुविधाओं के स्थापित किये जाने के बारे में निर्णय लिये जाने की संभावना है।

केरल में रेल सुविधाएं

2296. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुविधाओं के मामले में केरल सब से अधिक पिछड़ा हुआ राज्य है ; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में रेल सुविधाओं में सुधार करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) केरल राज्य में निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन/विचाराधीन हैं :—

(i) एरणाकुलम से तिरुअनन्तपुरम तक 221 कि० मी० की दूरी में 13.60 करोड़ रुपए की लागत से मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम जारी है और अनुमान है कि यह काम 1976 तक पूरा हो जाएगा।

(ii) नागरकोइल के रास्ते तिरुअनन्तपुरम से तिरुनेलवेलि तक एक बड़ी लाइन के निर्माण का काम जारी है जिसकी अनुमानित लागत 14.53 करोड़ रुपए होगी और इसके अन्तर्गत एक शाखा लाइन कन्याकुमारी तक बनायी जाएगी जिसका कुछ भाग केरल राज्य में भी पड़ता है।

(iii) अलेप्पी होकर कायमकुलम से एरणाकुलम तक बड़ी लाइन रेल सम्पर्क बनाने के लिए 1970 में एक सर्वेक्षण किया गया था। प्रस्तावित बड़ी लाइन की लम्बाई 97.0 कि० मी० होगी और उसकी अनुमनित लागत 10 करोड़ रुपए होगी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बनायी जाने वाली प्रस्तावित नई लाइनों में यह लाइन भी शामिल कर ली गई है बशर्ते कि योजना आयोग इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त धन आवंटित कर दे।

गुरुवयूर के रास्ते कुत्तिपुरम से गुरुवायूर तक रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए हाल ही में एक प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई है जिस पर 86,421 रुपए की लागत आएगी।

राजधानी में राशन कार्डों पर साबुन का वितरण

2297. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में साबुन का वितरण राशन कार्डों पर करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ट्राम्बे उर्वरक सन्यन्त्र के लिए विश्व बैंक से ऋण

2298. **श्री पी० गंगादेव**
श्री डी० बी० बेसाई } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र के विस्तार की लागत को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने संबंधी बातचीत पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) हाल ही में इन्टरनेशनल डैवलपमेंट एसोसियेशन के साथ 50 मिलियन डालर के ऋण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें से 33 मिलियन डालर की धनराशि को

ट्राम्बे विस्तार 11/, जिसको 44 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है, के लिए उपयोग किया जाएगा।

कोयला ले जाने वाली विशेष माल गाड़ी का जमालपुर के निकट पटरी से उतर जाना

2299. **श्री रघुनन्दन लाला भाटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला ले जाने वाली एक विशेष माल गाड़ी मुंगेर में जमालपुर रेलवे रेलवे स्टेशन के निकट 14 मई, 1974 को पटरी से उतर गई थी :

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। लेकिन 12-5-1974 को रतनपुर स्टेशन पर, जो जमालपुर स्टेशन के निकट है, अप दिशा से आने वाली कोयले की विशेष मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी।

(ख) और (ग) रतनपुर में यह दुर्घटना बदमाशों द्वारा रेल-पथ के साथ छेड़-छाड़ करने के कारण हुई थी। इस संबंध में जमालपुर कारखाने के दो खलासी गिरफ्तार किए गए हैं।

रेल कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

2300. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

रेल कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुएं रियायती दर पर सप्लाई किये जाने सम्बन्धी योजना कब से लागू की जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : अनाज तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली मात्रा और दर पर करने के लिए रेल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियां अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से उचित मूल्य की और अधिक दूकानें खोलने की सुविधाएं देने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन, इन वस्तुओं को रियायती दर पर सप्लाई करने का कोई विचार नहीं है।

DANGER OF EROSION TO PIPLINES OF BARAUNI OIL REFINERY DUE TO FLOODS IN GANGA

2301. SHRI G. P. YADAV : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether heavy floods in the Ganga river have caused great danger of erosion to the pipelines of Barauni oil refinery; and

(b) if so, the efforts being made by Government to protect this pipeline from erosion ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कम तथा अधिक घनत्व की पोलिथीलीन के निर्माता

2302. **श्री राजा कुलकर्णी**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम घनत्व तथा अधिक घनत्व वाली पौलिथीलीन प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने के काम आने वाले कच्चे माल के निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा उन्होंने वर्ष 1972 तथा 1973 में पौलिथीलीन का कितनी मात्रा में निर्माण किया;

(ख) अनेकों औद्योगिक उपभोक्ताओं के बीच इन उत्पादों के वितरण तथा मूल्य के बारे में सरकार क्या नियंत्रण रखती है; और

(ग) लघु उद्योगों के हितों के कमी को दूर करने तथा बाजार में अधिक मूल्यों तथा काला बाजारी को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

फर्म का नाम	निर्माणित मद	उत्पादन मीट्रिक टनों में	
		1972	1973
मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लि०, बम्बई	एल०डी०पी०ई०	15346	15009
एल्कली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता		12595	13118
मैसर्स पोलिनोलेफिन्स इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई	एच०एच०डी०पी०ई०	19098	23001

(ख) न्यून एवं उच्च घनत्व वाली पोलिथीलीन सहित थर्मोप्लास्टिक रेसिन पर कोई मूल्य एवं वितरण नियंत्रण नहीं है।

(ग) देशीय उत्पादन में वृद्धि करने तथा यथा सम्भव थर्मोप्लास्टिक रेसिन का आयात करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

ईंधन चालित कारखानों द्वारा बनाये गए उर्वरकों के मूल्य सम्बन्धी समिति

2303. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कारखानों की तुलना में जो मशीनें चलाने के लिए नेफ्था प्रयोग करते हैं ईंधन चालित कारखानों की ऊंची उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा बनाए जाने वाले उर्वरकों के लिए एक युक्तिसंगत मूल्य फारमूला निर्धारित करने हेतु सरकार ने हाल ही में कोई समिति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) समिति के निर्देश पद क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल आदि के लिए खुदाई सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय

2304. **श्री मुख्तयार सिंह मलिक**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में किन-किन स्थानों पर तेल आदि के लिए खुदाई सम्बन्धी कार्य चल रहे हैं;

(ख) प्रत्येक खुदाई सम्बन्धी परियोजना पर सरकार ने अब तक कितनी धनराशि व्यय की है; और

(ग) क्या कोई लाभप्रद परिणाम प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस समय 15 स्थानों—9 गुजरात में, अर्थात् अहमदाबाद परियोजना में, अहमदाबाद, सानन्द तथा दक्षिण कादी में, महसाना परियोजना में बारा लिच, उत्तरी कादी, नवांगांव परियोजना में उत्तरी सरखेजा तथा नवागांव और कैम्बे परियोजना में सिसवा, असम में तीन स्थानों अर्थात् लकवा, गेलेकी तथा अमगूरी; त्रिपुरा में बारामुरा; पांडीचेरी में केराइकल तथा राजस्थान में सुमारवाली तलाई में व्यधन कार्य किये जा रहे हैं।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस समय निम्नलिखित स्थानों में अन्वेषणात्मक व्यधन कार्य किया जा रहा है :—

(i) असम के डिबरुगढ़ जिले में जोराजन क्षेत्र (दुम दुमा खनन पट्टे क्षेत्र में)।

(ii) अरुणाचल प्रदेश के तीरप जिले में खारसांग क्षेत्र (निगंरू पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस क्षेत्र)।

(ख) इसकी स्थापना की तारीख से लेकर 31 मार्च, 1974 तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत में सभी व्यधन कार्य सम्बन्धी परियोजनाओं में अन्वेषण तथा विकास व्यधन कार्यों पर 264.33 करोड़ रुपयों का व्यय किया है, जिसका क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

पश्चिमी क्षेत्र में 151.16 करोड़ रुपये;

पूर्वी क्षेत्र में 81.62 करोड़ रुपये;

उत्तरी क्षेत्र में 24.74 करोड़ रुपये; और

दक्षिणी क्षेत्र में 6.81 करोड़ रुपये।

जोराजन तथा खारसांग क्षेत्रों में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किये गये व्यय का अनुमान व्यधन/परीक्षण कार्य की पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेगा।

(ग) जी हां।

व्यधन तथा परीक्षण कार्यों के परिणामस्वरूप तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 31 तेल/गैस-युक्त क्षेत्रों—25 गुजरात में तथा 6 असम में—की खोज की है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में खोदे गए कम गहरे कुएं में और हिमाचल प्रदेश में खोदे गए गहरे कुएं में गैस की थोड़ी सी मात्राओं के संकेत प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरा में एक कुएं, जिसमें अभी व्यधन कार्य किया जा रहा है, में भी गैस की विद्यमानता के उत्साहबर्धक चिह्न प्राप्त हुए हैं। खम्भात की खाड़ी में खोदे गए एक अतटीय गहरे कुएं में तेल की विद्यमानता का संकेत मिला है लेकिन यह वाणिज्यिक मात्रा में नहीं है। पिछले महीनों में बम्बई हाई अतटीय संरचना में तेल की वाणिज्यिक मात्रा की विद्यमानता एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। अब तक किये गये अन्वेषी व्यधन के परिणामस्वरूप तेल तथा गैस के मिलने वाले भडारों का अनुमान क्रमशः 108 मिलियन मीटरी टन तथा 25,000 घन मिलियन है।

आयल इंडिया लिमिटेड के जोराजन तथा खारसांग कुओं में अभी तक वाणिज्यिक महत्व की कोई संभावनाएं स्थापित नहीं की गई हैं।

मद्रास-स्थित तेलशोधक कारखाने के विस्तार के लिए ईरान के साथ समझौता

2305. **श्री अरबिन्द एम० पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित तेलशोधक कारखाने का विस्तार करने के बारे में ईरान और भारत के बीच एक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या इस तेलशोधक कारखाने की क्षमता में वृद्धि करना भी इस समझौते का उद्देश्य है?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) इन्डो ईरानियन ज्वाइन्ट कमीशन (भारत-ईरान के संयुक्त आयोग) में विचार-विमर्श के दौरान मद्रास शोधनशाला के विस्तार के सम्बन्ध में एक करार सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में तकनीकी अध्ययन किये गये हैं।

बम्बई में कर्जत के निकट रेल दुर्घटना

2306. **श्री पी० गंगादेव**
श्री डी० डी० देसाई
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में 13 मई, 1974 को कर्जत के निकट कोई रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे;

(ग) कितने व्यक्ति मारे गए; और

(घ) क्या मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा अदा किया गया है?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना के कारण की अभी जांच की जा रही है।

(ग) इस दुर्घटना में 9 व्यक्ति मारे गए थे।

(घ) मृत व्यक्तियों के परिवारों को भारतीय रेल अधिनियम, 1890 अथवा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। किन्तु अनुग्रह के रूप में कुछ भुगतान किया गया है।

दिल्ली के न्यायालयों में लम्बित मकानों के किराये सम्बन्धी मामले

2308. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली के न्यायालयों में मकान किराये से सम्बन्धित 10,000 से अधिक मामले लम्बित हैं;

(ख) ये मामले कब से लम्बित हैं;

(ग) क्या वकीलों के पास काम अधिक होने और बार-बार तारीख दिये जाने के कारण ये मामले इतने लम्बे समय से चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि ऐसे मामलों में एक बार से अधिक तारीख न मिले और इनका निर्णय शीघ्र हो?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं। 31-7-74 को दिल्ली के न्यायालयों में मकानों के किराये सम्बन्धी लम्बित मामलों की संख्या 6067 थी।

(ख) पूर्वोक्त 6067 मामलों में से 1528 मामले एक वर्ष से अधिक समय से और 979 मामले दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं।

(ग) मामलों के लम्बित रहने के विभिन्न कारण हैं। इनमें से कुछ कारण हैं-- मामलों का स्थगन और अक्सर वकीलों का अन्य मामलों में पहले से ही व्यस्त होना।

(घ) दिल्ली न्यायिक सेवा के काडर में पदों की संख्या बढ़ाने और किराया नियंत्रण से सम्बन्धित कार्य में और अधिक अधिकारियों को लगाने के प्रश्न जांच की जा रही है।

केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में रेलवे लाइनें

2309. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के निर्माण के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित रेलवे लाइनों की मुख्य बातें क्या हैं तथा उसके लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है; और

(ग) इन रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा?

रेल मन्त्रालय मे उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) केरल के तटीय क्षेत्रों में अंशत:/पूर्णतया पड़ने वाली निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं :—

(i) एरणाकुलम से तिरुवनंतपुरम तक मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव। लम्बाई 221 कि० मी०, लागत 1360 लाख रुपये, पूरा होने की निर्धारित तिथि मार्च, 1976।

(ii) कन्याकुमारी तक शाखा लाइन सहित नागरकोइल होकर तिरुवनंतपुरम से तिरुनेलवेलि तक नयी बड़े आमान की लाइन का निर्माण। लम्बाई 164 कि० मी०, लागत 1454 लाख रुपये। पूरा होने की निर्धारित तिथि 1976-77।

(iii) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में बनने वाली रेल लाइनों की सूची में, एलेप्पी होकर एरणाकुलम से कायमकुलम तक एक नयी लाइन के निर्याण की परियोजना, जिसका हाल ही में सर्वेक्षण पूरा हुआ है, शामिल की गयी है, बशर्ते कि योजना आयोग इस काम के लिए अतिरिक्त निधियां आबंटित करे।

केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण

2310. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों के निर्माण हेतु कितनी बार, किन-किन तिथियों को तथा किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) इन सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में दिये गए प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इनको क्रियान्वित करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी-आर्थिक सर्वेक्षण करना स्वीकार कर लिया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) निम्नलिखित रेलवे लाइनें, जो अंशत: या पूर्णत: केरल के तटवर्ती क्षेत्र में पड़ती हैं, के सर्वेक्षण किये गये हैं :—

(i) **तेल्लिचेरि से मैसूर-नयी रेलवे लाइन (236.33 कि० मी०)**

कुर्ग के रास्ते मैसूर और तेल्लिचेरी के बीच 142 मील लम्बे रेल सम्पर्क का टोह-एवं इंजीनियरी सर्वेक्षण 1901 में पूरा किया गया था। उसका यातायात सर्वेक्षण भी 1902 में किया गया था लेकिन, तत्कालीन राज्य सरकार ने, इस लाइन की लागत पर भारत सरकार द्वारा अपेक्षित 4% व्याज की गारंटी नहीं दी, अत: इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया।

फिर, जनता की निरंतर मांग के फलस्वरूप 1956-57 में इसका इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया। यह परियोजना छोड़ दी गयी क्योंकि प्रस्तावित लाइनें वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद थीं।

(ii) एलप्पी के रास्ते एरणकुलम से कायमकुलम तक लम्बाई 97 कि० मी० (बड़ी लाइन)

इस लाइन के लिए 1970 में किये गये यातायात सर्वेक्षण से मालूम हुआ था कि यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद रहेगी। फिर भी, इस प्रस्ताव को, देश के पिछड़े क्षत्रों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनायी जाने वाली रेलवे लाइनों की सूची में इसे शामिल कर लिया गया है बशर्ते योजना आयोग इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त धन का आबंटन करे।

(iii) गुरुवयूर के रास्ते कुट्टीपुरम से त्रिचूर तक

गुरुवयूर के रास्ते कुट्टीपुरम से त्रिचूर तक एक नयी रेलवे लाइन के लिए इंजीनियरिंग-यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के परिणाम ज्ञात हो जाने और उसकी जांच कर लिये जाने के बाद, इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा।

(iv) एरणाकुलम-कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम (बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन)

इस परियोजना के लिए इंजीनियरिंग और यातायात का प्रारम्भिक सर्वेक्षण 1969 में किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर आमान परिवर्तन की मंजूरी दे दी गयी है और यह काम हो रहा है।

(v) कन्या कुमारी तक एक शाखा लाइन सहित तिरुनेलिवेलि—नागरकोयल तिरुवनन्तपुरम लम्बाई 183.95 कि० मी०

तिरुवनन्तपुरम-तिरुनेलिवेलि और कन्याकुमारी के बीच एक मीटर लाइन के लिए पहली अक्तूबर, 1955 से 30 जून, 1956 तक यातायात सर्वेक्षण किया गया था। वह प्रस्ताव छोड़ दिया गया क्योंकि सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि यह लाइन वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद होगी।

नागर कोयल से कन्याकुमारी तक एक शाखा लाइन सहित तिरुनेलिवेलि से तिरुवनन्त-पुरम तक एक रेलवे लाइन की प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण का आदेश 2.49 लाख की लागत पर 15-5-63 को दिया गया। जब यह सर्वेक्षण चल ही रहा था तभी 24-3-66 को यातायात सर्वेक्षण का आदेश दे दिया गया।

1969 में रेलवे बोर्ड ने अपनी यह स्वीकृति भेजी कि तिरुनेलिवेलि-कन्याकुमारी-तिरुवनन्तपुरम मीटर लाइन रेलवे को पहली रिपोर्टों को अद्यतन किया जाये और एक वैकल्पिक बड़ी लाइन के लिए नया सर्वेक्षण किया जाये। सर्वेक्षण रिपोर्टें बोर्ड को 1970 में पेश की गयी और 164 कि० मी० लम्बी बड़ी लाइन के रूप में निर्माण की परियोजना की स्वीकृति 1972 में दी गई। इस पर काम हो रहा है।

केरल में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

2311. **श्रीमती भार्गवी** तनकप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एरणाकुलम से तिरुवनन्तपुरम तक 221 किलोमीटर लम्बी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। अनुमान है कि इस काम पर 1360 लाख रुपये की लागत आयेगी और इसे 1976 तक पूरा कर लिया जायेगा।

भरवाई, गगरेट, मदौन ज्वालामुखी और प्रागपुर (हिमाचल प्रदेश) में आऊट एजेन्सियां पुनः खोलना

2312. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भरवाई, गगरेट, मदौन, ज्वालामुखी और प्रागपुर में आउट एजेंसियां पुनः खोलने सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : यातायात की सम्भावना बहुत कम होने के कारण इन आउट एजेंसियों का ठेका लेने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है इसलिए ये आउट एजेंसियां बन्द रहती हैं।

समस्तीपुर-दर भंगा लाइन को बड़ी लाइन (ब्राड गेज) में बदलना

2313. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जायेगा और झंझारपुर तथा लौकहा के बीच नई मीटर लाइन बनाई जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या नई झंझारपुर–लौकहा लाइन को भी बड़ी लाइन बनाया जा रहा है ताकि दरभंगा और झंझारपुर के बीच थोड़े से परिवर्तन से नेपाल की सीमा पर स्थित लोनकहा बाजार का शेष देश के साथ सीधा सम्पर्क हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) पूर्व-पश्चिम के बीच सीधा मीटर लाइन सम्पर्क बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है।

समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना और झंझारपुर—लौकहा नई लाइन का बिछाया जाना

2314. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री समस्तीपुर दरभंगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में 5 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1866 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को ब्राड गेज लाइन में और झंझारपुर-लौकाहा लाइन बिछाने का काम आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस काम में कितनी प्रगति हुई है और इसको पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या दरभंगा-रक्सौल मीटर लाइन को बदलने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) झंझारपुर-लौकहा रेल लाइन बनाने का कार्य शुरु हो गया है; समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम इस वर्ष हाथ में लिया जाएगा।

(ख) इस काम के पूरा होने में लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा।

(ग) अभी नहीं।

(घ) उत्तर के भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी फर्मों को तट से दूर तेल की खोज के लिए ठेका दिया जाना

2315. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री पी० वेंकटासुब्बया } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी फर्मों को भारतीय महाद्वीपीय मग्नतट में दो और तटवूर बेसिनों पर तेल की खोज के लिए ठेके देने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं और ठेके की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विदेशी फर्मों के साथ ये ठेके देश के लिये कहां तक लाभदायक होंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) कुछ अतटीय क्षेत्रों के लिये ठेके दिये जाने के संबंध में प्रारंभिक विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस समय संबंधित पार्टियों के नाम बताना जनहित में नहीं है।

(ग) अधिक से अधिक लाभकारी शर्तें प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

EMPLOYEES ARRESTED IN WESTERN RAILWAY

2316. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the total number of employees arrested in Western Railway during the strike by railway employees from 8th May, 1974;

(b) the number of employees out of them released so far; and

(c) the number of employees being prosecuted at present ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS : (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) 6922.

(b) 6922.

(c) 4024.

TRAINS CANCELLED IN NORTH EASTERN RAILWAY IN MAY, 1974

2317. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government had cancelled running of some trains in North Eastern Railway in May, 1974;

(b) if so, the number thereof and the reasons therefor; and

(c) the estimated loss suffered by Government thereby ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) Yes.

(b) During May, 1974, on an average about 88 pairs of passenger carrying trains and 177 goods trains were cancelled daily because of the strike.

(c) The estimated loss on this account is about Rs. 1.50 crores.

REINSTATEMENT OF DISMISSED AND SUSPENDED EMPLOYEES ON WESTERN RAILWAY

2318. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of employees in Western Railway who were dismissed and suspended from service, separately during the Railway strike which began on the 8th May, 1974 ; and

(b) the number of employees out of them who have been reinstated since then ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) :

(a)	(i) No. of permanent employees dismissed/removed from service	1,436
	(ii) No. : of employees suspended	3,431
(b)	(i) No. : out of those at (a)(i) reinstated so far	538
	(ii) No. out of those at (a)(ii) taken back to duty so far	3,304

EMPLOYEES PARTICIPATED IN STRIKE ON WESTERN RAILWAY

2319. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of permanent and temporary employees at present in the Western Railway;

(b) the number of employees who took part in the Railway Employees' Strike resorted to since 8th May, 1974; and

(c) the number of those who attended to their duties ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS : (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) 1,83,757.

(b) 72,581.

(c) The number of staff who did not participate in the strike—1,11,176.

एस्सो के साथ हुए करार के पूरे पाठ का प्रकाशन

2321. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का एस्सो के साथ हुए करार के पूरे पाठ का प्रकाशन कब तक करने का विचार है;

(ख) क्या उसमें कुछ ऐसे खण्ड है जो भारतीय हितों के विरुद्ध हैं ;

(ग) क्या बर्मा शैल के साथ करार को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(घ) यदि नहीं, तो बातचीत किस स्थिति में है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जनहित में सरकार एस्सो के साथ किये गये करार के पूरे विषय को प्रकाशित करने का विचार नहीं रखती ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) बातचीत शुरू हो गई है ।

जी० एस० पी० सी० और आई० पी० सी० एल० के संयंत्रों में

कैप्रोलैक्टम और डी० एम० टी० के उत्पादन में विलम्ब

2322. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० एस० पी० सी० और आई० पी० सी० एल० के संयंत्रों में कैपोलैक्टम और डी० एम० टी० के उत्पादन में अग्रेतर विलम्ब हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ।

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी नहीं । ये संयंत्र अब उत्पादन कर रहे हैं ।

अशोधित तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों का आयात

2323. **श्री मधु लिमये**
श्री बनमाली पटनायक } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में कुल कितने टन अशोधित तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया ;

(ख) इनमें से प्रत्येक मद की विदेशी मुद्रा की कीमत में प्रति टन कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) रुपया क्षेत्र वाले देशों से आयात की गई मदों की रुपयों में प्रति-टन कीमत क्या थी ; और

(घ) वर्ष 1974-75 के लिए इन वस्तुओं के आयात के लिये किये गये वायदा ठेकों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इन वर्षों में कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों की निम्नलिखित मात्रा आयात की गई :—

(मिलियन मीटरी टनों में)

मद	1972-73	1973-74
(i) कच्चा तेल	12.08	14.07
(ii) पेट्रोलियम उत्पाद	3.72	3.01

(ख) वर्ष 1972-73 की तुलना में 1973-74 में आयात के० सी० आई० एफ० मूल्य में जो औषतन वृद्धि हुई वह कच्चे तेल के लिए 184.24 रुपये प्रति मीटरी टन और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए 217.75 रुपये प्रति मीटरी टन आती है।

(ग) इन क्षेत्रों से किये जाने वाले आयात के बारे में मूल्यों की दर बताना न तो भारतीय तेल निगम के वाणिज्यिक हित में और न ही जनहित में होगा।

(घ) कच्चे तेल तथा कुछ पेट्रोलियम उत्पादों के आयात हेतु भारतीय तेल निगम ने कुछ तेल उत्पादक देशों के साथ समझौता किया है। विदेशी तेल कंपनियां अपने सप्लायरों के साथ की गई व्यवस्था के आधार पर कच्चे तेल का आयात करती है।

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोडा एश का उत्पादन

2324. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 से सोड़ा-एश का उत्पादन नहीं बड़ा है जबकि मांग निरन्तर बढ़ रही है ;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में मांग तथा उत्पाद में वार्षिक -वृद्धि का कोई अनुमान लगाया है ;

(ग) क्या उत्पादन न बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि वर्ष 1970 से जिन फर्मों को आशयपत्र जारी किये गये न तो उन्होंने उत्पादन आरम्भ किया है और न ही उत्पादन करने वाली वर्तमान फर्मों की क्षमता का विस्तार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) गत कुछ वर्षों में सोडा राख का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :—

वर्ष	उत्पादन
1969 . .	4,21,972
1970	4,46,444
1971	4,82,993
1972	4,88,572
1973	4,73,132

1973 में उत्पादन में हुई कमी का कारण मुख्यत: बिजली की कटौतियों तथा ठोस कोक भट्टों के तेल आदि की अपर्याप्त अनुपलब्धि थी। अकार्बनिक रसायन के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल के अनुसार इस रसायन की आगामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर पर्याप्त समझी गई है।

1974 के दौरान उत्पादन के 5.5 लाख मीटरी टन तक बढ़ जाने की संभावना है क्योंकि मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० मीथापुर में 1.1 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता में उत्पादन होना शुरू हो गया है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रस्तावित क्षमता तथा उत्पादन लक्ष्य क्रमश: 11 लाख मीटरी टन तथा 8.8 लाख मीटरी टन है। औद्योगिक लाइसेंसों द्वारा पहले से ही मंजूर की गई क्षमता 6.92 लाख मीटरी टन है जिसमें से 6.18 लाख मीटरी टन क्षमता स्थापित हो चुकी है। 6.24 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता आशयपत्रों द्वारा पूरी की गई है जो औद्योगिक लाइसेंसों द्वारा पूरी की गई क्षमता के साथ मिलाकर कुल 13.16 लाख मीटरी टन हो गई है।

उत्पादन करने वाली वर्तमान फर्मों को अपनी क्षमताओं में निम्नलिखित रूप से विस्तार करने की अनुमति दी गई है :—

(i)	मैसर्स टाटा कैमिकल्स	1.4 लाख मीटरी टन
(ii)	मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स	1.0 लाख मीटरी टन
(iii)	मैसर्स धरंगधरा कैमिकल्स वर्कस	0.15 लाख मीटरी टन

तटवर्तीय क्षेत्रों में पुन: खोज कार्य करने हेतु विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा मांगी गई अनुमति

2325. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों ने उन तटवर्ती क्षेत्रों में पुन: खोज कार्य करने हेतु सरकार की अनुमति मांगी है जिन्हें भारतीय अधिकारियों ने छोड़ दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं और उन्होंने कौन-कौन से क्षेत्रों के लिए अनुमति मांगी है तथा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे हड़ताल के दौरान रद्द की गयी गाड़ियां

2326. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की रेलवे हड़ताल के दौरान कितनी गाड़ियां रद्द की गयीं ; और

(ख) उन गाड़ियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक पुन: चलाया नहीं गया है और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेल हड़ताल के दौरान 578 जोड़ी गाड़ियों का चलना रद्द कर दिया गया था। इस समय केवल 133 जोड़ी गाड़ियों का चलना निलम्बित है। इन गाड़ियों को फिर से चलाने के बारे में रेल प्रशासन सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं और आशा है कि इनमें से कुछ गाड़ियों को शीघ्र ही फिर से चला दिया जायेगा।

नायलोन यार्न के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना

2327. **श्री पी० गंगादेव**
श्री श्रीकिशन मोदी
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नायलोन यार्न के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई अन्तर मंत्रालयों विचार-विमर्श हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) विभिन्न संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्य, जैसे देश में नाइलोन धागा उद्योग का समग्र विकास तथा नाइलोन संयंत्रों के लिए विदेशी प्रोद्योगिकी का आयात, विचाराधीन है।

अरुणाचल प्रदेश में तेल भंडारों से तेल निकालना

2328. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अरुणाचल प्रदेश के तेल भंडारों से तेल निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : आयल इण्डिया लिमिटेड वर्तमान में खरसंग कूप नं० 2 में अन्वेषी व्यधन कार्य कर रही है 1974–77 की अवधि में कम्पनी का अरुणाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष एक कूप व्यधन करने की दर से 4 अन्वेषी कूपों के व्यधन करने का प्रस्ताव है ।

एल्लप्पी होते हुए कोचीन से कायमगुलाम तक रेल लाइन बिछाने के लिए स्लीपर देने का केरल सरकार का प्रस्ताव

2330. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री सी० जनार्दनन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि केरल सरकार ने एल्लप्पी होते हुये कोचीन के कायमगुलाम तक रेल लाइन बिछाने के लिये रेलवे को निःशुल्क भमि तथा रेलवे स्लीपर देने का प्रस्ताव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस नये प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुये रेल लाइन बिछाने सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) एरणाकुलम से एल्पी तक लाइन के निर्माण के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा लाइन के साथ की सरकारी जमीन और आवश्यक स्लीपर मुफ्त दिये जाने का प्रस्ताव अभी एक सप्ताह पहले प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

भारत में बहुराष्ट्रीय निगम की शाखाएं

2331. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बहुराष्ट्रीय निगम की कितनी शाखाएं काम कर रही हैं और उनके साथ किन-किन भारतीय फर्मों के सम्बन्ध हैं ;

(ख) इन बहुराष्ट्रीय निगमों की कितनी पूंजी इन फर्मों में लगती है ;

(ग) इन मूल बहुराष्ट्रीय निगमों और इन भारतीय फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(घ) भारत में इन बहुराष्ट्रीय निगमों पर सरकार किस प्रकार का नियंत्रण रखती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) 31-3-1971 तक भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की कार्य कर रही 217 सहायकें हैं। भारतीय निगमित निकायों द्वारा इन सहायकों में धारित शेयरों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने 31-3-1971 तक 217 सहायकों की शेयर पूंजी में 179.78 करोड़ की राशि लगाई है।

(ग) मूल बहुराष्ट्रीय निगमों का उनकी सहायकों के नामों सहित, नाम विवरण-पत्र/अनुलग्नक में दिये जाते हैं। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8178/74)**

(घ) सम्पूर्ण राष्ट्रीय हितों के अनुकूल निजी विदेशी मुद्रानिवेश के सम्बन्ध में सरकार की नीति अभी हाल में विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 द्वारा हद बनाई गई है। उस अधिनियम की धारा 28 और 29 के अन्तर्गत विदेश में निगमति कम्पनियों की शाखाओं तथा भारतीय कम्पनियां जिनका 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी धारण है, कार्य करने या अभिकर्त्ता या तकनीकी या प्रबन्ध सलाहकारों के रूप में नियुक्तियां स्वीकार करने या अन्यों को व्यापार करने वाणिज्यि या औद्योगिक प्रकृति की विद्यमान व्यापारिक गतिविधियों के संचालन हेतु अपने व्यापारिक चिन्ह के प्रयोग के लिए और भारत में नवीन शाखाओं की स्थापना के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

रेल मन्त्रालय द्वारा रेलवे कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का सर्वेक्षण

2332. **श्री समर गुह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने हाल ही के वर्षों में अथवा पूर्व में (i) व्यर्थ व्यय (ii) भ्रष्टाचार (iii) वर्कशाप अथवा अन्य उत्पादक एककों अथवा मरम्मत एककों में उत्पादन क्षमता के अपयोजन और (iv) कार्यालय कार्य और प्रशासन से संबंधित अन्य कार्यों में अधिकतम अनुज्ञेय क्षमता के उपयोग में कमी और रेलवे के कार्यकरण का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या सरकार ने आय सुधारने और रेलवे के विकास कार्यक्रम से भिन्न व्यय को घटाने के लिये कोई प्रयास सोचे हैं ; और

(ग) किराये अथवा भाड़े में वृद्धि किये बिना रेलवे की अर्थ व्यवस्था सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (i) फिजूल खर्ची यदि है, तो किस सीमा तक है यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लेकिन, वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत निधि के आवंटन की तुलना में किये गये व्यय की समीक्षा करने की व्यवस्था है तथा नयी परियोजनाएं चालू करने से पहले उनके संपूर्ण वित्तीय फलितार्थों का हिसाब लगाया जाता है। प्राक्कलनों की तुलना में वस्तुतः कितना लाभ हुआ इसका पता लगाने के लिए चयनात्मक आधार पर उत्पादकता परीक्षण किये जाते हैं।

(ii) भ्रष्टाचार को निर्मूल करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने और कार्य विधि की खामियों को दूर करने के उपाय ढूंढने तथा नियमों की त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय रेलों में व्याप्त भ्रष्ट आचरणों के स्वरूप और उसकी सीमा का अध्ययन वस्तुतः एक सतत प्रक्रिया है जिसका परिपालन सभी क्षेत्रीय रेलों तथा रेल मंत्रालय में सुस्थापित सतर्कता संगठनों द्वारा निवारक जांच-पड़ताल के माध्यम से किया जाता है। रेल मंत्रालय द्वारा हाल में अलग से ऐसा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(iii) सभी रेलों के मरम्मत कारखानों और उत्पादन यूनिटों के कार्यभार तथा उत्पादकता की देखभाल मुख्यालयों तथा रेलवे बोर्ड के स्तर पर सावधानी-पूर्वक की जाती है। कारखानों के बीच कार्यभार का युक्ति युक्तकरण भी किया जाता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कारखानों की क्षमता का पूरा-पूरा और कुशलता के साथ उपयोग किया जा रहा है। यदि युक्तियुक्त-करण भी किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कारखानों की क्षमता का पूरा-पूरा और कुशलता के साथ उपयोग किया जा रहा है। यदि युक्तियुक्तकरण संभव नहीं होता तो उनके कार्यों में परिवर्तन कर दिया जाता है। फिलहाल, न तो रेलवे मरम्मत कारखानों में और न उत्पादन यूनिटों में कारखाना क्षमता का अपूर्ण उपयोग हो रहा है।

(iv) रेलों पर कार्यालय संबंधी काम में लगे हुए संस्थापनों और प्रशासन-कार्य संभालने वाले अन्य कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों के पूरे उपयोग में कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) : भंडार और सामान के उपयोग, आकस्मिकता, यात्रा-भत्ता, दैनिक भत्ता, पेट्रोल की खपत, खोये या क्षतिग्रस्त माल की क्षतिपूर्ति आदि जैसे शीर्षकों को अन्तर्गत व्यय पर नियंत्रण के लिए जोरदार उपाय किये जा रहे है। चलस्टाक की मरम्मत पर लगनेवाले समय और टर्मिनलों तथा यार्डों में होने वाले विलम्ब को कम करके इसके उपयोग में सुधार करने के उद्देश्य से अध्ययन प्रारम्भ किय गये हैं। बजट व्यवस्था के अन्तर्गत नकदी खर्च को विनियमित करने के लिए राजकोष नियंत्रण प्रणाली प्रारम्भ की गयी है।

EXTENSION OF PERIOD OF MORATORIUM ON STRIKES IN RAILWAYS

2333. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the reasons why the period of moratorium on strikes in the Railways has been increased by six months only and the basis thereof; and

(b) whether Government consider Railways as an essential service and if so, whether Government will adopt strong attitude in regard to moratorium on strikes in the Railways ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and (b). The Industrial Disputes Act provides the circumstances in which a strike would be illegal in a public utility service and for this purpose Railways are included as one of the public utility services. Over and above, these provisions, the Defence of India Act and the Rules made thereunder empower the Central or the State Government, as the case may be, to make provisions for prohibiting strikes for maintaining among other things, supplies and services essential to the life of the community.

Strikes are prohibited on the Railways at present for a period of 6 months which expires on 26-11-74 by which date the position will be reviewed to see whether the prohibition should continue for any further period. Government will take all measures to see that the essential services are not disrupted and take necessary action at the appropriate time.

दमनकारी उपायों के विरुद्ध दमन विरोध दिवस

2334. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की देशव्यापी रेल हड़ताल के बाद रेलवे प्रशासन द्वारा अपनाये गये दमनकारी उपायों का विरोध करने के लिये रेलवे कर्मचारियों ने 18 जून को समस्त देश में "दमन विरोधी दिवस" मनाया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) इस संबंध में सरकार को औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन 18 जून, 1974 को "उत्पीड़न विरोध दिवस" मनाये जाने की रिपोर्ट अवश्य मिली थी ।

THEFT OF COAL AND RAILWAY PROPERTY FROM GARHARA RAILWAY YARD, BARAUNI JUNCTION, TILRATH, BARAUNI FLAG AND TEGHRA STATION

2335. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have seen the press reports that theft of coal and Railway property is committed in broad day light in collusion with Railway Officers at Garhara Railway Yard, Barauni Junction, Tilrath, Barauni flag and Teghra Station and no action is taken despite complaints;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to check this ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) Yes, during the period January—July 1974, some cases of theft of booked consignments, railway material and fittings and coal have occurred at Garhara, Barauni Junction, Tilrath as also in Barauni Jn.—Teghra & Barauni Jn.—Tilrath Sections. In none of these cases, connivance of Railway employees has come to light so far. Intensive preventive and protective measures have been adopted in this area to protect railway property.

(b) Crime on a particulr Section of the Railway forms part of the general law and order and crime situation of that part of the country. The country side around the stations mentioned is usuallly highly prone to crime.

(c) Despite adverse law and order situation in the area, effective measures for preventing crime such as escorting of trains and guarding of black spots are being taken in close co-operation with the State Government. Strict vigilance over the affected Sections is also being kept by Officers.

As a result of the action taken by the State Government agencies and the railway administration 53 criminals have been arrested in this area during January—July 1974 and substantial recoveries of stolen property made.

ALLEGED SALE OF 20 BAGS OF COAL NEAR GHOGARDIHA STATION (N. E. RAILWAY).

2336. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have seen the press reports that 20 bags of coal meant for engine were sold near Ghogardiha Station (N. E. Railway) on the 18th June, 1974 with the connivance of the Station authorities;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the action taken by Government to check these thefts ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) Yes.

(b) The local public has lodged three complaints alleging thefts of coal with the connivance of railway drivers in Ghogardiha—Nirmali Section. The Station Master Ghogardiha has forwarded the complaints to the Divisional Supdt. Samastipur where the matter is under enquiry.

(c) To check such thefts, effective vigilance and preventive measures have since been taken.

THEFT OF FOODGRAINS AND OTHER COMMODITIES IN GOODS TRAINS IN DHANBAD DIVISION AND PAHARPUR STATION

2337. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have seen the press reports that theft of foodgrains and other commodities was committed in the goods train on Grand Chord line in Dhanbad Division and also in goods trains at Paharpur station in June 1974;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the steps taken by Government for preventing such thefts ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) Yes, The report, however, did not mention any case of theft at Paharpur Station during June 1974.

(b) During the month of June 1974, 5 cases of theft of booked consignment from running goods trains involving loss of property were reported from the Grand Chord Section.

One case of theft also occurred at Parsabad railway station in which full recovery of stolen property with the arrest of one criminal was made. In addition to this, in raids and searches conducted by them, the RPF of the area recovered stolen property valued at about Rs. 10,000/- and arrested 22 criminals during June 1974.

(c) Besides escorting of goods trains, posting of pickets, collection of intelligence, liaison with the police, supervision over the staff has been intensified.

Frequent raids in conjunction with the police are being organised for controlling crime and arresting criminals. The Chief Security Officer, Eastern Railway has also paid a visit to Dhanbad on 18-6-1974 and has suitably guided local officers on crime control and for planning action against criminals and receivers of stolen property.

कर्नाटक को डीजल तेल का नियतन

2338. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों, में, महीनेवार, कर्नाटक राज्य के लिये डीजल तेल का कितना नियतन किया गया है ; और

(ख) इसी अवधि के दौरान राज्य को सप्लाई किय गये डीजल तेल की वास्तविक मात्रा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : मिट्टी के तेल को छोड़ कर सभी पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई मूल्य निर्धारण तथा सप्लाई क्षेत्रों के आधार पर की जाती है। य आंकड़े राज्य-वार आधार पर नहीं बनाये जाते।

कुछ अस्थाई स्थानीय कमियों को छोड़कर कर्नाटक में डीजल तेल की मांग अब तक पूर्ण रूप से पूरी की गई है ।

पी० वी० सी० बनाने के लिए नेप्था के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

2339. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० वी० सी० बनाने की क्षमता का विस्तार करने के लिये सरकार ने नेप्था के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पी० वी० सी० कारखानों को क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या वैकल्पिक उपाय किये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) स (ग) : ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है लेकिन भविष्य में अनेक आवश्यक प्रयोगों हेतु नेप्था की उपलिब्धि को ध्यान में रखते हुए, कैलसियम कारबाईड पर आधारित पी० वी० सी० के उत्पादन को प्रोत्साहन देना आवश्यक समझा जाता है ।

PROPOSALS TO SET UP A BENCH IN COURTS AND SUPREME COURT FOR DISPOSAL OF LABOUR CASES

2340. SHRI SHRIKRISHNA AGRAWAL : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to set up a bench in every High Court and the Supreme Court for the disposal of labour cases; and

(b) if so, the salient features thereof ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE) : (a) & (b). There has practically always been a Bench in the Supreme Court for the hearing of labour matters in addition to certain other specially directed appeals requiring expeditious disposal. The question of setting up special Bench for disposal of labour cases pending in the various High Courts is under examination.

मजगांव डांक्स को फिक्स्ड प्लेट फार्म के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दिया गया आर्डर

2341. **श्री के० मौलाना :** क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक फिक्स्ड प्लेटफार्म के लिये मजगांव डांक्स को आर्डर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्यों संबंधी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस प्लेटफार्म के कब तक लगाये जाने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) जी नहीं । इस संरचना पर प्रथम कूप से प्राप्त होने वाले तेल का और अच्छा मूल्यांकन करने के लिए बम्बई हाई में अतिरिक्त कूपों के व्यधन करने के बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा ।

मयूरभंज (उड़ीसा) बनिक संघ, बारीपेदा के सचिव से अभ्यावेदन

2342. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूरभंज (उड़ीसा) बनिक संघ, बारीपेदा से इस सैक्शन के यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पिछड़े क्षेत्र में नैरो गेज लाइन को ब्राड गेज में बदलने के लिये सरकार के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र में जिला मयूरभंज में रूपसा-तालबंद छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण पहले हीं पूरा किया जा चुका है और उसकी रिपोर्ट की जांच की जा रही है। रिपोर्ट की जांच का काम पूरा हो जाने तथा उसके परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही इस लाइन के आमान परिवर्तन के संबंध में कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

झींगामछली वाले क्षेत्रों में तेल की विद्यमानता

2343. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक झींगा मछली पाये जाने वाले क्षेत्रों का, उन क्षेत्रों में तेल के विद्यमान होने से घनिष्ठ सम्बन्ध है ;

(ख) क्या सरकार को पता है झींगा मछली वाले क्षेत्रों–मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी सारवाक तथा बोर्नियो, में बहुत अधिक तेल था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के पश्चिम तट पर विशेषतया केरल तट पर, जहां बहुत अधिक झींगा मछली पायी जाती है तेल भंडार विद्यमान होने की संभावना का पता लगाने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) किसी प्रमाणिक वैज्ञानिक कारण के बिना यह एक निरा संयोग है ।

(ग) केरल के अतटीय क्षेत्र में शीघ्र ही तेल की खोज करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गुरुवयूर होकर त्रिचूर-कुट्टीपुरम् के बीच रेल लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण

2344. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे निर्माण अनुभाग ने गुरुवयूर होकर त्रिचूर-कुट्टिपुरम् के बीच रेल-लाइन के निर्माण हेतु यातायात सर्वेक्षण के लिए प्राक्कलन प्रस्तुत कर दिया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त प्राक्कलन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) गुरुवयूर के रास्ते कुट्टीपुरम् से त्रिचूर तक रेल लाइन के निर्माण के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात के सर्वेक्षण के लिए अभी हाल ही में अनुमान की मंजूरी दी गई है । इस सर्वेक्षण पर 86,421 रुपए की लागत आएगी । सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मिलने और उसकी जांच के परिणाम मालूम होने के बाद ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ।

अशोधित तेल और इसके उत्पादों का आयात

2345. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों से अशोधित तेल तथा इसके उत्पादों के आयात के बारे में नवीनतम् आंकड़े क्या है ;

(ख) ऐसे आयात के लिए कितना मूल्य दिया गया है अथवा दिया जाएगा ;

(ग) क्या भारत से बाहर देशों में अशोधित तेल की खोज के लिए संयक्त प्रयास किए जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या अशोधित तेल की यह खोज देश के अशोधित तेल संसाधनों में वृद्धि करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) वर्ष 1974 के प्रथम चार महीनों में आयातित अशोधित तेल के अंतरिम आंकड़े इस प्रकार हैं :—

देश	मात्रा (लाख मी० टनों में)
ईरान	2.75
ईराक	0.91
सऊदी अरब	1.53
जोड़	5.19

उसी अवधि में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की मात्रा 1.05 मिलियन मी० टन है। (ख) : अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के सी० आई० एफ० मूल्य की रकमें क्रमश : 326.92 करोड़ रुपए और 78.96 करोड़ रुपए है।

(ग) से (ङ) हाइड्रो कार्बन इंडिया प्राईवेट लि० जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की एक सहायक कंपनी है, फारस की खाड़ी में चार ब्लाक वाले अपतटीय क्षेत्र में एक ओर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इटली की ए० जी० आई० पी० अमेरिका की फिलिप्स पेट्रोलियम कंपनी और दूसरी ओर नेशनल इरानियन तेल कंपनी के मध्य हुए दिनांक 17 जनवरी, 1965 को एक संयुक्त संरचना करार के अन्तर्गत तेल का अन्वेषण और उत्पादन कर रही है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के हितों को हाइड्रोकार्बन इंडिया प्रा० लि० को सौंपा गया था जिसके पास अब इस संयुक्त उद्यम में 1/6 शेयर है। इस समय प्रति वर्ष लगभग 0·6 मिलियन मी० टन इस उद्यम में उत्पादन से हाइड्रो कार्बन इंडिया प्रा० लि० के हिस्से आए हैं।

इराक नेशनल कंपनी के साथ सेवा संविदा के अधीन इराक में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तेल भूमि का पता लगा रही है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अन्वेषणाधीन क्षेत्र में वाणिज्यिक मात्रा में तेल का पता लगाए जाने के बाद ही उसके उत्पादन का प्रश्न उठेगा।

1972, 1973 और 1974 के दौरान कम्पनियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2346. **श्री समर गुह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972, 1973 और 1974 में किन-किन वाणिज्यिक और औद्योगिक कम्पनियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की ;

(ख) जांच के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) कम्पनी अधिनियम तथा अन्य कानूनी उपबन्धों के उल्लंघन के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी कार्य विभाग की प्रेरणा पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, निम्नांकित कम्पनियों के कार्य-कलापों की जांच-पड़ताल अंगीकार की :—

(1) आक्टरलोनी वेली एस्टेट (1938) लि०
(2) लोडना कालरी कम्पनी (1920) लि०
(3) इंडियन मेटाल्लुरजीकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(4) ब्रितानियां इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड
(5) पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड
(6) ग्लोब मोटर्स लिमिटेड
(7) न्यू स्टेन्डर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड
(8) भारत जूट मिल्स लिमिटेड
(9) नेशनल कम्पनी लिमिटेड
(10) आन्ध्र प्रभा प्राईवेट लिमिटेड
(11) सरदेसाई ब्रादर्श लिमिटेड
सरिन्दाज (प्रा०) लिमिटेड
स्पेशियलिटी फोर्मूलेशन लिमिटेड
(12) पी० नाटसेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

(ख) तथा (ग) :

(1) आक्टरलोनी वेली एस्टेट (1938) लि०
केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आरोप-पत्र प्रस्तुत करने से अवरोधित करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रोकादेश, 9-10-1973 को लागू हुआ था।

(2) लोडना कालरी कम्पनी (1920) लिमिटेड
जांच-पड़ताल प्रवर्तमान है।

(3) इंडियन मेटाल्लुरजीक्ल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
केन्द्रीय जांच ब्यरो ने 25-1-1972 को न्यायालय में श्री बी० के० बेदी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया था। मामला न्यायालय में अन्वीक्षा के लिए अनिर्णीत है।

(4) ब्रितानिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड
केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल पर आपत्ति करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अनेक लिखित याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं।
ये मामले अनर्णीत हैं।

(5) पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल्स लि०
भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के साथ पठित धारा 120 ख. धारा 409 भा० दं० सं० वे 477 क भा० दं० सं० के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं ।

(6) ग्लोब मोटर्स लिमिटेड
जांच-पड़ताल प्रवर्तमान है ।

(7) न्यू स्टेंडर्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड
जांच-पड़ताल प्रवर्तमान है ।

(8) भारत जूट मिल्स लिमिटेड
जांच-पड़ताल प्रवर्तमान है कम्पनी अधिनियम के उल्लंघनों से सम्बन्धित दो अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं एवं आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(9) नैशनल कम्पनी लिमिटेड
कलकत्ता उच्च न्यायालय में लिखित याचिकाएं प्रस्तुत करने के कारण केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच-पड़ताल पूर्ण नहीं की है । दो लिखित याचिकाएं अभी तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में अनिर्णीत हैं, एवं तीसरी याचिका की बाबत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर कर दी गई है ।

(10) आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड
केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, भारतीय दंड संहिता की अनेक धाराओं के अन्तर्गत 21-5-73 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है ।

(11) सरदेसाई ब्रादर्श लिमिटेड
सरिन्दाज (प्राइवेट) लिमिटेड
स्पैशियलिटी फार्मूलेशन लिमिटेड
केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूर्ण कर ली है। अगस्त, 1973 में, केन्द्रीय जांच ब्यूरो न्यायालय में मामला दायर करने के पूर्व, भारतीय दंड संहिता की धारा 196क के अन्तर्गत, महाराष्ट्र राज्य सरकार की समिति की प्रतीक्षा कर रहा था ।

(12) पी० नाटसेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड
केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के साथ पठित धारा 120ख के अन्तर्गत, 24-3-1972 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया था । अभियुक्त को अतिरिक्त

सैशन जज द्वारा 30-4-1974 को अभियुक्त कर दिया गया है । अपील प्रस्तुत करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

रेलवे में अपराधों में वृद्धि

2347. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्रियों पर हमलों और उनकी हत्याओं की घटनाओं में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) : जी हां, रेल यात्रियों पर हमलों और उनकी हत्या की घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई है ।

(ख) जनवरी से जून, 1974 की अवधि के दौरान रेल यात्रियों पर हमले के 99 और हत्या के 23 मामले दर्ज कराये गये थे जबकि 1973 की इसी अवधि में हमलों के 91 और हत्या के 20 मामले दर्ज हुए थे।

(ग) यात्रियों तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है जिसका पालन वे सरकारी रेलवे पुलिस की मार्फत करती है।

सरकारी रेलवे पुलिस इस ड्यूटी के निष्पादन के लिए रात के समय महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों के साथ, विशेषकर भेद्य खंडों में चलती हैं, स्टेशन प्लेटफार्मों और मुसाफिरखानों का नियमित रूप से बार-बार चक्कर लगाती है, अपराधियों तथा जाने पहचाने बदमाशों पर निगरानी रखती है और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करती है।

मनमाड-सिकन्दराबाद लाइन का बड़ी लाइन में बदलना

2348. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मनमाड से सिकन्दराबाद तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ किया जा सकता है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): **(क) और (ख)** : मनमाड से पुर्ली बैजनाथ खंड मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का काम बजट में शामिल कर लिया गया है। इस आसान परिवर्तन के सर्वेक्षण का काम हो रहा है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट मिलने तथा उसकी जांच कर लेने के बाद ही आगे कार्यवाही की जाएगी।

पुर्ली बैजनाथ और सिकन्दराबाद पहले से ही बड़ी लाइन से जुड़े हुए हैं। जैसे ही मनमाड और पुर्ली बैजनाथ के बीच बदलाव का यह काम पूरा हो जाएगा मनमाड और सिकन्दराबाद के बीच बड़ी लाइन का यह अपेक्षाकृत छोटा रेल सम्पर्क बन जायेगा ।

खड़गपुरा-आद्रा रेल लाइन (दक्षिण पूर्व रेलवे) का विद्युतीकरण

2349. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व की खड़गपुर-आद्रा लाइन का पांचवी योजना अवधि में विद्युतीकरण किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट टिकटों की चोरबाजारी

2350. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली स्टेशन के आरक्षण काउन्टर के निकट असामाजिक तत्वों की बढ़ती कार्यवाहियों का पता है जो रेलवे टिकटों की कालाबाजारी में संलग्न है और टिकटों के आरक्षण के लिए वहां जाने वाले यात्रियों को डराते एवं धमकाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : कुछ समाज-विरोधी तत्व अवश्य जाली नाम से स्थान आरक्षित कराते हैं और उस स्थान को बाद में फायदा उठाकर लाभ पर बेच देते हैं। परन्तु यात्रियों को धमकी देने और डांट-डपट करने का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा टिकटों की पुन: बिक्री और आरक्षण के अन्य विभिन्न अनाचारों की रोक-थाम के लिए जो कदम उठाये गये हैं वे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

आरक्षण में होने वाले विभिन्न अनाचार को रोकने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. जिन टिकटों पर आरक्षण किया गया हो, उनके अन्तरण के मामलों को निपटाने के लिए वर्ष 1964 में भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन किया गया था। ऐसे अन्तरण अब अवैध हैं और ऐसे आरक्षणों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाया जा सकता है।

2. एक पार्टी द्वारा 4 शायिकाएं तथा एक परिवार द्वारा 6 शायिकाएं आरक्षित कराई जा सकती हैं। केवल स्काउटों आदि जैसी सदाशायी पार्टियों के वास्तविक मामलों में स्थानीय रेल प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान सीमा में छूट दी जा सकती है।

3. समाचार-पत्रों, स्टेशनों पर लगे सूचना-पट्टों और लाउड स्पीकरों द्वारा इस संबंध में जनता का सहयोग लिया जाता है कि यात्री टिकट केवल टिकट खिडकियों से खरीदें और अनधिकृत स्रोतों से न खरीदें। तत्काल सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त खिड़कियां खोली जा रही हैं।

4. टिकट और आरक्षण कार्यालयों तथा कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पर्यवेक्षण के काम में कड़ाई बरती गई है और एक कृतिक दल, जिसमें रेलवे सुरक्षा दल, राज्य रेलवे पुलिस और रेल प्राधिकारी शामिल हैं। आरक्षण करवाकर फायदा उठाकर बेचने वाले समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए, आरक्षण कार्यालयों के खुलने से ठीक पहले जांच करता है।

5. इस बात को सुनिश्चित करने के लिए छापे मारे जाते हैं कि कोई अनाधिकृत यात्री न ले जाये। गाड़ियों में शायिकाओं के आवंटन में चल टिकट परीक्षकों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं को पकड़ने के लिए अचानक सतर्कता-जांच भी की जाती है।

चूंकि यह समस्या मूलत: उपलब्ध स्थान की मांग की अपेक्षा कम होने के कारण है, इसलिए भीड़-भाड़ की अवधि में विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं और जहां आवश्यक होता है गाड़ियों में डब्बे जोड़े जाते हैं।

7. टिकटों की बिक्री और गाड़ियों में स्थान के आरक्षण से संबंधित वर्तमान नियमों और प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। समिति का एक विचारार्थ विषय अनधिकृत आरक्षण लेने वाली अमान्यताप्राप्त यात्रा एजेंसियों सहित बाहरी व्यक्तियों द्वारा किए गए अनाचारों और अनियमितताओं की प्रकृति की पहचान करना और उन्हें रोकने के उपायों का सुझाव देना है। समिति की अन्तिम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

पेट्रोल की बचत के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया आयुर्वेदिक तेल

2352. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं कि कोलहापुर के आयुर्वेदाचार्य ने एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल तैयार किया है जिससे पैट्रोल में मिलाने पर पेट्रोल की खपत में 20 प्रतिशत बचत हो सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कथित रिपोर्ट टाइम्स आफ इन्डिया के 16 जुलाई, 1974 के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ख) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को इस ढंग से पेट्रोल की खपत में कमी करने की तकनीकी संभाव्यता पर अध्ययन करने तथा अपनी राय देने के लिये कहा गया है।

एरणाकुलम और कायमकुलम रेल लाइन के लिए केरल सरकार की भूमि और 'स्लीपर' मुफ्त में देने की पेशकश

2353. **श्री वयालार रवि :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने एलेप्पी होकर एरणाकुलम और कायमकुलम के बीच रेल-लाइन के निर्माण हेतु भूमि और रेल 'स्लीपर' मुफ्त में देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रेल लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार और जनता की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एरणाकुलम से एलेप्पी तक लाइन के निर्माण के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा लाइन के साथ की सरकारी जमीन और आवश्यक स्लीपर मुफ्त दिये जाने का प्रस्ताव अभी एक सप्ताह पहले प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

इंडेन गैस सिलिंडरों की वितरण पद्धति

2354. श्री बनमाली पटनायक
श्री घनशाह प्रधान } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विक्रेताओं के माध्यम से इंडेन गैस के सिलिंडरों की अपर्याप्त वितरण पद्धति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या कमी की अवधि में गैस सिलिंडरों के उचित वितरण के बारे में कोई जांच पड़ताल की जाती है ; और

(ग) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा स्वयं ही, विशेष रूप से बड़े शहरों में, वितरण पद्धति को अपने नियंत्रण में लेने की वांछनीयता पर विचार किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) और (ख) अनेक बार शिकायतें प्राप्त हुई हैं विशेषकर कमी के अवधि के दौरान, रिफिल की सप्लाई में विलम्ब तथा डीलरों द्वारा गैस सिलैंडरों के वितरण में अन्य कदाचारों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय तेल निगम द्वारा इस प्रकार की शिकायतों की जांच की गई है तथा यथासंभव गैस सिलैंडरों को उचित वितरण की पद्धति को कारगर बनाने के लिए कार्यवाही की गई है।

(ग) सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात भारतीय तेल निगम ने इन्डैन गैस की बिक्री नीति जो डिस्ट्रिब्यूटरशिप आर्गेनाइजेशन (वितरक संगठन) के माध्यम से सिलैण्डरों में भरी जाती है, तैयार की है जबकि निगम द्वारा औद्योगिक उपयोग हेतु एल० पी० जी० का विक्रय कार्य सीधा अपने हाथ में लिया है। इस नीति में किसी परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की गई है।

दिल्ली स्थित रेलवे प्रशिक्षण केन्द्रों में बंगला देश के अधिकारियों का प्रशिक्षण

2355. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के कुछ रेल अधिकारियों को भारत के रेलवे प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विदेशी कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और उन्हें किन किन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया गया तथा उनके प्रशिक्षण पर हुये व्यय की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अन्य देशों से भी कुछ और कर्मचारियों के आने की आशा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक बंगला देश से आये प्रशिक्षार्थियों की संख्या 58 है और उन्हें रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ोदा, भारतीय रेल उच्च रेल पथ प्रौद्योगिक संस्थान, पूना और भारतीय रेल यांत्रिक और बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर में इन संस्थानों में उपलब्ध क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया था। इस प्रयोजन के लिए केवल एक मामले के अलावा कोई पृथक् पाठ्यक्रम नहीं रखा गया था और अलग-अलग खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी की प्रशिक्षण की अवधि में प्रति माह 600 रु०

निर्वाह भत्ता दिया गया था किन्तु तीन प्रशिक्षार्थियों को कनाडियन सरकार द्वारा निर्वाह भत्ता दिया जाता था जिसके अनुरोध पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भारतीय रेलें विदेशों के रेल-अधिकारियों को रेल परिचालन में शैक्षणिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देती रही हैं । शैक्षणिक प्रशिक्षण रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ोदा, भारतीय रेल उच्च रेल पथ प्रौद्योगिक संस्थान, पूना, भारतीय रेल सिगनल इंजीनियर और संचार संस्थान, सिकन्दराबाद, भारतीय रेल यांत्रिक और बिजली इंजीनियरी संस्थान जमालपुर और क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों में दिया जाता है । व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यकता के अनुसार रेलवे संस्थापनों में दिया जाता है ।

प्रशिक्षण की व्यवस्था आमतौर पर विशेष राष्ट्र मंडलीय अफ्रीकन सहायता योजना और कोलम्बो योजना के अन्तर्गत की जाती है । इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों की अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं और निर्वाह का खर्च वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और भारतीय रेल निःशुल्क प्रशिक्षण देती है । जो विदेशी नागरिक इन योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आते उन्हें भी निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए रख लिया जाता है बशर्ते कि प्रायोजित करने वाले देश उनकी यात्रा और निर्वाह का खर्च दें ।

लम्बी दूरी तक जाने वाली गाड़ियों का रद्द किया जाना

2356. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लम्बी दूरी तक जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों को रद्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनसे संबंधित ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन गाड़ियों के बन्द कर दिये जाने से होने वाली यात्रियों की भीड़ का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) मई, 1974 में रेल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लम्बी दूरी की कुछ महत्वपूर्ण डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों निलंबित करनी पड़ीं । लगभग इन सभी गाड़ियों को पुनः चलाया जा चुका है सिवाय सप्ताह में दो बार चलने वाली 115/116 बम्बई-लखनऊ जनता एक्सप्रैस के, जिसे भी शीघ्र ही पुनः चलाये जाने की संभावना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में मैसूर और चामराज नगर के बीच रेलवे लाइन

2357. **श्री एस० एम० सिद्दिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मैसूर डिवीजन में मैसूर और चामराज नगर के बीच रेलवे लाईन के स्थान पर 60 पौंड की पटरियां बिछाई गई हैं ।

(ख) यदि हां, तो कब ।

(ग) क्या ऐसा करने के बाद से ननजंगुड और चामराज नगर के बीच रेल गाड़ियों की गति में इससे सुधार हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) यह बदलाव कार्य मार्च, 74 में पूरा हो चुका है।

(ग) और (घ) रफ्तार-परीक्षण कर लेने के बाद 40 कि० मी० प्रति घंटे की वर्तमान रफ्तार को बढ़ाकर 65 कि० मी० प्रति घंटा कर देने का विचार है।

बेरोजगार स्नातकों को उर्वरक वितरक बनाना

2359. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उर्वरक वितरण एजेन्सियां देने के लिये बेरोजगार स्नातकों विशेषतया कृषि स्नातकों को कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

वर्ष 1973-74 के दौरान रेल गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने के कारण हुई हानि

2360. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में रेल गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने के कारण कितनी हानि हुई; और

(ख) क्या रेलवे में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये यात्रियों की जांच करने हेतु स्वयंसेवकों को नि:शुल्क रेलवे पास प्रदान करके सार्वजनिक जनता को इन उपायों में शामिल करने की कोई योजना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा के कारण राजस्व को होने वाली हानि का प्राक्कलन अलग-अलग वर्ष के आधार पर नहीं किया जाता इसलिए 1973–74 के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। 1967–68 में सभी भारतीय रेलों पर नमूने के तौर पर एक जांच की गयी थी जिसके आधार पर अनुमान लगाया गया था कि प्रतिवर्ष लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये की हानि होती है। इसके बाद की जांचों से मालूम हुआ है कि बिना टिकट यात्रा की घटनाओं में काफी कमी हो गयी है। भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा का अनुमान लगाने के लिए एक दूसरा सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के काम में जनता का सहयोग लेने की योजना पहले से ही प्रचलन में है। उदाहरण के लिए रेलों द्वारा अचानक जांच के काम में प्रख्यात स्वयं सेवी संगठनों के स्वयं सेवकों का प्राय: सहयोग लिया जाता है और ऐसे स्वयं सेवकों को उनके निवास स्थान के निकट के स्टेशन और अचानक जांच के प्रस्तावित स्थान के बीच दूसरे दर्जे (तीसरा दर्जा पुराना) का मुफ्त पास दिया जाता है। क्षेत्र के बालचरों, विद्यार्थियों और गांव के मानन्दि व्यक्तियों का रेलों द्वारा बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए की जाने वाली अचानक जांचों के काम में समय-समय पर सहयोग लिया जाता है। रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे रेलों के टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट जांच के लिए आदेश दे सकते हैं।

औषध एककों पर मूल्य नियन्त्रण का प्रभाव

2361. **श्री वसंत साठे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध उद्योग में लघु एककों, मध्यम तथा बड़े एककों तथा विदेशी सहयोग से चलने वाले एककों पर मूल्य नियंत्रण के प्रभाव का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है ;

(ख) क्या अनेक उत्पादों के लिए एक मुश्त मूल्य नियंत्रण का लघु एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो लघु एककों को अपने उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करने तथा इन्हें बड़े एककों को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये किये गये प्रस्तावित उपाय क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि 18 विदेशी और 5 अन्य कंपनियों के बारे में किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि सूत्रयोगों के निर्माण में विदेशी कंपनियों की कराधान से पूर्व लाभप्रदता जो 1969/1969-70 में 14.72 प्रतिशत थी, 1972/72–73 में गिर कर 7.54 प्रतिशत हो गई तथा अन्य कंपनियों की कराधान से पूर्व लाभ प्रदता 14.72 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत हो गई थी।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 1970 में संगठित क्षेत्र तथा लघु-क्षेत्र द्वारा निर्मित समतुल्य उत्पादों के मूल्यों को ध्यान में रखकर लधु-क्षेत्र द्वारा निर्मित सूत्रयोगों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए थे।

(ग) लघु क्षेत्र के औषध निर्माण एककों को निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध हैं: —

(i) समस्त औषध निर्माण एककों, जिनका वार्षिक उत्पादन 50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के पैरा 9, 10 और 13 जो संशोधन/सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारण के लिए सरकार से अनुमति लेने से संबंधित है, से छूट दे दी गई है।

(ii) उन एककों, जिनका उत्पादन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है को गत 2 वर्षों के अधिकतम उपयोग और 30 प्रतिशत विकास के आधार पर सरणीबद्ध कच्चे माल का आवेदन किया जाता है।

(iii) उन एककों जिनका उत्पादन एक करोड़ रुपये या उससे अधिक है को उनके गत 2 वर्ष के अधिकतम उपभोग तथा 15 प्रतिशत विकास के आधार पर सरणीबद्ध कच्चा माल आवंटित किया जाता है।

लघु औषध एककों के लिए कच्चे माल की कमी

2362. **श्री वसंत साठे**
श्री धामनकर } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योग के लघु एककों को कच्चे माल की, विशेष रूप से पूल वाले तथा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले कच्चे माल की, उपलब्धता के बारे में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो औषध उद्योग के लघु एककों को कच्चे माल की नियमित तथा पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को लघु एककों को कच्चे माल की सप्लाई के मामले में राज्य व्यापार निगम तथा आई०डी०पी०एल० जैसे संगठनों द्वारा अनुचित विलम्ब किये जाने तथा परेशान किये जाने के बारे में लघु एककों से अनेक शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) हाल में पेट्रोलियम संकट के कारण न केवल विश्व बाजार में औषधों के मूल्य में वृद्धि हुई है अपितु उनमें से कुछ औषध उपलब्ध नहीं हुए। इसके कारण राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित तथा राज्य व्यापार निगम अथवा आई०डी०पी०एल० द्वारा वितरित 36 औषधों तथा मध्यवर्ती औषधों को, 1973–74 की हकदारी के अनुसार, विटामिन बी 6, फेनोवारविटोन, ट्रेट्रासाइक्लीन एच०सी०एल० तथा सल्फागुनीडाइन को छोड़कर, विभिन्न उत्पादक यूनिटों को उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 1974–75 के लिए विटामिन बी 6, सल्फागुनीडाइन तथा फेनोबारीविटोन को छोड़कर समस्त औषधों की पर्याप्त सप्लाई को प्राप्त करने के लिए राज्य व्यापार निगम ने व्यवस्था की है।

जहां तक 1974–75 के लिए हकदारी का प्रश्न है, कुछ औषधों को पर्याप्त रूप में रिलीज किया गया है तथा जबकि अन्य मामलों में कुछ सप्लाई प्राप्त हुई तथा फेनोवारविटोन एवं सल्फागुनीडाइन के सप्लाई को शीघ्र रिलीज होने की आशा है जिससे कमी को जल्दी से दूर किया जा सके। विटामिन बी 6 के मामले में भी कुछ सप्लाई की व्यवस्था की गई है यद्यपि पर्याप्त कमी को पूरा करना है जिसके लिए प्रयत्न जारी हैं।

(ग) और (घ) उद्योग समय-समय पर सरकार को विभिन्न प्रपुंज औषधों तथा मध्यवर्ती औषधों की उपलब्धता की स्थिति के बारे में सूचना देता है। इस के बारे में लघु उद्धयोग के प्रतिनिधियों के साथ सामयिक बैठकों में विचार विमर्श होता है। आयात के लिए व्यवस्था के बारे में औषध उत्पादक यूनिटों को रिलीज करने के संबंध में भी राज्य न्यापार निगम के आयात सलाहकार समिति की बैठक, जो प्राय: प्रत्येक त्रैमास में होती है में विचार विमर्श होता है।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स, पिपरी में उत्पादन

2363. **श्री वसंत साठे :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स पिंपरी में उत्पादन कार्यक्रम पर, इस एकक में श्रमिक अशांति के फलस्वरूप, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वर्ष 1973–74 में इस कम्पनी को 1.50 करोड़ रुपये से अधिक घाटा होने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप इस एकक में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और इस एकक में औद्योगिक शान्ति स्थापित करने और उत्पादन के सामान्यीकरण में सहायता देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाजखां) : (क) और (ख) वर्ष 1971–72, 1972–73; तथा 1973–74 के दौरान हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि०, पिंपरी

में विभिन्न पदों का उत्पादन निम्न प्रकार था :--

	1971-72	1972-73	1973-74
पेनसिलीन एम०एम०यू०	66.32	81.87	75.54
स्टैप्टोमाइसीन (क्वि० ग्राम)	61474	72350	62972
हेमाइसीन (कि० ग्राम)	13.00	6.747	7.28
वैलिंग (लाख)	520.31	500.23	522.95

वर्ष 1973-74 के दौरान उत्पादन कार्यक्रम पर किसी श्रमिक अशांति का प्रभाव नहीं पड़ा।

वर्ष 1973-74 के दौरान कम्पनी को लगभग 1.70 करोड़ रुपये की प्रत्यशित हानि मुख्यत: कच्चे माल में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुई। स्टैप्टोमाइसीन के उत्पादन के लिए नये स्ट्रेन के प्रतिस्थापन के साथ यह आशा की गई है कि कम्पनी के वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने सम्बन्धी योजना

2364. **श्री धामनकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर रोक लगाने, हाईस्पीड डीजल आयल और लाइट डीजल आयल भट्टी तेल तथा मिट्टी के तेल की खपत पर और प्रतिबंध लगाने तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का पता लगाने संबंधी किसी आकस्मिक योजना पर विचार किया जा रहा है और क्या ये प्रतिबंध रेल तथा रक्षा मंत्रालयों पर समान रूप से लागू होंगे;

(ख) क्या कोई समयबद्ध राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनाने का विचार है और कुछ मामलों में तेल के स्थान पर ऊर्जा के अन्य स्रोतों के प्रयोग को अनिवार्य बनाया जायेगा;

(ग) क्या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का प्रयोग करने वालों को विशेष रियायतें तथा प्रोत्साहन दिये जायेंगे; और

(घ) क्या अशोधित तेल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन में कमी की जायेगी जिससे अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाली राशि में कमी हो सके और यदि हां, तो कितनी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के लिए सरकार सक्रिय प्रयास कर रही है। यदि आवश्यक समझा गया तो रेलवे तथा सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर भी संचालन कार्यक्षमता अथवा सेना की तैयारी पर बिना कोई प्रभाव डाले यथा संभव रोक लगाई जाएगी। योजना आयोग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय समिति ने तेल संकटों की समस्या और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता को समझ लिया है। सरकार द्वारा नियुक्त की गई ईंधन समिति राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। डी०जी०टी०डी० के अधीन भट्टी तेल पर स्थायी समिति ऐसे उद्योगों के लिए, जो प्रौद्योगिकीय आधारों पर कार्य कर सकते है, तेल की बजाय कोयले से कार्य करने के लिए एक कार्य क्रम तैयार कर रही है। जब तक प्रौद्योगिकीय आधार पर आवश्यक नहीं समझा जाता तब तक उद्योगों को जिन्हें तेल की आवश्यकता पड़ती है नये लाइसेंस नहीं दिए जाने हैं।

(ग) भारत सरकार ने 1 जून 1975 के पूर्व स्थापित कोयले से कार्य करने वाले बायलरों अथवा तेल से कार्य करने वाले बायलरों को कोयले से कार्य करने वाले बायलरों में परिवर्तित करने के

लिए कोई मशीनरी अथवा संयंत्र के संबंध में विकास छूट देने की एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा पहले ही कर दी है। पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण भी इस प्रकार का है जो ऊर्जा के सस्ते वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहन देगा।

(घ) अशोधित तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण उनके आयात को सीमित रखना होगा। 1973–74 के दौरान अशोधित तेल के लगभग 14.07 मीटरी टन और उत्पादों के 3.61 मीटरी टन के आयात के स्थान पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अशोधित तेल के लगभग 13 मिलियन मीटरी टन और उत्पादों के 3 मिलियन मीटरी टन के आयात की व्यवस्था की गई है।

डाक्सीसाईक्लिन तथा एनाल्जीन बनाने के लिए फाइजर तथा होचैस्ट कम्पनियों को लाइसेंस देना

2365. **श्री धामनकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०डी०पी०एल० तथा अन्य कारखानों सहित फाइजर्स तथा होचैस्ट्स कम्पनियों ने डाक्सीसाइक्लिन और एनालजिन बनाने के लिए लाइसेंस मांगे हैं;

(ख) क्या भारतीय कारखानों तथा आई०डी०पी०एल० ने इन विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस देने का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा डाक्सीसाईक्लिन और एनालजिन बनाने के लिए लाइसेंस देने संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) आई०डी०एम०ए० ने डौक्साइक्लीन के लिए फाइजर को लाइसेंस देने में आपत्ति की। आई०डी०पी०एल० ने एनालजीन के सम्बन्ध में होचैस्ट को लाइसेंस देने में आपत्ति की।

(ग) डोक्सीसाइक्लीन के संबंध में फाइजर को तथा एनालजिन के संबंध में होचेस्ट को कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया। उनके सम्बन्धित आवेदन-पत्र विचार विमर्श के विभिन्न स्तरों पर हैं।

श्रीलंका द्वारा कच्चाटीबू द्वीप में तेल की खोज

2366. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका को हाल ही में कच्चाटीवू के निकट क्षेत्र में तेल का पता लगा है ;

(ख) क्या यह क्षेत्र भारत की समुद्र-सीमा के अन्तर्गत आता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षत्र के निकट तेल की खोज करने का विचार कर रही है जो क्षेत्र भारत के नियंत्रणाधीन है ; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहजवाज खां) : (क) कच्चाटीवू के निकट तेल पाये जाने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पाक स्टेट्स के भारतीय भाग में सोवियत भूकम्पीय जहाज के प्रयोग से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1966 में प्रारम्भिक भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये थे। तेल तथा गैस के लिये पाक स्टेट्स के इस भाग के अन्वेषण के लिये उठाये जाने वाले कदमों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में मियाभाई न्यायाधिकरण की सिफारिश

2367. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) मियां भाई न्यायाधिकरण में नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में वर्ष 1972 में क्या सिफारिशें की थीं ; और

(ग) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है, तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 31-3-1973 को 3.17 लाख ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

मियाभाई अधिकरण द्वारा 1972 में की गई मुख्य सिफारिशें	की गई कार्रवाई
(i) यदि डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि के लिये स्थानीय दरें ज्ञात नहीं की जाती या नहीं की जा सकती तो नैमित्तिक श्रमिकों की महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन-मान के 1/30 की दर पर भुगतान किया जाना चाहिये।	ये सिफारिशें सामान्यतया रेलों द्वारा कार्यान्वित कर दी गई है।
(ii) परियोजना-इतर निर्माण कार्यों पर लगे हुए नैमित्तिक श्रमिकों के लिये अस्थायी हैसियत पाने के लिए सेवा की अधिकतम अवधि की वर्तमान छ महीने से घटाकर चार महीने कर दिया जाना चाहिये।	
(iii) न्यूनतम मजूरी अधिनियम द्वारा शासित श्रमिकों को इन दरों पर भुगतान किया जायें : (क) स्थानीय दरें, या (ख) यदि (क) उपलब्ध न हो तो महंगाई को भत्ते सहित वेतनमान के न्यूनतम का 1/30, और (ग) यदि (क) अथव (ख) न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन मिलने वाली दर से कम हो तो न्यूनतम मजूरी प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गयी दरों पर।	

1	2
(iv) वेतनमान दर के स्थानीय दर से अधिक होने की दशा में परियोजना नैमित्तिक श्रमिकों को वेतन-दर से भुगतान किया जायगा शर्त यह है कि उन्हें छः महीने की निरन्तर अवधि के लिये उसी किस्म के काम पर लगाया जाय ।	इस संबंध में 13-6-74 को आदेश जारी किये गये और कार्यान्वित किये जा रहे हैं ।

कांगड़ा वैली रेलवे में काम कर रहे रेल कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरी

2368. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा वैली रेलवे लाईन को जवानवाला शहर से आगे बन्द करने से कितने रेलवे कर्मचारी प्रभावित हुए हैं ;

(ख) क्या उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त रेलवे लाईन को फिर से चालू करने के पाश्चात् उन्हें फिर से उनके पदों पर ले लिया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 295 ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) यथा संभव प्रत्येक कर्मचारी की परिस्थितियों और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, लाईन के फिर से चालू होने पर, इन कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर समाहित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

भारतीय उर्वरक निगम के कुछ मुअत्तिल अधिकारियों की बहाली

2369. **श्री नारायण चंद पाराशर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारी, जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करने में अन्तर्ग्रस्त हैं, जिन्हें या तो मुअत्तिल कर दिया गया था अथवा लम्बी छुट्टी पर भेज दिया गया था, अपने मूल पदों पर बहाल कर दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के अधीन ऐसा किया गया है; और

(ग) संबंधित अधिकारी कौन हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) भारतीय उर्वरक निगम के कुछ अधिकारियों, जो गत वर्ष ट्राम्बे के कुछ कथित विपणन मामलों में अंतर्ग्रस्त थे, को इन मामलों की जांच होने तक छुट्टी पर जाने के लिए सलाह दी गई थी इन संबंधित अधिकारियों के नाम निम्न-लिखित हैं :—

1. डा० एस० के० मुखर्जी, निदेशक (उत्पादन)
2. श्री दलीप सिंह, प्रधान निदेशक
3. श्री वी० चन्द्रशेखरन, विपणन प्रबन्धक ।

उपरोक्त मामले से संबंधित इन अधिकारियों में से किसी को भी निलंबित नहीं किया गया। अब ये अधिकारी अपनी ड्यूटी पर वापस आ गये हैं।

नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिया के लिए उत्पाद मिश्र में परिवर्तन

2370. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पाद में मिश्र में परिवर्तन करने का है जिससे नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिया और अन्य उत्पादों के उत्पादन को इस प्रकार सन्तुलित किया जा सके कि उससे उर्वरक की कमी को आंशिक रूप से पूरा किया जा सके ;

(ख) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) वर्तमान में ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचारधीन नहीं है किन्हीं विशेष यूनिटों के उत्पाद-मिश्रण में विभिन्नता लाने से भी संयंत्र पोषकों के देशीय उपलब्धता में सुधार होने की आशा नहीं है।

भारत में तेल का उत्पादन बढ़ाने की संभावना का पता लगाने के लिए रूसी विशेषज्ञ दल का दौरा

2371. **श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल का उत्पादन बढ़ाने की सम्भावना का पता लगाने के लिये कोई रूसी विशेषज्ञ दल निकट भविष्य में भारत का दौरा करेगा ;

(ख) क्या केरल सरकार ने यह सुझाव दिया है कि उक्त दल को राज्य में तट-दूर तेल की खोज की सम्भावना का अध्ययन करने के लिए राज्य का दौरा करना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सुझाव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा में एक रासायनिक प्रक्षालन संयंत्र की स्थापना करने के बारे में इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी की योजना

2372. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी द्वारा मथुरा में एक रासायनिक प्रक्षालन (कैमिकल डिट्रजेट) संयंत्र की स्थापना करने सम्बन्धी कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी परियोजना रिपोर्ट पूरी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) मैसर्स इन्डो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लि०, बम्बई, की संशिलष्ठ प्रक्षालक एकक की स्थापना के सम्बन्ध में एक आशयपत्र जारी किया गया किन्तु उन्होंने स्थान के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया। पार्टी द्वारा कोई प्रायोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। स्कीम के ब्यौरे जैसा कि आवेदन-पत्र में दिया गया है, नीचे दिये गये हैं :—

1. क्षमता	10,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष
2. प्रायोजना की लागत	138 लाख रु०
3. कोई आयातित उपकरणों की आवश्यकता नहीं है।	
4. देशीय उपकरणों के मूल्य	67.22 लाख रुपये
5. कच्चे माल की सामग्री की आवश्यकता	जब तक आई० पी० सी० एल० से देशीय कच्चा माल उपलब्ध न हो जाता, तब तक 30.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष ।

रेल वैगनों की अनुपलब्धता के कारण राजस्थान में जमा हो गया नमक

2373. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान से देश के अन्य भागों को नमक के परिवहन के लिए रेल वैगनों की कमी के कारण वहां पर बहुत अधिक मात्रा में नमक जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो नमक के परिवहन के लिए सम्बन्ध अधिकारियों को पर्याप्त रेल वगन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में रेल कर्मचारियों को जेल से रिहा किया जाना

2374. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 700 रेल कर्मचारियों को अभी भी जेल से छोड़ा जाना है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय में विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं और उनके मामलों में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना के पहले वर्ष में गुजरात में नए क्षेत्रों के लिए रेल सम्बन्ध

2375. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य को पांचवीं योजना के दौरान ऐसे नये क्षेत्रों के विकास के लिये कितनी धनराशि का आंवटन किया गया है जहा रेल लाइनें नहीं हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया था और कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था ;

(ग) जिन नए क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछायी जायेंगी उनके सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में कितने क्षेत्रों में काम प्रारम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) नयी लाइनों के लिए धन का आबंटन अलग अलग राज्यों के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि समग्र राष्ट्रीय हितों के आधार पर किया जाता है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुल मिलाकर कितनी नयी लाइनों का निर्माण शुरू किया जायेगा इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है । इसलिए, यह बतलाना कठिन है कि गुजरात राज्य में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के लिए कितने परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। फिर भी, चौथी पंचवर्षीय योजना में मंजूर साबरमती-गांधीनगर बड़ी लाइन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 1.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ख) जी हां। भावनगर से तारापुर तक एक नयी लाइन के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा किये गये एक अध्ययन के साथ ही 1968 में भावनगर और तारापुर के बीच एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए रेल प्रशासन द्वारा एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था जिससे मालूम हुआ था कि उक्त लाइन वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगी। पहले किये गये सर्वेक्षण को अद्यतन बनाने और इस परियोजना के बेहतर मूल्यांकन के लिए 1974-75 में भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन के लिए एक इंजीनियरिग और यातायात सर्वेक्षण मंजूर किया गया था। सर्वेक्षण का काम जारी है। नडियाड-कपाडवंज-मोडासा क्षेत्र के बीच नयी लाइन के निर्माण के लिए भी सर्वेक्षण जारी है। जब इन रिपोर्टों की जांच कर ली जायेगी और धन उपलब्ध होगा तब इन लाइनों के निर्माण के बारे में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

गैस व्यापारियों द्वारा वितरण प्रणाली के प्रस्तावित विकेन्द्रीकरण का विरोध

2376. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुकिंग गैस के दुकानदारों ने राजधानी में इंडियन आयल कम्पनी द्वारा गैस वितरण कार्य का विकेन्द्रीकरण करने सम्बन्धी पैट्रोलियम मंत्रालय के प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ख) क्या नये प्रस्ताव के अन्तर्गत गैस वितरण का कार्य (डीलरशिप) युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा बैरोज़गार इंजीनियरों को प्राथमिकता देते हुये छोटे व्यापारियों तथा व्यक्तियों को दिया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि छोटे व्यापारियों के पास भण्डागार, गैस लगाने तथा लाने-ले-जाने की बहुत कम सुविधायें हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान प्रणाली को चालू रखने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) दिल्ली में बड़े इण्डेन गैस के वितरकों के व्यापारिक क्षेत्र को कम करने के प्रस्ताव के संबंध में कुछ विरोध हुआ है ।

(ख) बड़े वितरकों के व्यापार क्षेत्र में कमी के साथ इन बड़े वितरकों में से कुछ उप-वितरकों के ग्रेड को वितरक-स्तर तक बढ़ाने तथा कुछ नये डीलरशिपों का अर्जन करने का प्रस्ताव है । अपंगु सैनिकों, युद्ध में मारे गये तथा लापता सैनिकों के आश्रितों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को नई डीलरशिप देने के संबंद्ध में भारतीय तेल निगम की सामान्य नीति का इन अतिरिक्त डीलरशिप देने में अनुसरण किया जायेगा ।

(ग) और (घ) भारतीय तेल निगम द्वारा उप-वितरकों को कहा गया है कि वे गोदाम, शो-रूम, ट्रान्सपोर्टेशन आदि की सुविधाएं दें तथा ऐसे उप-वितरकों के ग्रेडों को, जो ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करें, वितरक स्तर तक बढ़ाया जा रहा है । नये डीलरों को इन सुविधाओं में से कम से कम सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी । भारतीय तेल निगम द्वारा अपने डीलरशिप/एजेंसियों को देने में अपनाई जा रही वर्तमान पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का सरकार का विचार नहीं है ।

लाभांश की अदायगी पर रोक लगाने सम्बन्धी अध्यादेश से प्रभावित कम्पनियों की संख्या

2377. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाभांश की आदायगी पर रोक लगाने सम्बन्धी नये अध्यादेश से कितनी कम्पनियां प्रभावित होंगी ; और

(ख) क्या आध्यादेश जारी करने से पूर्व कम्पनी कार्य विभाग से सलाह ली गई थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी (लाभांश पर अस्थाई आयंत्रण) अध्यादेश, 1974 की धारा 3 में, कुछ वर्ग की कम्पनियों का उल्लेख है, जिन पर यह अध्यादेश लागू होगा । इसमें वर्णित वर्गों के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की संख्या, कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं तथा हिस्सेधारिता प्रतिरूपों को निर्दिष्ट करते हुए निर्धारित की जायेगी । कम्पनियों के सम्बन्धित अवधि के हिस्सेधारिता प्रति-रूप तथा वार्षिक लेखे अभी उपलब्ध नहीं है । इस लिए इस स्तर पर, अध्यादेश से प्रभावित कम्पनियों की सही संख्या का निर्धारण संभव नहीं होगा ।

(ख) नहीं, श्री मान जी ।

रेलवे में प्रशासन के किसी अधिकारी द्वारा हड़ताल का समर्थन करना

2378. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के किसी भाग में रेलवे में प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने हड़ताल का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हाल की हड़ताल में किसी राजपत्रित अधिकारी ने भाग नहीं लिया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एर्णाकुलम और मद्रास के बीच तमिल भाषियों द्वारा मलयालम भाषी यात्रियों को परेशान किया जाना

2379. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयाली विरोधी भावनाओं के कारण एर्णाकुलम और मद्रास स्टेशनों के बीच तमिल भाषियों द्वारा मलयालम भाषी यात्रियों को हमेशा परेशान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो मलयालम भाषी यात्रियों की सुरक्षा के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। लेकिन मद्रास सेन्ट्रल-अरकोणम खण्ड पर अप और डाउन केरल एक्सप्रेस गाड़ियों के डिब्बों में जगह लेने के लिए लम्बी दूरी के यात्रियों और दैनिक यात्रियों, विशेषकर छात्रों, के बीच, मई, 74 से अगस्त 74 के बीच झगड़े की तीन वारदातें हुई। अरकोणम से आगे ऐसी घटनाओं के होने के संबध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, इस खंड में यात्रियों की सुरक्षा के लिए निम्न-लिखित कदम उठाये जा रहे हैं:—

(i) ऐसी घटनाओं की रोक-थाम के लिए अप और डाउन दोनों, केरल एक्सप्रेस गाड़ियों का चालन समय बदल दिया गया है।

(ii) स्थानीय दैनिक यात्रियों, विशेषकर अरकोणम के विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल गाड़ी चलायी जाती है जो उनके कालेज के समय के अनुकल हो और केरल एक्सप्रेस में भीड़-भाड़ न होने पाये।

मद्रास सेन्ट्रल और अरकोणम के बीच अप और डाउन केरल एक्सप्रेस गाड़ियों में चलने के लिए एक अधिकारी सहित तमिलनाडु आर्म्ड रिर्जव पुलिस का एक दसता तथा सरकारी रेलवे पुलिस के चार कान्स्टबुलों को तैनात किया जा रहा है।

लेह में आउट एजेन्सी खोलने की मांग

2380. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेह में आउट एजेन्सी खोलने की मांग पर विचार किया है ताकि स्टैकना पनबिजली परियोजना के लिये लेह जिले में सामान पहुंचाया जा सके और उसे शीघ्र पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस मांग पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :)क) और (ख) जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार के परामर्श से इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

ALLOTMENT OF PETROL PUMPS TO HARIJANS AND ADIVASIS

2381. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) the number of educated Harijans and Adivasis who have been allotted petrol pumps during the last three years; and

(b) whether any reservations have been made in regard to the number of petrol pumps to be allotted to the educated poor Harijans and adivasis ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) During the period from January 1971 to July, 1974, two retail outlets were allotted by the IOC to members of Scheduled Castes/ Tribes.

(b) Effective from 1-1-1974, 25% of the IOC's dealerships etc. including retail outlets (Petrol pumps) have been earmarked for persons belonging to Scheduled Castes/Tribes.

SHORTAGE OF COOKING GAS

2382. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether in view of the present situation of shortage of cooking gas Government propose to increase its production; and

(b) the number of applications received from private gas agencies during the last three months for licences for the production and distribution of gas ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) Not only an increase in production but other marketing and specialised transport arrangements are also necessary to increase the supply of domestic gas. Action is being taken to develop all these facilities to maximise the marketing of Liquid Petroleum Gas (LPG) from refineries.

(b) Liquid Petroleum Gas is at present produced only from the refineries. No private gas agencies are at present involved in the production of LPG. The question of granting any licences to private gas agencies for its production therefore does not arise, Indian, Oil Corporation is distributing LPG through a net-work of agents and sub-agents appointed in accordance with a definite policy laid down with the government's approval. Hindustan Petroleum Corporation, which has recently come into the public sector, and the other foreign oil companies have their own net-work of distribution.

हड़ताल के दौरान सेवा से निकाले गए रेल कर्मचारियों द्वारा अपीलें

2383. **श्री मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की रेल हड़ताल के परिणामस्वरूप जिन रेल कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया था उनमें से कितने कर्मचारियों ने अपनी बहाली के लिये अपीलें की हैं; और

(ख) कितने मामलों में रेल अधिकरियों ने अपीलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है और कर्मचारियों को बहाल किया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अपीलों के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। सेवाएं समाप्त किये जाने के विरुद्ध जब भी कर्मचारियों से अपीलें प्राप्त होती हैं, रेल प्रशासनों द्वारा उन पर विचार किया जा रहा है। जिनकी सेवाएं समाप्त

कर दी गई थीं, ऐसे कुल 16749 कर्मचारियों में से 6966 कर्मचारियों को उनकी अपील पर फिर से बहाल कर दिया गया है।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट

2384. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा अब तक सरकार को कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं।

(ख) इन रिपोर्टों में से कितनी रिपोर्टें संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखी गई हैं जैसा कि आदेश प्राप्त (मैन्डेटरी) उपबन्धों तथा एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अधीन अपेक्षित है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) : आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21/22/23 के अन्तर्गत नोटिसों की बावत 32 रिपोर्टों में से, इन पर केन्द्रीय सरकार के आदेश युक्त 27 रिपोर्टें सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई थीं।

इलैक्ट्रानिक उद्यमकर्ताओं द्वारा 'मैडिकल इलैक्ट्रानिक्स' के निर्माण के लिए एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से अनुमति मांगना

2385. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:--

(क) उन इलैक्ट्रानिक उद्यमकर्ताओं की संख्या क्या है जिन्होंने अपने विस्तार कार्यक्रम में "मैडिकल इलैक्ट्रानिक्स" के निर्माण हेतु एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से अनुमति मांगी है;

(ख) क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) दो आवेदन-पत्र

(1) मैसर्स फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड से हृदय अनुश्रवण उपकरण और उससे सहायकों, रोगी अनुश्रवण प्रक्रिया और उससे सहायकों, हृदय और मनो-चिकित्सा उपकरण और सहायकों तथा स्वांस एवं निश्चेतक उपकरणों के निर्मित किये जाने हेतु एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22

(2) मैसर्स सीमेन्स इण्डिया लिमिटेड से एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत कोबाल्ट चालित बीमकिरण चिकित्सा एककों के निर्मित किये जाने हेतु दूसरा,

क्रमश: 24 जनवरी और 12 मार्च, 1974 को प्राप्त किये गये थे। मैसर्स फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड का प्रस्ताव 8 अप्रैल, 1974 को आगे जांच एवं रिपोर्ट देने के लिए, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को भेज दिया गया था। आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। सीमेन्स इण्डिया लिमिटेड के प्रस्ताव की परीक्षा की जा रही है।

साबुन बनाने के लिए मैसर्स टाटा तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को की गई कच्चे माल की सप्लाई

2386. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स टाटा तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को नहाने का साबुन बनाने के लिए वर्ष 1972, 1973 में तथा जुलाई 1974 तक कितना कच्चा माल राजसहायता प्राप्त दरों पर सप्लाई किया गया; और

(ख) क्या इन फर्मों को सप्लाई किये गये कच्चे माल का पूर्णतया उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार द्वारा मैसर्स टाटा तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को साबुन का निर्माण करने के लिए सहायतार्थ रूप में कच्चे माल की कोई सप्लाई नहीं की जाती ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास तेल शोधक कारखाने में नेफ्था का उत्पादन

2387. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष, विशेष रूप से तेल शोधक कारखाने में नेफ्था के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 तथा 1973 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार नेफ्था का उत्पादन कम करने तथा मोटर स्पिरिट का उत्पादन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) वर्ष 1972 की तुलना में 1973 के दौरान देश में नेफ्था के उत्पादन में लगभग 7% की वृद्धि हुई । मद्रास शोधनशाला में लगभग 9% उत्पादन कम था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जहां मोटर गैसोलीन का प्रयोग स्वचालित ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, नेफ्था उर्वरक के उत्पादन तथा पेट्रोरसायन उद्योग के लिए एक आवश्यक कच्चा माल है।

इन उद्योगों के सम्बन्ध में नेफ्था की बढ़ती हुई मांग के साथ, यथा संभव मोटर गैसोलीन के उत्पादन तथा मांग को कम करके नैफ्था के उत्पादन में वृद्धि जारी रखने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा के लिए मिट्टी के तेल का नियतन

2388. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को गत छः महीनों में प्रत्येक माह, मिट्टी के तेल का कितना नियतन किया गया है; और

(ख) क्या राज्य को निर्धारित कोटे के अनुसार मिट्टी के तेल की सप्लाई की गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) गत 6 महीनों में उड़ीसा में मिटटी के तेल का आवंटन एवं सप्लाई निम्न प्रकार रही :—

(आंकड़े मीटरी टनों में)

माह	आवंटन	सप्लाई
फरवरी, 1974	4,570	7,063
मार्च, 1974	4,752	5,069
अप्रैल, 1974	4,543	6,125
मई, 1974	4,188	5,782
जून, 1974	4,628	4,420
जुलाई, 1974	4,038.	अभी उपलब्ध नहीं

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वास्तविक सप्लाई आवंटन से अधिक है।

पंजाब को मिट्टी के तेल का नियतन

2389. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में महीनेवार, पंजाब राज्य के लिये मिट्टी के तेल का कितना नियतन किया गया है ;

(ख) क्या नियत किये गये कोटे के अनुसार ही राज्य को मिट्टी के तेल की सप्लाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) पिछले 6 महीनों के दौरान पंजाब को मिट्टी के तेल का आवंटन तथा सप्लाई इस प्रकार है:—

(आंकड़े मीटरी टनों में)

मास	आवंटन	सप्लाई
फरवरी, 1974	9,779	9,231
मार्च, 1974	10,589	7,904
अप्रैल, 1974	9,076	11,757
मई, 1974	9,258	11,318
जून, 1974	9,971	9,967
जुलाई, 1974	9,081	अभी उपलब्ध नहीं है

पहले महीनों में कमी का मुख्य कारण शीत ऋतु में वर्षा के न होने के कारण कृषि क्षेत्र में तुरंत अपेक्षित डीजल तेल के लाने ले जाने के लिए प्राथमिकता दिया जाना था। तथापि, इन कमियों को दूसरे महीनों में की गई अतिरिक्त सप्लाई से पूरा किया गया था और जून,74 तक की कुल सप्लाई आवंटन से अधिक थी।

शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना

2390. **श्री अनादि चरण दास**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शाहदरा–सहारनपुर लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने से कौन-कौन से नगर इस लाइन से जुड़ जायेंगे तथा कौन-कौन से नगर इस लाइन से अलग हो जायेंगे; और

(ग) कुछ वर्तमान रेलवे स्टेशनों/नगरों के लाइन से अलग करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) जिस क्षेत्र में पहले शाहदरा–सहारनपुर लाइट रेलवे चलती थी उस में एक नई बड़ी लाइन बनाने की अनुमति दी जा चुकी है। इसके लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के पूरा हो जाने और सर्वेक्षण रिपोर्टों की सभी दृष्टिकोणों से जांच कर लिए जाने के बाद ही अपनाये जाने वाले मार्ग और उस मार्ग से जोड़े जाने वाले या अलग किये जाने वाले नगरों के बारे में अन्तिम विनिश्चय किया जायेगा।

बिलासपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स अनुमान शूगर मिल्स और रामा इंजोनियरिंग वर्क्स

2391. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, हनुमान शुगर मिल्स और रामा इंजीनियरिंग वर्क्स का मालिक एक ही व्यक्ति है।

(ख) क्या रामा इंजीनियरिंग के मालिक ने इसे रामाकास्ट नामक एक नई कम्पनी में परिवर्तित कर लिया है।

(ग) क्या बिड़ला से सम्बन्धित इन फर्मों के मामले स्वीकृति के लिये एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपे गये हैं : और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) प्रश्न में वर्णित तीनों कम्पनियों के सही नाम ये हैं (1) बिलासपुर स्पिनिंग मिल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (2) श्री हनुमान शूगर एण्ड इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड तथा (3) रामाकास्ट लिमिटेड [जिसका 8 फरवरी 1974 से पूर्व का नाम रामा इंजीनियरिंग वर्क्स (मोतीहारी) लि० था]। ये सभी तीनों कम्पनियां, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं। श्री हनुमान शूगर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि० के प्रबन्ध निदेशक श्री शिव प्रसाद नोपानी (श्री रामेश्वर लाल नोपानी के सुपुत्र) हैं, जबकि अन्य दो कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशक श्री विमल कुमार नोपानी (श्री मोहन लाल नोपानी के सुपुत्र) हैं।

(ख) रामा इंजीनियरिंग वर्क्स (मोतीहारी) लि० का नाम, 8 फरवरी 1974 से रामाकास्ट लि०, परिवर्तित कर दिया गया था।

(ग) तथा (घ) इन तीनों कम्पनियों में से कोई भी, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत, न तो एकाकी उपक्रम के रूप में और ना ही बिड़ला समूह से सम्बन्धित उपक्रमों के अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों के रूप में पंजीकृत हैं। ना ही उन्होंने एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 21, 22 अथवा 23 के अन्तर्गत निर्बाधन के लिए कोई आवेदन-पत्र दिया है। इन तीनों कम्पनियों के नाम, एकाधिकार जांच आयोग तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्टों में बिड़ला कम्पनियों की सूची में नहीं हैं।

पाली-मारवाड़ स्टेशन का विकास

2392. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाली-मारवाड़ स्टेशन में आवश्यक सुधार और विकास के लिए उनका लिख कर ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या उनके आदेश पर स्थानीय संसद् सदस्य के साथ जोधपुर डिवीजन के एक उच्चतम रेलवे अधिकारी ने स्टेशन की जांच की थी और यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या इस बारे में एक प्रतिवेदन तैयार किया गया था और यदि हां, तो कब, और

(घ) इस सम्बन्ध मे सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। 9-2-74 को माननीय संसद् सदस्य और सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक, जोधपुर ने मिलकर निरीक्षण किया था।

(ग) जी हां। 1-3-1974 को।

(ब) जिस रिपोर्ट में माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव शामिल थे उस पर की गयी कार्रवाही संलग्न विवरण में दिखायी गयी है।

विवरण

9-2-1974 को पाली-मारवाड़ रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान श्री एम० सी० डागा, संसद् सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव	की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई
(i) पाली-मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर यात्री हाल का विस्तार	(i) इस स्टेशन पर किसी एक समय में सम्भाले जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या 223 है। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस स्टेशन पर 1433 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला दूसरे दर्जे का एक प्रतीक्षालय पहले से ही मौजूद है, जो पर्याप्त समझा जाता है। अतः यात्री हाल का विस्तार आवश्यक नहीं समझा जाता।
(ii) यार्ड के मारवाड़ जं० वाले सिरे पर मुख्य लाइन से माल गोदाम और पाली-मारवाड़ के लिए निकलने वाली लाइन जो यार्ड के लूनी जं० वाले सिरे पर मुख्य लाइन से मिलती है, शहर से स्टेशन की ओर आनेवाली सड़क को काटती है। इसे दूर किया जाना चाहिए।	(ii) सुझाव के अनुसार लाइनों को वहां से हटाने से सभी अप और डाउन माल गाड़ियों को प्रतिदिन 1½ घंटे का अतिरिक्त विलम्ब हुआ करेगा जो परिचालन के दृष्टिकोण से वांछनीय नहीं है।
(iii) स्टेशन को इमारत और रेलवे को सीमा के बीच वाली भूमि को कारें और टांगें खड़े करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।	(iii) ऐसा करना तब तक व्यावहारिक नहीं है जब तक माल लाइनों को उपर्युक्त ii के अनुसार हटा नहीं दिया जाता।
(iv) रेल परिसरों के भीतर पहुंच मार्गों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।	(iv) माननीय सदस्य को रोशनी की वर्तमान व्यवस्था मौके पर दिखायी गयी थी और निरीक्षण के बाद उन्होंने अनुभव किया था कि यह व्यवस्था पर्याप्त है, और इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाही आवश्यक नहीं है।

PRODUCTION OF SODA FACTORY NEAR GWALIOR RAYONS IN M.P.

2393. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state the production capacity and annual production of Soda factory located near Gwalior Rayons in Birlagram in Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : The licensed capacity of the caustic soda plant of M/s. Gwalior Rayon and Silk Manufacturing (Wvg.) Company Ltd., at Birlagram in Madhya Pradesh is 33,000 tonnes/year, and the production was 12,565 tonnes in 1972-73 and 38,035 tonnes in 1973-74.

साहिबाबाद के निकट रेल दुर्घटना

2394. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा**
श्री मोहम्मद शरीफ } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साहिबाबाद के निकट (दिल्ली–उत्तर प्रदेश सीमा पर) 15 जुलाई, 1974 को हुई रेल दुर्घटना के बारे में जांच प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ; और

(ख) गत कुछ समय के दौरान उक्त लाइन पर तथा इस स्टेशन के निकट कितनी दुर्घटनाएं हुईं और उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने व्यक्ति घायल हुए ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जांच समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) दिल्ली-गाजियाबाद खण्ड पर जनवरी, 73 से जुलाई, 74 तक की अवधि में एक-एक करके तीन रेल दुर्घटनाएं हुईं। इन दुर्घटनाओं में 3 रेल कर्मचारियों और 1 यात्री की मृत्यु हुई और एक यात्री को गम्भीर चोटें आयीं।

LOSS SUFFERED BY *I.D.P.L.*

2395. SHRI MADHAVRAO SCINDIA
SHRI G. P. YADAV } : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether the capital of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited was Rs. 33.7 crores and it has suffered loss to the tune of Rs. 38 crores till 31st March, 1973;

(b) the causes of this loss and the action taken in this regard; and

(c) whether Government will conduct an enquiry into the causes of this loss through an impartial commission ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement containing necessary information is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T. 8179/74.]

(c) No Sir. The Committee on Public Undertakings, in its 56th report submitted in April, 1974, has made a number of recommendations for improving the working of three operating units of Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. These recommendations are being studied for taking suitable action.

अन्तर-निगम पूंजी-निवेश को विनियमित करने के लिए बनाए गये नियम और विनियम

2396. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर-निगम पूंजी निवेशों को विनियमित करने के लिए कम्पनी अधिनियम, के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई नियम तथा विनियम बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में बिड़ला, टाटा, मफ्तलाल, श्रीराम, गोयन्कास आफ डन्कन ब्रादर्स और सूरज मल नागर मल के नियंत्रणाधीन फर्मों को दी गई अन्तर-निगम पूंजी निवेश की अनुमति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या सब मामलों में कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों का कठोरता से पालन किया गया हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) बिड़ला, टाटा, श्रीराम तथा गोइन्काओं को गत तीन वर्ष के मध्य अन्तः निगम निवेश के लिए दी गई अनुमति प्रदर्शित करते हुए एक विवरण-पत्र (परिशिष्ट) संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8180/74]**

इस अवधि के मध्य मफतलाल अथवा सूरजमल नागर मल समूह की किसी कम्पनी को अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था ।

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय, नियोजनकर्ता कम्पनी के रोक-संसाधनों की पर्याप्तता, नियोजित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, एवं वह सीमा, जहां तक, आर्थिक कार्य-कलापों एवं उत्पादन-सुधार के साथ-साथ इन सम्बन्धित कम्पनियों के हितों के लिये सहायक परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना हो, पर विचार किया जाता है। अन्तः कम्पनी नियोजनों की अनुमति, परिकल्पना से क्षितिज अथवा अवास्तविक उद्देश्य के लिये होने के समुचित सन्देह पर, नहीं दी जाती है ।

दिल्ली में भूमि पर चलने वाली तथा भूमिगत ट्यूब रेलवे

2397. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दिल्ली में भूमि पर चलने वाली तथा भूमिगत ट्यूब रेलवे चलाने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और उस पर कितना व्यय आयेगा ; और

(ग) इस प्रकार का रेल यातायात दिल्ली में स्थानीय यातायात भार को कम करने में कहां तक सहायक होगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) और (ग) दिल्ली में और इसके आस-पास लगभग 100 कि० मी० तक बड़ी रेल लाइनों के साथ-साथ भूमि पर चलने वाली प्रस्तावित द्रुत परिवहन प्रणाली के अलावा, दो भूमिगत द्रुत पारवहन प्रणालियों--एक उत्तर से दक्षिण तक अन्तर्राजीय बस अड्डा और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी के बीच लगभग 17 कि० मी० की दूरी के लिए और दूसरी पूर्व से पश्चिम तक राजौरी गार्डन से यमुना नदी के दूसरी ओर शाहदरा के बीच लगभग 19 कि० मी० की दूरी के लिए--का प्रस्ताव है, जिनसें स्थानीय यातायात की समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी ।

जापान को नेफ्था का निर्यात

2398. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) वर्ष 1972 और 1973 में जापान को कुल कितना नेफ्था निर्यात किया गया तथा वहां से कितना यूरिया आयात किया गया ; और

(ख) उनकी आयात और निर्यात लागत क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) 1972 तथा 1973 के दौरान जापान को कोई नेफ्था निर्यात नहीं किया गया था। वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान जापान से आयात किये गये यूरिया की मात्रा तथा उसके मूल्य के बारे में पता लगाया जा रहा है और इसके संबन्ध में सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE : ADJOURNMENT MOTION

प्रश्न

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : I have submitted an Adjournment Motion. Yesterday Youth Congress demonstrators were fired at Balsar Station as a result one person was killed and several others injured.

MR. SPEAKER : I have admitted a Calling Attention in this matter.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : It is a matter of an Adjournment Motion.

MR. SPEAKER : We cannot accept an Adjournment Motion in this matter.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : You give the rulings that the names of those persons who have submitted an adjournment motion should also be included in the Calling Attention Notice.

MR. SPEAKER : First of all I would like to see it.

SHRI MADHU LIMAYE (Banka) : Bharatpur Wagon Factory Workers have been shot dead. Ten persons have been killed in the firing. I want to know whether discussion under Article 377 or a Calling Attention will be allowed in this regard. (*Interruptions*)

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में अध्यक्ष को अधूरी सूचना भेजना

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि 3 मई, 1974 को श्रीमती विभा घोष गोस्वामी, संसद् सदस्या, की गिरफ्तारी के बारे में आफिसर-इन्चार्ज, रणघाट पुलिस स्टेशन, पश्चिम बंगाल द्वारा भेजी गई अधूरी

सूचना और तदनुपरान्त जिला मजिस्ट्रेट, नाडिया और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा व्यक्त किये गये स्पष्टीकरण और खेद, जिसकी सूचना अध्यक्ष ने सभा को 9 अगस्त, 1974 को दी, से उत्पन्न विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।"

अध्यक्ष महोदय : इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विशेषाधिकार में जिला मजिस्ट्रेट, जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस और अन्य सम्बद्ध पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि नियम 229 के अन्तर्गत गिरफ्तारी की जानकारी सजा देने वाले न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा कार्यकारी अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिये। इस मामले में इसकी सूचना सब-इंस्पैक्टर द्वारा दी गई है जो बहुत आपत्तिजनक है। जिला मजिस्ट्रेट ने यह सूचित किया है कि श्रीमती गोस्वामी की गिरफ्तारी की सूचना एस० डी० पी० ओ०, सब-डिवीजनल पुलिस अधिकारी रणघाट द्वारा शीघ्र ही लोक सभा के अध्यक्ष को दे दी गई थी। आप यह देखेंगे कि तार-रणघाट पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर अथवा इंस्पेक्टर से प्राप्त हुआ था। नियम 229 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया हुआ है कि नियम के अन्तर्गत सूचना देना आवश्यक है और इसके साथ तीसरी अनुसूची पढ़ी जानी चाहिये। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि समिति द्वारा की जाने वाली जांच के मामले में इन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिये और इन्हें अनुकरणीय सजा दी जानी चाहिये क्योंकि केवल पश्चिम बंगाल में ही दो वर्ष की अवधि में मेरे दल के अनेक संसद् सदस्यों को परेशान किया गया है और उनका अपमान किया गया है तथा उन्हें डराया गया है। विशेषाधिकार-समिति के सामने इस समय तीन विचाराधीन मामले हैं। वहां पुलिस हमारे दल के संसद् सदस्यों को निरन्तर परेशान कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का पहले ही निर्णय ले चुके हैं। विशेषाधिकार समिति इस मामले की जांच करेगी।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : इस बारे में लोक सभा सचिवालय से जानकारी प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय ने सम्बद्ध अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया था और अन्ततः जिला मजिस्ट्रेट ने इस बारे में विस्तृत ब्यौरा भेजा था और इस सम्बन्ध में खेद प्रकट किया था। न केवल जिला मजिस्ट्रेट बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस गलती पर खेद प्रकट किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : खेद प्रकट करते हुए भी उन्होंने गलत विवरण दिया है और मैंने इसका उदाहरण भी दिया है।

श्री विक्रम महाजन (काँगड़ा) : यह एक निश्चित सिद्धांत है कि सरकार तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खेद-व्यक्त किये जाने पर मामले को समाप्त किया जाना चाहिये। अतः इसे विशषाधिकार समिति को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

SHRI MADHU LIMAYE : If you are of the opinion that the matter should be referred to the Committee, it must be referred to the Committee and the matter should not be decided on voting here.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Generally the matter closes when the concerned authority expresses regrets, but this is the second case of this kind.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : This is the fourth case of this kind.

अध्यक्ष महोदय : अधिकारी ने इस मामले में अपना खेद प्रकट किया है और उन्होंने बताया है कि उनकी वास्तव में यह धारणा थी कि पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी भविष्य में इस बारे में ध्यान देने को कहा है और इस सम्बन्ध में खेद प्रकट किया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : इस बारे में स्पष्टीकरण करना होगा कि क्या यह वही अधिकारी है जिसने दुबारा ऐसा किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सर्व प्रथम, इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट से सूचना प्राप्त होनी चाहिए थी जैसे नवम्बर, 1973 में प्राप्त हुई थी। उस समय श्रीमती विभा घोष गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था और नियम 229 के अन्तर्गत आवश्यक सूचना दी गई थी और इसके साथ तीसरी अनुसूची को भी पढ़ा गया था और उस पर जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर थे। लेकिन इस बार सूचना रणघाट पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर अथवा इंस्पेक्टर आफ पुलिस ने दी थी जो त्रुटिपूर्ण है। उसे अध्यक्ष को ऐसा सूचित करने का अधिकार नहीं है। ऐसा जिला अधिकारी, वर्तमान न्यायधीश अथवा मुख्य कार्यकारी द्वारा किया जाना चाहिए था। दूसरे खेद प्रकट करते हुए दिये गये स्पष्टीकरण में कुछ गलत विवरण दिये गये हैं। उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जो बिल्कुल असत्य है और ऐसा जानबूझकर अपनी गलती छिपाने के लिये किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने यह सूचित किया है कि श्रीमती गोस्वामी की गिरफ्तारी की सूचना माननीय अध्यक्ष को एस० डी० पी० ओ० रणघाट द्वारा शीघ्र दी गई थी। सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी राजपत्रित कर्मचारी होता है और एक सब-डिवीजन का प्रभारी होता है, लेकिन आप देखेंगे कि तार एक सब-इंस्पैक्टर अथवा इंस्पेक्टर द्वारा भेजा गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने नियम 229, जो बिल्कुल स्पष्ट है, का भी गलत-फहमी के अन्तर्गत सहारा लेने का प्रयास किया है। ऐसा पहली बार किसी संसद् सदस्य के मामले में नहीं किया गया है। अत : खेद व्यक्त करते हुए वह सदन को गुमराह कर रहे हैं और अपनी गलती छिपाने के लिए जानबूझकर गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। यदि उन्हें दोषी पाया जाए तो अनुकरणीय सजा दी जानी चाहिए।

श्री वसंत साठे (अकोला) : पिछली बार जब यह मामला उठाया गया था तब हमारी यह धारणा थी कि उसी अधिकारी ने उसी स्थान पर उसी तरह नियम का उल्लंघन किया है। लेकिन यह ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल सरकार और मजिस्ट्रेट अधिकारियों ने स्पष्ट तथा बिना शर्त खेद व्यक्त किया है। यदि इसमें कोई बात बढ़ा-चढ़ा कर कही गई होती तो हम श्री ज्योतिर्मय बसु का समर्थन करते और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने की मांग करते। यह केवल तकनीकी त्रुटि है और सभा का अपमान नहीं है। अत: इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The matter of privilege is a matter not concerning to any party alone but it is a matter concerning the whole House. The other day when the matter was raised here we had been in the impression that the same police officer had committed the offence twice. But from the facts stated today it was clear that it was not the case. The police officer in this case is not the same who involved in the earlier case. Since it is the police officer's first offence and he has expressed regret Shri Joytirmoy Bosu should not press the matter.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : कानून का पता न होना कोई बहाना नहीं है। जहां तक जिला मजिस्ट्रेट का सम्बन्ध है, यह दाण्डिक उपेक्षा है। मेरी यह सलाह है कि इस मामले को विशषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए जो इस बात की जांच करे कि यह पहला अपराध है, दूसरा अपराध है अथवा कोई अपराध नहीं है। जब इस प्रयोजन के लिये समिति नियुक्त की गई है, तो उसे ही इस मामले में गुण-दोष के आधार पर निर्णय देना चाहिये। यदि यह अपराध दूसरी बार किया गया है तो यह बहुत गम्भीर मामला होगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : क्या यह मामला दो दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है जिससे हमें यह पता लग सके कि इसमें क्या बातें अर्न्तग्रस्त हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर 16 तारीख को विचार करेंगे ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 485 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 8173/74]

परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन आदेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आंध्र प्रदेश राज्य में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 16, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 449(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) महाराष्ट्र राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 17, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 452(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय म रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 8174/74]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत वर्ष 1970–71 के लिये भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन

संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग 6-हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8175/74]

टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) टैरिफ आयोग, अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अल्यूमीनियम उद्योग की प्रगति के पुनरीक्षण पर टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1974) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में साथ-साथ सरकारी संकल्प सभा पटल पर न रखे जाने तथा (दो) उक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण के सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8176/74]

अखबारी कागज के आयात सम्बन्धी नीति

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मैं वर्ष 1974-75 के लिए अखबारी कागज के आयात संबंधी नीति के बारे में दिनांक 7 जून, 1974 की सार्वजनिक सूचना संख्या 79—आई० टी० सी० (पी० एन०)/74 के संशोधन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय म रखी गयी। देखिए संख्या 8177/74]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 8 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण) संशोधन विधेयक, 1974 पास कर दिया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 8 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में एलकाक ऐशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1974 पास कर दिया है।

(तीन) कि राज्य सभा को प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1974, जो लोक सभा द्वारा 1 अगस्त, 1974 को पास किया गया था, के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

महासचिव : मैं निम्नलिखित विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (प्रबन्ध-गृहण) संशोधन विधेयक 1974

(2) एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1974

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

'दिल्ली में सप्लाई किये जाने वाले पेय जल में संक्रामक पीलिया (हेप्राइटिस) के किटाणु'

SHRI MADHU LIMAYE (Banka) : Sir, I call the attention of the Minister of Health and Family Planning to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported statement of the Director General of Health Services regarding the presence of infective hepatitis germs in filtered water supplied in Delhi and the steps taken by Government to meet the situation."

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. KARAN SINGH) : The press report of an epidemic of infective hepatitis in Delhi is incorrect. There has been no abnormal increase in the incidence of this disease in the Union Territory of Delhi as compared to previous years.

The Director General of Health Services was asked by a Press Correspondent to advise about precautions to be taken regarding drinking water during the monsoon months. He had generally advised that though filtration and chlorination destroy other organisms, the virus of infective hepatitis can only be destroyed by boiling the water. He had enumerated the measures that have been taken by the Delhi Municipal Corporation to prevent contamination of water, and building of the barrage at Wazirabad was a step in this direction. However, the hand-pumps in use in Delhi, particularly in unauthorised colonies, which only tap the sub-soil water have shown contamination from time to time and are, therefore, potential sources for spread of water-borne diseases. In these colonies community drinking water-taps have been provided by the Municipal Corporation.

Because of the potential hazard for the spread of gastro-enteritis, infective hepatitis and other related diseases, a close watch is kept round the year on their incidence in Delhi and weekly figures are collected from the hospitals. It has been our observation that these diseases tend to show an increased incidence during the summer months when there is scracity of water and also during the monsoon months because of increased chances of water pollution.

SHRI MADHU LIMAYE : Sir, a news-item appeared in the 'Hindustan Times', dated 8th August wherein it was stated that 'there were hundreds of case of infective hepatitis in the capital. The situation was described as an epidemic and according to the D.G.H.S. Dr. J. B. Shrivastava Delhi's water supply was not free from the danger of that disease.'

The Hon. Minister has also admitted that the figures relating to the cases of infective hepatitis are collected week-wise. I would like to know whether these figures are collected from the hospitals alone in Delhi or from the private practitioners the number of which is above three thousands in Delhi. The Hon. Minister has also admitted that these diseases tends to show an increased incidence during the rainy season. In this context I would like to know whether the Hon. Minister would provide no with detailed information stating the weekly figures of these diseases since first day of the month of June registered with the Hospitals and the private practitioners as well.

Secondly, I would like to know whether Government propose to take certain steps to ensure that the entire sewerage and industrial affluent of the capital of our country are allowed to reach both Yamuna and Hindan rivers which are the main source of water supply in Delhi only when they are properly treated to avoid water pollution. If it is done we can get gas which can be utilised as fuel.

Thirdly, according to the experts people living in north-west areas of Delhi generally use hand pumps which only tap sub-soil water. It also results in increase in such diseases. May I know whether steps have been taken by the Government to find the facts in this regard ? May I also know whether Government have taken any steps to check such diseases in the flood affected States like Assam and Orissa ?

In the last I would like to know whether Government are taking any steps to reorganise the water supply and sewerage disposal undertaking which has not performing its duty properly.

DR. KARAN SINGH : Sir, I have contradicted the press report regarding epidemic of infective hepatitis in Delhi. The Director General of Health Services has also said that this disease is not of epidemic nature. He has generally advised that people should drink boiled water in the rainy season. So far as the figures are concerned, infective hepatitis is not a notified disease. However I can give raw-statistics regarding the cases of this disease. In Delhi, 4620 cases in 1972, 4981 cases in 1973 and 1633 cases in the six-month of 1974 were recorded. Thus the situation cannot be regarded as epidemic.

SHRI MADHU LIMAYE : Have these figures been collected from the hospitals alone or from the private practitioners as well ?

DR. KARAN SINGH : These figures are collected from the Hospitals. In view of the fact that hospitals provide free service most of the patients go there. Thus the trend of the disease is clearly indicated by the figures collected from the hospitals.

So far as the question of water pollution is concerned, I would like to state that recently an Act has been passed in this connection. Efforts are also being made to increase the capacity of existing Sewerage Treatment Plants. The Ministry of Works and Housing has prepared a scheme under Master Plan in this regard. It is a fact that the level of sub-soil water has increased and that it is found considerably polluted. A new plant of the capacity of 100 M.G.P.D. for water supply is being constructed near Hedarpur village in order to augment water supply. Another such plant is proposed to be constructed in Shahdra. Besides, Renny wells are being constructed. Ram Ganga Canal Project is also under consideration.

So far as the difficulties faced by the flood affected States are concerned we have supplied Hologine tablets to the States of Assam, West Bengal, Bihar, U.P. and Kerala. With there tablets drinking water can be purified to a considerable extent. 200 tonnes of bleaching powder is also being requisitioned to meet the requirements of various States. Though this is primarily a State subject, yet we will try our best to help them in this connection.

श्री के० मालन्ना (मधुगिरी) : महोदय ! दिल्ली में जल दूषण के लिये जल प्रदाय और मूल कयन संस्थान उत्तरदायी है। दिन प्रति दिन मलेरिया, हैजा, आंत्रशोथ जैसी अनेक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। टाइम्स आफ इंडिया के अनुसार 1973 में 730 व्यक्ति आंत्रशोथ तथा 32 व्यक्ति इंफेक्टिव हेपेटाइटिस के रोग से मारे गये। इस के अतिरिक्त दिल्ली की जनता को पर्याप्त मात्रा में जल की सप्लाई नहीं किया जाता।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में विद्यमान पांच जल संयंत्रों के माध्यम से पर्याप्त जल की सप्लाई की जा सकती है और यदि नहीं तो उस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है।

दूसरे, दिल्ली में 100 किलोमीटर तक लम्बी पाइप लाइनें हैं जो स्थान-स्थान पर टूटती रहती हैं तथा उनकी मरम्मत आदि के समय पानी में गंदगी मिल जाती है तथा पानी दूषित हो जाता है। अनधिकृत बस्तियों के अतरिक्ति अन्य बस्तियों में भी हैंड पम्प लगाये गये हैं जिनके कारण भी रोग फैलता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की रोक-थाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। क्या सरकार का विचार जल का परीक्षण करने के लिये जल प्रयोगशालाएं बनाने का है ?

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पानी में अधिक मात्रा में क्लोरिन मिला दी जाती है अथवा कभी उसमें क्लोरीन मिलाई ही नहीं जाती। रेन्नी वैल में क्लोरीन मिलाने से वह

फैरीक क्लोराइड में बदल जाती है जो पेट के लिये खराब है। अत : अभी तक पानी को शुद्ध करने के लिये कोई उपयुक्त तरीका नहीं निकाला जा सका।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ओखला स्थित जल संयंत्र को बन्द किये जाने की सिफारिश की गई थी क्योंकि उसमें बहुत दूषित जल होता है ? क्या यह भी सच है कि हेपेटाइटिस के कीटाणओं को जल साफ करने की विद्यमान तकनीक के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता और यदि हां, तो क्या सरकार कोई अन्य तरीका निकालने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें भाषण देने का नहीं ।

श्री के० मालन्ना : मैं यह जानना चाहता हूं कि जल से उत्पन्न होने वाले रोगों की रोक थाम के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक बीमारियों के कारणों का सम्बन्ध है उसमें दूषित जल का भी बहुत योगदान है। फिर भी यह सच है कि कई राज्यों की तुलना में दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी है। दिल्ली में जल की सप्लाई प्रति व्यक्ति प्रति दिन 48 गैलन है जबकि बम्बई में 29 गैलन और मद्रास में 17 गैलन।

जहां तक पाइप लाइनों के फटने का सवाल है मुझे निर्माण और आवास मंत्रालय से जानकारी प्राप्त हुई है कि पाइप लाइनों के फटने के मामलों की अविलम्ब देखभाल की जाती है तथा मरम्मत कार्य तुरन्त किया जाता है।

यह कहना भी सच नहीं है कि दिल्ली नगर निगम ने हैंड पम्प लगाये हैं। हैंड-पम्प व्यक्तियों ने स्वयं लगाये हैं। जनता को यह भी बताया गया है कि वे दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाये गये हाइडेंटों से पानी पियें तथा हेंड पम्पों से पानी न पियें। हैंड-पम्प का पानी बहुत दूषित होता है तथा उसको बिना उबाले नहीं पीना चाहिये।

(व्यवधान)

यह कहना सच है कि कई समितियों ने ओखला संयंत्र को बन्द किये जाने का सुझा दिया है। किन्तु जब तक रामगंगा नहर अथवा हैदरपुर परियोजना पूरी नहीं होती तब तक उसे बन्द नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें पानी की बहुत कमी हो जाएगी। ओखला संयंत्र की स्थिति में सुधार करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मंत्री महोदय ने कहा है कि जल के अभाव की स्थिति में तथा जल की अधिकता की स्थिति में इन बीमारियों में सामान्यत: वृद्धि हो जाती है।

वास्तव में जल से उत्पन्न बीमारियों का प्रभाव 30–40 दिन के पश्चात् ज्ञात होता है। मंत्री महोदय के अनुसार मई से सितम्बर तक की अवधि में यह बीमारियां अधिक होती हैं। क्या यह उपयुक्त नहीं है कि जैसे ही जल दूषण की सम्भावनाएं उत्पन्न हों तभी कोई कदम उठा लिया जाय ?

जल की खपत के सम्बन्ध में हमें अपने देश की पश्चिमी देशों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां लोग मद्यपान करते हैं तथा यहां पानी ही पीते हैं। मैं यह भी

सुझाव देना चाहता हूं कि लोहे के पाइपों के स्थान पर प्लास्टिक के पाइपों का उपयोग किया जाना चाहिये। विदेशों में अधिकतर प्लास्टिक के ही पाइपों का उपयोग किया जाता है।

डा० कर्ण सिंह : मैं यह कहना चाहता था कि ग्रीष्म तथा वर्षा के महीनों में सामान्यता इन रोगों के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि उन दिनों हर वर्ष होती है किन्तु गत वर्षों की तुलना में उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। मरे मंत्रालय ने जल के परीक्षण के लिये रासायनिक, भौतिक बैक्टीरियोलाजीकल आदि मानक निर्धारित किये हैं तथा प्रति माह लगभग 1,000 सैम्पलों की जांच की जाती है। हम विदेशों द्वारा निर्धारित किये गये मानकों पर भरोसा नहीं करते तथा हमने अपने मानक निर्धारित किये हैं। प्लास्टिक पाइपों सम्बन्धी सुझाव वास्तव में हितकर प्रतीत होता है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : जल से उत्पन्न बीमारियों के कारण 25 प्रतिशत मौत होती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मृत्यु दर में कोई वृद्धि हुई है ? क्या यह बीमारी हैंड पम्पों के कारण होती हैं तथा क्या उनको उखाड़ा जाएगा ? क्या दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में नागरिक सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ग्रीष्म और वर्षा से पहले ही इन बीमारियों को रोकने के लिये उपाय क्यों नहीं करती ?

डा० कर्ण सिंह : मुझे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1972 में इस बिमारी से हुई मोतों की दर 1.2 प्रतिशत थी तथा 1973 में एक प्रतिशत से भी कम थी। किन्तु मेरा विचार है कि इस प्रतिशता को भी घटाया जाना चाहिये। हैंड-पम्प मुख्यत: अनधिकृत बस्तियों में हैं तथा समस्या नगरीय विकास की समस्या है। जहां तक नागरिक सुविधाओं का प्रश्न है मेरे विचार से विश्व का ऐसा एक भी नगर नहीं है जिसमें सभी अपेक्षित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हों। इस दृष्टि से दिल्ली की स्थिति हमारे अन्य बड़े नगरों से बहुत अच्छी है। यदि अधिक धनराशि उपलब्ध हो सके तो अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। मेरे विचार से इस समस्या का वास्तविक समाधान यही हो सकता है कि पेय-जल की अधिकाधिक सप्लाई की जाये तथा मल व्ययन सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार किया जाये। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरशन लि० में इंजीनियरों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE STRIKE BY ENGINEERS IN NEYVELI LIGNITE CORPORATION LTD.

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : महोदय, तमिलनाडु के दक्षिण अर्काट जिले में स्थित नेवली लिग्नाइट निगम के नैवेली लिग्नाइट कम्प्लैक्स में काम कर रहे लगभग 1,200 कनिष्ट इंजीनियर तथा बीच के दर्जे के तकनीकी कर्मचारियों ने अधिक वेतन भत्ते, स्वत: पदोन्नति तथा कुछ पदों के ग्रेडों को बढ़ाने की मांग को लेकर 11 अगस्त, 1974 के प्रात: से हड़ताल कर दी है। सहायक इंजीनियरों द्वारा हड़ताल तथा उसकी सहानुभूति में धीमे काम करो जैसी कार्यवाही किए जाने के फलस्वरूप निगम को विवश होकर अपने कोयला–ईट-निर्माण, उर्वरक तथा बिजली संयंत्रों को बन्द करना पड़ा। परन्तु आज सवेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार, खानों में काम हो रहा है।

2. कनिष्ठ इंजीनियरों तथा बीच के तकनीकी कर्मचारियों को पहले ही अधिक वेतन भत्ते की पेशकश की जा चुकी है। परन्तु स्वत: पदोन्नति आदि जैसी अन्य मागों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेवेली लिग्नाइट निगम के अध्यक्ष ने यह मामला केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया था, परन्तु इंजीनियरों को यह स्वीकार्य नहीं हुआ और उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। इससे पूर्व, मद्रास में प्रबंधकों के साथ उनकी समझौता वार्ताएं हुई थीं, परन्तु वे असफल रहीं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि संघ सरकार ने नेवेली कम्प्लैक्स में भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत हड़तालों पर रोक लगाई हुई है। इस गैर-कानूनी हड़ताल के सिलसिले में भारत रक्षा नियमों के अधीन अब तक 47 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

3. नेवेली लिग्नाइट जैसे मुख्य उद्योग, जो अत्यन्त आवश्यक बिजली और उर्वरक पैदा करता है, का ऐसे नाजुक समय में बन्द हो जाना, जबकि देश को गम्भीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो तथा सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने और मंहगाई को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हों, अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। अत: मैं नेवेली के हड़ताली इंजीनियरों से अपील करता हूं कि वह अपनी अनुचित और अवध हड़ताल के परिणामों को देखते हुए शीघ्र काम पर लौट आएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी परन्तु आपने मंत्री महोदय को स्व-प्रेरित वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है। मैंने इस मामले में नियम 377 के अधीन और एक अल्प सूचना प्रश्न का भी नोटिस दिया था। श्रमिक अपनी मांगों की पूर्ति के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। 10 श्रमिकों को भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया गया है। परन्तु आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार न करके मंत्री महोदय को वक्तव्य की अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन ध्यानाकर्षण के बारे में अनेक नोटिस प्राप्त होते हैं जिनमें से एक को चुना जाता है। अन्य मामलों में से किसी के बारे में यदि मंत्री महोदय स्वयं वक्तव्य देना चाहे तो उन्हें रोका नहीं जा सकता।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

(एक) एक ही नम्बर वाले पांच-पांच रुपये के 20 करेंसी नोट प्राप्त होना

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : समाचार पत्रों में राजकोट से दिनांक 10 अगस्त को एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि गुजारात राज्य परिवहन निगम को एक समान नम्बर वाले 5 रु० के बीस नोट स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र से मिले हैं। यह एक बहुत ही अजीब बात है कि ये नोट स्टेट बैंक आफ इंडिया से मिले थे। इनको प्राप्त करने वाला अभिकरण भी सरकारी था।

सदन को याद होगा कि 26 जुलाई, 1971 को एक समाचार एजेन्सी ने राजकोट से समाचार दिया था कि मौरवी के एक सामाजिक कार्यकर्ता को एक समान नम्बर वाले 10रु० के चार नोट प्राप्त हुए हैं। ये नोट उन्हें लोक सभा के मध्यावधि चुनावों के दौरान मिले थे। बाद में जब मामला लोक सभा में उठाया गया तो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा था

कि इन नोटों के नम्बरों में गड़बड़ की गई थी। परन्तु उक्त सामाजिक कार्यकर्त्ता का मत था कि मौरवी के बैंक नोटों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पा सके थे।

उसी स्थान से फिर से ऐसे नोटों का मिलना रहस्य की बात है। सरकार को इस बारे में प्रकाश डालना चाहिये। आचार्य कृपलानी ने भी जुलाई 1971 में यह आरोप लगाया था कि सैंकड़ों करोड़ों रुपयों के जाली नम्बरों के नकली नोट देश में चलाए गए हैं। उनका मत है कि देश में असली नोटों के बराबर मूल्य के नकली नोट भी चल रहे हैं। इस आरोप को हंसी में नहीं टाला जा सकता।

सरकार ने कई स्थानों पर नकली नोट छापने के प्रैसों व टकसालों आदि का पता लगा था। 1961 में 'स्टेट्समैन' में छपा था कि लाहौर में नकली भारतीय नोट छापने के एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगाया गया है। इसी प्रकार चीन से भी नकली नोट छापने की खबरें मिली थी।

पुराने और कटे-फटे नोटों के संबंध में भी बहुत कुछ कहा गया है। तथापि मंत्री महोदय ने कहा कि पुराने व कटे-फटे नोटों के नष्ट करने की प्रक्रिया दोष रहित है।

सरकार को जाली करैंसी की समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक विस्तृति विवरण देना चाहिये।

(दो) एक मृत पुलिस इन्सपेक्टर को राष्ट्रपति पुरस्कार दिये जाने के सरकार के कथित निर्णय का औचित्य

SHRI JAMBUWANT DHOTE (Nagpur) : During the Vidarbha Agitation there was firing at Tumsar during May 1973. As a result thereof 3 children were killed and 7 persons were wounded. When the agitated crowd saw two dead bodies it became more agitated and it killed a police sub-inspector. In that connection 103 people were arrested under Sec. 302, 120(B) of I.P.C. One of the arrested person died in the jail. The matter is sub-judice. The police sub-inspector killed by the infriated crowd is being given posthumous award by the President on the 15th August. This is not fair. In these circumstances free justice cannot be expected in the matter under sub-judice. It would influence the judicial decision. I had met the President and he has assured that the matter would be considered. In order to cover up its mis-deeds the Maharashtra Government has recommended the award to him. In the interest of justice it is necessary that this award is not granted.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : This is a very important matter. The Ministry of Home Affairs should consider over this matter.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : जब नियम 377 के अधीन मामले उठाये जा रहे थे तो मैंने भी एक सूचना आपको भेंजी थी। वास्तव में मरा वायुयान आज सुबह देरी से यहां पहुचा इस कारण मैं 10 बजे से पूर्व आपको सूचना नहीं भेज सका। मामले की गम्भीरता को देखते हुए मुझे उसे उठाने की अनुमति दी जाये।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I had raised the matter of victimisation in A.G.'s office. The Finance Minister should be asked to give statement.

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पिछली बार उठाया गया था क्या मंत्री महोदय कोई वक्तव्य देंगे ?

SHRI JANESHWAR MISRA (Allahabad) : Sir, I had raised the matter about Delhi University. The Vice-Chancellor has forbidden the entry of one student to the University. This dictatorial attitude cannot be allowed.

MR. SPEAKER : Elections are being held there under University Act. How can that matter be raised here ?

वित (संख्या 2) विधेयक 1974

FINANCE (No. 2) BILL, 1974

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक क्या आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् बोलना पसन्द करेंगे ?

श्री बी० वी० नायक (केनरा) : जी, हां।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Half-past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 34 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Thirty-four minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*

वित (संख्या 2) विधेयक, 1974

FINANCE (No. 2) BILL, 1974

श्री बी० वी० नायक (केनरा) : मैं अनुभव करता हूं कि हम देश की आर्थिक स्थिति का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर कर रहे हैं। ऐसा करने का कारण राजनैतिक है। यह सोचना कोरी कल्पना है कि आर्थिक संकट के कारण देश का नाश होने वाला है। विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जो हमारे देश के संकट से गम्भीर संकट में से गुजर चुके हैं। पहले तथा दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् जर्मनी और दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् जापान की अर्थ व्यवस्था पूर्णतया नष्ट हो गई। परन्तु आज वे देश राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से विश्व के बहुत ही सुदृढ़ राष्ट्र हैं। उन देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। कुछ सदस्यों ने चीन के साथ तुलना की। परन्तु वास्तव में यह तुलना उचित नहीं है। एक स्वतन्त्र समाज की तुलना एकदलीय शासन वाले देश से नहीं की जा सकती। वास्तव में विश्व के इतिहास में किसी समय भी ऐसा कोई देश नहीं हुआ जो आर्थिक संकट के कारण नष्ट हुआ हो परन्तु यदि देश राष्ट्रीय चरित्र व आत्म विश्वास खो बैठा व देश में यदि अधिकार का संकट हो तब ऐसे समय में देश नष्ट हो सकता है। वास्तव में सारा विपक्ष इस प्रकार के संकट उत्पन्न करने के प्रयासों में संलग्न है। परन्तु इतिहास उन्हें इसके लिए माफ नहीं करेगा। अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए उन्हें सरकार के क्रियात्मक कार्यक्रम में सहयोग देना चाहिये।

हमें देश में दोषमुक्त वितरण प्रणाली बनानी चाहिये जिससे जनसाधारण को खाद्य और कपड़े जैसी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकें। जब गेहूं के थोक व्यापार का सरकारीकरण किया गया और उसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए तो हमने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया। यह सुझाव किसी प्रकार के भय के अन्तर्गत नहीं दिया गया था। यदि धन की सप्लाई और सामान की सप्लाई के कारण बाजार में कोई अनिश्चित स्थिति उत्पन्न हो तो उस पर नियन्त्रण लाने के दो उपाय हैं। सामान की सप्लाई पर नियन्त्रण अथवा धन की सप्लाई पर नियन्त्रण।

जब हमने देखा कि जन साधारण के उपयोग के सामान की सप्लाई उचित नियंत्रित ढंग से नहीं हो रही तो हमने वैकल्पिक उपाय के रूप में सुझाव दिया कि धन पर नियन्त्रण के रूप में विमुद्रीकरण किया जाये।

इन परिस्थितियों में हमें सबसे पहले बाजार में सप्लाई की पर्याप्तता की स्थिति लानी है। देश के सामने जो आज मुद्रा-स्फीति की एक गम्भीर समस्या है और जिस पर नियन्त्रण पाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है उस की प्राप्ति के लिए पर्याप्त कदम उटाये जाने चाहिएं। उस दिशा में हमें सबसे पहले औद्योगिक रियायतों संबंधी स्थिति का पुनरीक्षण करना चाहिये। देश के एक राज्य में कागज कारखानों के 55 रु० टन की दर से बांस दिया जा रहा है और एक अन्य राज्य में 3 रु० टन की दर से। दूसरा उपाय है सरकारी क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाना। हमारे इस्पात सयंत्र निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर काम कर रहे हैं। इस स्थिति का कारण यह है कि हमने सरकारी क्षेत्र को इस सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया है। देश के सामान्य बजट के साथ प्रत्येक सरकारी उपक्रम का बजट भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये। उस अवसर पर विचार हो सकता है कि हमारा उत्पादन क्या होगा, लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या बाधाएं हैं, आदि आदि।

गैर सरकारी क्षेत्र को बिजली, पानी, भूमि आदि सुविधाओं के बारे में अनेक रियायतें प्राप्त हैं उनके बारे में पूरी जांच की जाये। इन सुविधाओं के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पर्याप्त लाभ कमाया जा रहा है और यह क्षेत्र लागत को समान आधार पर बनाए रखने के सक्षम है।

कई देशों ने अपनी अर्थ व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बचतों पर अधिक लाभ दिये। उन्होंने बचतों पर लाभ की दर को मूल्य सूचकांक के साथ सम्बद्ध किया। हमें भी अपने देश में यह ढंग अपनाने के सम्बन्ध में एक अध्ययन करना चाहिये जिससे कि किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता हो सके।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : यह विधेयक सांविधिक इतिहास में अभूतपूर्व है। इसकी एक अन्य असामान्यता यह भी है कि अनुपूरक कराधान प्रस्ताव होने के बावजूद इसमें फरवरी के मूल बजट की अपेक्षा अधिक करों का प्रस्ताव है। फरवरी के बजट में 212 करोड़ रुपये के कर लगाए गए थे जबकि इसमें 232 करोड़ के नए करों के प्रस्ताव हैं। इसका औचित्य बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि देश इस समय बहुत कठिन आर्थिक व वित्तीय स्थिति में है। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा-स्फीति के कुछ कारण बताए हैं जिनमें से अधिकतर कारण सरकार की नीतियों के फलस्वरूप हैं। सरकार इसके उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती। सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप 1973-74 के बजट में भी 85 करोड़ रुपये के अनुमानों से घाटा 650 करोड़ तक बढ़ गया है। यदि कोई लोकतन्त्रीय देश होता तो अब तक सरकार पदच्युत हो गई होती। बजट का घाटा 85 करोड़ से बढ़ कर 650 करोड़ हो गया है, फिर भी सरकार कह रही है कि इस स्थिति का कारण कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट है। इसका वास्तविक कारण यह है कि सरकार ने हाल में लगभग सभी वस्तुओं के मूल्यों वृद्धि की अनुमति दी है। सरकार मूल्य-वृद्धि का दोष जमाखोरों पर डाल रही है। परन्तु सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की?

सरकार ने कार्यवाही करने के स्थान पर जनता को जमाखोरों का सामाजिक बहिष्कार करने को कहा। मंत्रियों के दौरों और सुरक्षा आदि पर हो रहे व्यय को देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि सरकारी खर्चे को कम किया जायेगा। एक ओर उत्पादन दर शून्य के बराबर है और दूसरी ओर मुद्रा-प्रसार बढ़ता जा रहा है इन स्थितियों में यह विधेयक भारत की जनता को सजा है। एक ओर वित्त मंत्री का कथन है कि वित्त विधेयक का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करना है परन्तु दूसरी ओर उन्होंने अपने भाषण में मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण के संबंध में निश्चित आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा है कि बजट के घाटे को बढ़ने न देने के लिए सरकार द्वारा सभी संभव उपाय किये जायेंगे। परन्तु सरकार के पिछले कार्यकरण को देखते हुए यह आश्वासन व्यर्थ सा लगता है। सरकार बजट के घाटे को 725 करोड़ रुपये के स्तर तक नहीं रोक पायेगी। इस दृष्टि से कराधान प्रस्ताव पर विचार करें तो प्रश्न यह उठता है कि क्या अप्रत्यक्ष कराधान द्वारा मूल्य वृद्धि कम होगी ।

बैंक दर में वृद्धि और बैंकों पर कर से पूंजी और महंगी होगी । इसका जो बोझ निर्माताओं पर पड़ेगा वे उसे सीधे उपभोक्ताओं के कन्धों पर डाल देंगें। इससे स्पष्ट है कि अन्ततोगत्वा इसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। इससे मुद्रा स्फीति में और वृद्धि होगी।

टायरों, कागज, सीमेंन्ट, लोहे और इस्पात व जस्ते पर लगाये गये अप्रत्यक्ष करों से अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि होगी। कागज का मूल्य बढ़ने से पुस्तकों का उत्पादन प्रभावित होगा। सिगरेट, प्लास्टिक के सामान, सूती कपड़े के उपभोक्ताओं पर भी इन नये करों का प्रभाव पड़ेगा। अतः अब लगाये गये अप्रत्यक्ष करों से मूल्य गिरने के स्थान पर बढ़ेंगे ।

SHRI D. N. TIWARI (Gopalganj) : Two Finance Bills have been presented this year. The aim of the First Bill was to restrain the growth of Government expenditure while the Second Finance Bill aims at controlling inflation. It has to be seen whether the First Finance Bill fulfilled its objective. But no details have been provided in this regard and hence it is not possible to know the extent to which Government expenditure was controlled. In the circumstances it is not possible to say whether it would be possible to control inflation or not with the help of Second Finance Bill. Additional taxes with Rs. 210 crores have been imposed. With this amount it would be possible to fill in the budgetary deficit to a certain extent. But it cannot be said that it would succeed in controlling inflation. Because the inflationary trend in the country is due to black money. Black money has assumed the shape of parallel economy in the country. Unless black money is curbed and checked it is not possible to control this inflationary trend. The Government must take some effective steps in this regard. People should be allowed to invest their money in buildings by giving them certain exemptions.

Members of the opposition have alleged that this Bill has imposed taxes on poorer people. I feel that except the tax on medium cloth there is no tax which effects middle class. If this tax is withdrawn it would provide relief to middle class. Paper has also been touched. There is shortage of paper in the country. The Government should have excluded ordinary paper used by students in excercise books and taxed only the fine paper. Government should re-consider this suggestion.

It is good that bank rate has been enhanced. But small deposits would not be benefitted by this. The value of money is decreasing. In the circumstances small depositors are not finding it profitable to same. They are losing their interest in savings. Some steps should be taken to see that the value of their money is maintained.

Deficit financing, less production and unproductive expenditure is leading to inflationary trends in the country. Unless these are controlled it may not be possible to control inflation. Government has issued certain ordinances but those are also going to be ineffective in controlling inflation, though deficit financing may be checked. In order to control inflation it is necessary to control black-money through effective measures.

SHRI MADHU LIMAYE (Banka) : These budget proposals have been brought forward with a view to contain inflation and checking price rise. Excise duty has been imposed for the first time on caprolectum and D.M.T. But in order to give benefit to big Industrial houses rates of duty have been kept low so that these items would be available to them on half the imported price. This is a clear case of political corruption.

Government expects to keep an amount of about Rs. 400 crores out of circulation and for this purpose a few ordinances have been issued. But it has to be seen whether these measures would help in increasing agricultural and industrial production. Short fall of production in both these fields results in increase prices of these products. Hence these Ordinances would not help in controlling inflation and checking price-rise. It is very sad that Government does not have any programmes to increase production.

Government had promised to effect economy in its expenditure. But Government's policy appears contrary to this. Past experience shows that Governmental expenditure has been increasing tremendously. Huge sums of money are being spent on non-developmental works. The result is that our economy is not in a position to bear this burden. I would request that President and Prime Minister should present examples in this regard and effect economy in their expenditure.

The Government has failed to take effective measures to check black money, smuggling, boot-legging and such other anti-social items. Measures like de-monetisations should be adopted. It would bring out the hidden black-money. The country is losing every year foreign exchange worth about Rs. 1500 crores. On account of smuggling. Smugglers are receiving political patronage (*Interruptions*). But it is strange that Government has not used M.I.S.A. and Defence of India Rules against smugglers, whereas there are promptly applied on alleged Naxalities, Railway workers, etc. These anti-social and anti-national activities can be checked only through effective and stern actions.

Indian Tobacco Company, which is Indian in name only, is engaged in activities which go against the interests of this Government as well as Indian people. A conspiracy has been hatched to deprive the Government of excise duty to the tune of Rs. 3 crores. Such activities of the company have been brought before the Government many a times but it has not taken any action against it.

Certain big business houses are involved in a racket whereby plain Scotch Whisky is imported in the name of concentrate whisky. This is done in the name of import entitlements and bonus entitlements. Government lacks political will hence it has failed to take any action in this regard.

An *ex-gracia* payment of Rs. 70 lakhs had been made to M/s Balmer Lawrry under pressure from the Ministry of Petroleum and Chemicals. A probe should be ordered in this regards. Ministers-politicians, Bureaucrats and businessmen constitute the basis for a triangular corruption in the country. The Minister as suggested by Shri Jaiprakash Narain should be purified first to pave the way for the purification of bureaucracy and business community (*Interruptions*).

The ownership of National Rayon Corporation has been transferred to Kapadias in a recent contest for ownership of the above corporation in which the nominees of Unit Trust of India were defeated. The Government helped Kapadias in obtaining the ownership as this corporation against public interests.

सदस्यों की गिरफ्तारी

Arrest of Members

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को अध्यक्ष के नाम पुलिस अधीक्षक, भोपाल, से प्राप्त दिनांक 12 अगस्त, 1974 के निम्नलिखित तार के बारे में सूचित करता हूं :

"सर्वश्री नरेन्द्र सिंह, हूकमचन्द कछवाय, भारतसिंह चौहान, आर० वी० बड़े और डा० लक्ष्मीनारायण पांडे, सदस्य, लोक सभा को पुलिस अधीक्षक, भोपाल द्वारा पास किये गये व्यवस्थापकीय आदेशों का उल्लंघन करके मध्य प्रदेश विधान-सभा के सामने प्रदर्शन करने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और पुलिस अधिनियम की धारा 32 के अधीन 12 अगस्त, 1974 को 16.30 बजे भोपाल में गिरफ्तार किया गया है"

वित्त संख्या 2 विधेयक 1974--जारी

श्री वसंत साठे (अकोला) : इस वित्त विधेयक के लाने के लिये मैं वित्त मंत्री को बधायी देता हूं। विधेयक का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वित्त मंत्री ने अतिरिक्त साधन जुटाने के अपने प्रयासों में केवल विलासिता के क्षेत्र में ही कर लगाने का प्रयत्न किया है, आवयश्यक वस्तुओं पर नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस प्रकार के कराधान से मुद्रा का परिचालन कम कर सकेगी ? यदि ऐसा होता तो इससे मुद्रास्फीति विरोधी प्रभाव अवश्य होता। केवल वित्तीय उपायों से मूल्य वृद्धि कम नहीं होगी। यह केवल मूल्य ढांचे की वितरण प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण करने से ही हो सकता है। राष्ट्रीयकरण से समस्या हल नहीं हुई क्योंकि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयकरण का अर्थ लगाया गया है नौकरशाही, पूंजीवाद। अत: वर्तमान उत्पादक तथा वित्तरक क्षेत्रों पर नियंत्रण लगाने में ही इसका समाधान है।

उत्पादन के सम्बन्ध में हमारे देश के कार्मिक वर्ग के अपनत्व की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से ही कदम उठाना होगा। जहां कहीं ऐसा कदम उठाया गया है वहां बहुत सुधार हुआ है। हमें गैर सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में दुकान से लेकर प्रबन्धक स्तर तक कार्मिक वर्ग को उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से वहां के प्रबन्ध में हिस्सा देना चाहिये। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य उपाय भूमि सुधार करना है। हमें उर्वरकों, बीज, पानी तथा अन्य वस्तुओं के रूप में उत्पादनों की व्यवस्था करनी चाहिये। सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने से हम मुद्रास्फीती के प्रभाव के रोक सकेंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : दूसरा वित्त विधेयक, गम्भीर आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिये अच्छा प्रयास है। इसे संकटमय बजट की संज्ञा दी गई है लेकिन इसमें संकट का मोल भी नहीं है। इससे मुख्य समस्या पर प्रभाव ही नहीं पड़ा है। इस महान चुनौती का सामना करने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है।

सरकार ने संसद के अधिवेशन की प्रतीक्षा किये बिना ही अध्यदेश जारी किये हैं जिसके फलस्वरूप देश के अंदर एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई कि इस बजट में क्या आ रहा है। लेकिन कर प्रस्तावों के आने पर कुछ नहीं हुआ।

[**श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुए**
SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the chair*]

प्रस्तावों के आने पर लोगों की आशायें चूर चूर हो गयीं। वित्त मंत्री ने एक ऐसा अच्छा अवसर खोया जब वे एक जबरदस्त चोट करके अध्यादेशों द्वारा उत्पन्न लोगों की आशायें पूरी कर सकते थे। जो कुछ सामने आया वह केवल जैसे तैसे 232 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास था। कई बार कहा गया है कि इन कर प्रस्तावों से सामान्य व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सब करों का बोझ निर्धन वर्ग के समुदाय को नहीं उठाना पड़ेगा। मगर उद्योगपतियों और अन्य क्षेत्रों पर लगकर निर्धन व्यक्ति पर ही लगेंगे क्योंकि कर प्रस्तावों को पेश करने से मूल्य कम नहीं हुए हैं बल्कि प्रत्येक वस्तु के मूल्य बढ़े हैं और मूल्य वृद्धि का यह क्रम जारी है।

कर प्रस्तावों में विलासिता की वस्तुओं के बारे कोई भी जिक्र नहीं है। उपरि वर्ग द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली विलासिता की वस्तुओं पर इन्होंने कोई भी कर नहीं लगाया है।

बजट में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके अन्तर्गत शराब और स्प्रिट पर कर लगाया जाये। सरकार हर बार केवल सिगरेटों पर ही कर लगाती है। मैं जानता चाहता हूं कि इन वस्तुओं पर कर न लगाये जाने के क्या कारण हैं ? अत: इन नये कर प्रस्तावों से निर्धन व्यक्तियों, मध्यम वर्ग और वेतन भोगी व्यक्तियों पर ही कुठाराघात होगा।

फिजूल खर्ची पर भी सरकार ने कोई रोक नहीं लगायी है। इस सम्बन्ध में कोई बचत नहीं की गई है। यदि सरकार इस समस्या को हल करना चाहती है, यदि सरकार चाहती है कि लोग सरकार की कार्यवाही में विश्वास करें तो उसे उदाहरण निर्दिष्ट करना होगा। किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है।

व्यापारियों के मकानों पर छापे मार कर काले धन का पता लगाने के प्रयास भी किये गये हैं। सरकारी, राजनीतिक और अनुसचिवीय क्षेत्रों तथा ऐसे अधिकारियों पर कितने छापे डाले गये हैं? यदि सरकार वास्तव में काले धन की समस्या का हल करना चाहती है तो उन लोगों का पता लगाया जाना चाहिये जिनके पास काला धन है।

क्या ऋण कम देने की नीति का कोई अच्छा परिणाम निकला है? क्या इससे वह समस्या हल हुई है जिसे हल करने का यहां उद्देश्य है? वास्तविकता तो यह है कि इस नीति के कारण अधिकाधिक संख्या में उद्योग बंद हुए हैं जिसके फलस्वरूप अधिक बेरोजगारी बढ़ी है। तथा उत्पादन कम हुआ है हम इन बातों को ऐसे समय पर जबकि देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, सहन नहीं कर सकते।

प्रश्न यह है कि क्या सरकार काले धन तथा भ्रष्टाचार के उन्मूलन के प्रति दृढ़ है? आज भ्रष्टाचार के कारण हमारी सभी परमम्परायें, हमारा स्तर, हमारा जीवन समाप्त हुए जा रहा है। यदि सरकार लोगों को इस भ्रष्टाचार से दूर नहीं रखेगी तो पता नहीं यह हमें कैसी स्थिति में पहुंचा दे। मुझे आशा है कि सरकार अर्थिक तथा वित्तीय समस्याओं का सामना करने के लिये कठोर तथा साहसिक कदम उठायेगी ताकि देश इस संकट के जाल से निकल सके।

SHRIMATI SAVITRI SHYAM (Aonla) : Our country is, no doubt, passing through an unprecedented crisis. At the sametime we should realise the outstanding achievements made in the various fields by our country since independence.

A state of lawlessness is prevailing through out the country. The black money is doing maximum harm to the country. The Government should findout the sources of black money and take all possible measures to eradicate this evil. If necessary, a high powered commission should be appointed to tackle this problem.

This Finance Bill has been brought forward in the interest of the country. We want more resources for being invested in the core sector so that our production increases. The Government also want to control deficit financing for which financial discipline is also necessary.

Agricultural production in our country is not increasing in proportion to our population increase. Family Planning programme should be included in the core sector and implemented more effectively. Government should adopt drastic measures to check the rise in population. This programme has left an adverse effect on the poor section of the society (*Interruptions*).

The items of daily use like controlled cloth, vanaspati etc. are not available to the common people as a result of which they are suffering. The Government should take steps to provide essential goods to the people.

Also there is great need for economy in administrative expenditure. Unnecessary administrative expenditure should be cut down drastically. There is scope for economy in the office of the Planning Commission. You can not expect sacrifices from the common people unless you sacrifices your life of pomp and show as an ideal.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सभापति महोदय, जब तक वित्त मंत्री और वित्त मन्त्रालय यह नहीं बतायेंगे कि के इस धन का किस प्रकार उपयोग करेंगे, तब तक मैं इस विधेयक का कतई समर्थन नहीं कर सकता। सम्भवत: वे इस धन का उसी प्रकार दुरुपयोग करेंगे, जिस प्रकार अभी तक वे करते रहे हैं।

मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये भाषण से यह पता चलता है कि वे मुद्रा-स्फीति को रोकना चाहते हैं। सारी समस्या तो इस बात की है कि उन्हें पता ही नहीं कि मुद्रा-स्फीति को किस प्रकार रोका जाये। जब तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी, तब तक बजटों और अध्यादेशों से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। सरकार ने कीमतें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है। सरकार बराबर मद बढ़ाती गई है, परन्तु उससे समस्या हल नहीं हुई। कीमतें फिर भी बराबर बढ़ती जा रही हैं।

सरकार चोर बाजार और काले धन की चर्चा करती है, परन्तु सरकार को पता ही नहीं कि काला धन होता क्या है? इन्होंने सफेद धन देखा ही नहीं। जो कुछ ये कमाते हैं, उसे बिजली और पानी पर भी खर्च नहीं करते।

अगर सरकार यह समझती है कि काले धन को अलमारियों में बन्द करके रखा जाता है, तो वह गलती पर है, क्योंकि अगर 10,000 रुपये जमा करके रखे जाते हैं, तो एक महीने बाद ही उसकी कीमत 9,000 रुपये रह जाती है। इसे पहले ही काली सम्पत्ति अर्थात् स्वर्ण, हीरे, जवाहारात, सम्पत्ति आदि में बदल दिया जाता है। बाजार में द्रवशीलता है, अन्यथा देश का सारा काम ठप्प हो गया होता। राष्ट्रीयकरण के बाद कोई भी बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति चैक लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि चैक का पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अब सरकार ने शानदार अध्यादेश जारी किये हैं—एक अध्यादेश के अनुसार पचास प्रतिशत महंगाई भत्ते को जमा कर दिया जायगा—पहले वर्ष 450 करोड़ रु० जमा होगा और दूसरे वर्ष 650 करोड़ रु० जमा होंगे। दो वर्ष बाद यह रकम 300 करोड़ रु० ब्याज के साथ वापस लौटानी होगी। इस प्रकार 1400 करोड़ रु० की राशि का भुगतान करना होगा। 50 रु० वेतन पाने वाले चपरासी को उसके महंगाई भत्ते से वंचित करके सरकार को क्या लाभ होगा? अनिवार्य जमा योजना से दो वर्ष में 150 करोड़ रुपये की धन राशि जमा होगी। लाभांश की राशि जमा करने से दो साल में 150 करोड़ रुपये जमा होंगे। लाभांश की राशि में कटौती होने से वास्तविक निवेशकर्ता अर्थात् विधवा, निर्धन, सेवा निवृत्त व्यक्तियों को परेशानी होगी। शेयर बाजार में भारी मन्दी आ गई और बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अधिकांश शेयरों पर कब्जा कर लिया। जो निर्धन व्यक्ति शेयरों की आमदनी से जीवन निर्वाह कर रहे थे, उनकी आय आधी से भी कम रह जायगी और जीवन-निर्वाह व्यय को चलाने के लिए उन लोगों को अपने शेयर बहुत ही कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

इन अध्यादेशों से खाद्य-उत्पादन अथवा औद्योगिक उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी नहीं होगी और काले धन का भी पता नहीं लग सकेगा। अब लोग नई कम्पनियों के शेयर खरीद कर उनमें पूंजी विनियोजन नहीं करेंगे। पूंजी सप्लाई की मात्रा में कमी होने से बेरोजगारी की समस्या और भयावह बन जायेगी। दो साल बाद महंगाई भत्ते, लाभांश की राशि आदि की 1800 करोड़ रुपये की जमा राशि का भुगतान करने से इतनी मात्रा में मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

पिछले 15 वर्षों से हम बराबर यह कहते रहे हैं कि प्राथमिकताओं का निर्धारण ठीक प्रकार से नहीं किया गया है। संसाधनों का दुरुपयोग किया गया है। उद्योगों में ज्यादा पूंजी-निवेश

किया गया है, जबकि कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। 1956 के बाद से सरकार ने गलत नीति का अनुसरण किया। आज उसी समाजवाद के फल प्राप्त हो रहे हैं।

पिछले बीस वर्षों से भारतीय उद्योग का 12 प्रतिशत की दर से लगातार विकास होता रहा है। सिर्फ पिछले दो वर्ष से स्थिति में स्थिरता आ गई है, जबकि बिजली और कच्चे माल का अभाव रहा। भारतीय कृषि के विकास के लिए क्या किया गया? जब तक सिंचाई साधनों और सड़कों के रूप में मूलभूत ढांचे को तैयार नहीं किया जायगा और खेती को लाभप्रद नहीं बनाया जायगा, तब तक सारी योजनायें और 'गरीबी हटाओ' का नारा महज एक धोखा है। जब तक उद्योग की तुलना में कृषि को प्राथमिकता नहीं दी जायगी और कृषि उपकरण उपलब्ध नहीं किये जायेंगे, स्थिति बदतर होती जायगी।

अगर इस देश की समस्याओं का समाधान करना है, तो वित्त मन्त्री को पांच बातों पर ध्यान देना होगा। पहले, सरकारी क्षेत्र के कारखानों को काम करने दो। दूसरे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों में भारी कमी होनी चाहिए। आयकर की छूट सीमा को बढ़ाकर 15,000रु० तक कर देना चाहिए। तीसरे, सभी प्रकार की वित्तीय गैर-जिम्मेदारियों को समाप्त किया जाना चाहिए। चौथे, प्रशासनिक व्यय में कटौती की जानी चाहिए। प्रत्येक मन्त्रालय के बजट में 20 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। अन्तिम बात यह है कि अर्थ व्यवस्था में लाइसेन्स प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय। 20 लाख व्यक्तियों को केवल लाइसेंस देने के लिए और लोगों से "मना" कहने के लिए रखा हुआ है। उनसे सरकार को मुक्ति मिलेगी। इसके बाद विदेशी मुद्रा नियन्त्रण को समाप्त किया जाय। रुपये को अपना मूल्य स्वयं निर्धारित करने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए।

अन्त में मुझे यह कहना है कि जो भी संसाधन सरकार के पास हैं, उनका कृषि, सड़क रेलवे, वन संरक्षण, लघु सिंचाई आदि में निवेश किया जाना चाहिए। उद्योग की अपेक्षा कृषि को प्राथमिकता देने से ही देश को विनाश से बचाया जा सकता है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व के उन देशों में से एक है जहां मुद्रा स्फीति सबसे अधिक है। दिसम्बर, 1973 के अन्त तक भारत में मुद्रा-स्फीति 24 प्रतिशत की दर से हुई। वित्त मन्त्री ने मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए नये कर लगाए हैं। छः सर्वोच्च अर्थ शास्त्रियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मुद्रा-स्फाति के अनेक कारण हैं, परन्तु प्रमुख कारण कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में स्थिरता आना है। श्री पीलू मोदी ने पिछले बीस साल के दौरान देश में औद्योगिक विकास की बात कही। मैं उन्हें इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि समान्तर अर्थ-व्यवस्था, कर अपवंचन और चोर-बाजारी का आधार भी इसी अवधि के दौरान रखा गया। सर्वोच्च अर्थशास्त्री भी इस बात पर सहमत हैं कि धन जमा करना सही दिशा में एक सही कदम है। अब 50 सबसे बड़े बैंक खातों की समीक्षा की जा रही है। मैं यह चाहता हूं कि उन सभी बैंक खातों की समीक्षा की जाय, जिनमें एक लाख से अधिक धनराशि जमा है, चाहे उनकी संख्या 1000 या 2000 हो।

कर प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं का मैंने अध्ययन किया है। कागज के ऊपर कर मेरी समझ में नहीं आता। वित्त विधेयक पेश होने के बाद, मैंने मन्त्रालय को यह जानने के लिए टेलीफोन किया कि कागज की किन किन किस्मों पर कर लगाया गया है, परन्तु मन्त्रालय के अधिकारी यह बताने में असमर्थ रहे। अभ्यास पुस्तिकाओं के बनाने में विभिन्न किस्मों का कागज प्रयुक्त होता है। इस देश में, जहां निरक्षरता की प्रतिशतता काफी कम है, अभ्यास पुस्तिकाओं की कीमत बहुत ज्यादा है। बच्चों को अभ्यास पुस्तिकायें और पाठ्यपुस्तकें मिलने में कठिनाई हो रही है।

सीमेन्ट पर कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। कर लगाने से सीमेंट की कमी या उसकी ऊंची कीमतों की समस्या हल होने वाली नहीं है। सीमेन्ट के उत्पादन में वृद्धि करने से ही समस्या का समाधान हो सकता है।

वित्त मन्त्री से मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्यम स्तर के उद्योगों और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए समेकित योजना बनाई जानी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश के विलासपुर क्षेत्र में 1050 लाख टन 'राक स्टोन' है, जिससे बढ़िया किस्म के सीमेंन्ट का उत्पादन किया जा सकता है, परन्तु वहां सीमेन्ट फैक्ट्रयां स्थापित करने की ओर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। मैं वित्त मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि शराब पर उन्होंने कर क्यों नहीं लगाया है। जो लोग नशे में रहना चाहते हैं और उनमें अदायगी की क्षमता है, उन्हें अधिक कर देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक तन्त्र होना चाहिए। जहां प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और उद्योगों की स्थापना हो रही है, वहां मूलभूत ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। जहां खनिज सम्पदा उपलब्ध है, उन स्थानों को रेल मार्गों से जोड़ा जाना चाहिए। मैं योजना आयोग के इस सुझाव से कतई सहमत नहीं हो सकता कि नई रेल लाइनों के निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि की राशि में कमी कर दी जानी चाहिए। विकास कार्यों पर खर्च से रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि होती है।

70-80% जनता कृषि पर आधारित है और भारत की कुल आय में से 45% आय कृषि से प्राप्त होती है। अन्तराज्यीय विवादों के कारण परियोजनाओं का निर्माण कार्य रुक जाता है। ऐसी सभी परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और उन पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी समुद्र में बेकार जा रहा है और फसलें सूख रही हैं। 60 प्रतिशत भारतीय किसान वर्षा पर निर्भर ह और लघु सिंचाई परियोजनाओं से उन्हें काफी लाभ हो सकता है।

बिजली की कमी की चर्चा की गई है। बिजली की कमी के कारण अनेक परियोजनाओं पूरी नहीं हो सकी हैं। बिजली की चोरी की जाती है और मीटर में गलत आंकड़े दिखाये जाते हैं, परन्तु नंगल उर्वरक कारखाने को बिजली सप्लाई नहीं की जाती। दो दिन के लिए बिजली बन्द करने के केन्द्र से आदेश दिये जाते हैं। क्या इस बारे में विशेषज्ञों से राय ली गई है? बन्द कारखाने को दुबारा चालू करने में चार दिन लग जाते हैं।

उर्वरकों के बारे में सरकार को राजसहायता देनी चाहिए। जम्मू तथा कश्मीर में 500 रु० से कम आय वालों को चावल 44 पै० प्रति किलो और 500 रु० से अधिक आय वालों को 88 पै० प्रति किलो की दर से उपलब्ध किया जाता है। अगर भारत के अन्य प्रदेशों में खाद्यान्न पर राजसहायता नहीं दी जा सकती, तो उर्वरकों के बारे में तो राजसहायता दी ही जा सकती है, जिससे किसान अधिक मात्रा में चावल पैदा कर सकें।

प्राथमिकताओं और विभिन्न प्रकार की राजसहायता की प्रणाली बनाई जानी चाहिए। जब तक पिछड़े क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे के रूप में सड़कों और रेल लाइनों आदि का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक मुद्रा स्फीति रोकने में हम सफल नहीं होंगे।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। यह सच है कि पिछले चार-पांच महीनों के दौरान कीमतों में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। कम उत्पादन ही इसका एकमात्र कारण नहीं है। इसके अन्य कारण भी हैं, जिनका मैं बाद में उल्लेख करूंगा।

मैं वित्त मन्त्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी वस्तुओं पर कर लगाया है, जो आम आदमी से सम्बन्ध नहीं रखती। वित्त मंत्री ने इस बात का ध्यान रखा है कि जिन वस्तुओं पर बाजार में अत्यधिक लाभ कमाया जा रहा है, उन्हीं पर कर लगाया जाय।

[**श्री वसंत साठे पीठासीन हुए**
SHRI VASANT SATHE *in the chair*]

वित्त मंत्री ने विदेशी मुद्रा की बचत करने और आयात को कम करने तथा उपयोग में कमी करने की दृष्टि से कर लगायें हैं और आम आदमी पर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं ह। विरोधी पार्टियों ने कहा है कि इलाज बीमारी से अधिक खतरनाक है। परन्तु उन्होंने कोई समाधान नहीं सुझाया है।

मानसून के लगातार असफल होने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। बिजली के कम उत्पादन और सप्लाई के कारण औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट आई है। मुद्रा-स्फीति और घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा विकसित देशों द्वारा भी लिया गया है। न्यूयार्क स्थित फैडरल रिजर्व बैंक की वर्ष 1973 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में ही नहीं, बल्कि यूरोप और जापान में भी तेजी से वृद्धि हुई है। यह एक विश्वव्यापी समस्या है और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन हम इस बारे में उदासीन नहीं हैं। सरकार इस बारे में कार्यवाही कर रही है।

ऋण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, जिससे कोई भी सरकारी धन से सामान का संग्रह न कर सके। 50 बड़े बैंक खातों की समीक्षा की जा रही है। बढ़े हुए वेतन और भत्तों में से आधी राशि अनिवार्य रूप से जमा कराई जा रही है। कर्मचारी भी इससे अप्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि उन्हें दो या तीन साल बाद बढ़ी हुई राशि वापस मिलेगी। एक अन्य उपाय लाभांश में से राशि जमा करना और बैंक दर तथा ब्याज दर में वृद्धि है। ब्याज की दर बढ़ाये जाने के बारे में मेरा यह सुझाव है कि कर मुक्त ब्याज से प्राप्त आय की सीमा को 3000 रु० से बढ़ाया जाना चाहिए। पहले कोई भी व्यक्ति $7\frac{1}{2}\%$ की दर से ब्याज के लिए

40,000 रु० जमा करके 3,000 रु० का ब्याज प्राप्त कर सकता था, परन्तु अब 28,000 रु० जमा करके ही $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज दर से 3,000 रु० की आय प्राप्त कर सकेगा। अगर छूट की सीमा में वृद्धि नहीं की गई, तो जमाकर्ता अपनी राशि अन्यत्र जमा करेगा।

हमारे सभी बोम्बला अर्थशास्त्रियों ने यह सुझाव दिया है कि बैंकों में जमा राशि में से 30 प्रतिशत धन को स्थिर कर दिया जाय और 100 रु० के नोट की कीमत 30 प्रतिशत कम कर दी जाय। इन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा सप्लाई और जनता पर इसके प्रभाव का अध्ययन नहीं किया। अगर वे अपने विचार के बारे में गम्भीरता दिखाते, तो चुपचाप वित्त मंत्री को अपना सुझाव देते। उनके द्वारा इस प्रकार का प्रचार करने से लोगों के दिमाग में बैंकों के प्रति विश्वास कम हो गया है और हर कोई सामान खरीद कर रखना चाहता है।

वांचू समिति ने विमुद्रीकरण की एक सिफारिश की थी। सरकार ने उस पर सावधानी से विचार किया और उचित निर्णय लिया। बर्मा का अनभव हमारे सामने है। इसीलिए सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

मेरा सुझाव है कि जब कोई वक्तव्य दिया जाता है तो वक्ता को सार्वजनिक हितों का ध्यान रखना चाहिए। अभाव के युग में यह वक्तव्य भ्रामक है।

अंत में मेरा सुझाव है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दृढ़ बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करे। कम से कम केन्द्र, राज्य और औद्योगिक कर्मचारियों को लगभग छः महीने तक आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर देने का प्रबन्ध करे।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : वित्त मंत्री ने इस वर्ष में दूसरी बार 232 करोड़ रुपए के कर प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। सामान्यतः कराधान होने चाहिए तथा जनता को देश के विकास के हित में उन्हें स्वीकार करना चाहिए। परन्तु में इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह धन राष्ट्र के विकास कार्यों में खर्च नहीं होगा। पीछे इतना अधिक अपव्यय हुआ है कि अब यही लगता है कि इतना अधिक धन जो दूसरी बार लोगों को जेबों से निकाला जा रहा है उससे भ्रष्ट और अकुशल प्रशासन का समर्थन किया जायेगा।

बित्त मंत्री ने कहा है कि रेलवे के घाटे में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न की कमी के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जोकि अपर्याप्त है। वित्त मंत्री ने उस समय इस धन को पर्याप्त कैसे समझा? सैनिकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिये मूल बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

रेल बजट में घाटे में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि सरकार रेलवे के राजस्व की चोरी को रोके तो रेलवे में कुछ मुनाफा हो सकता है। यदि रेलवे में भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं किया गया। यदि सरकार सभी शिक्षित बेरोजगारों को बिना वेतन सेवा में रख ले तो वे प्रसन्नता से रेलवे को सेवा करेंगे और रेलवे में अवश्य ही लाभ होगा।

रहन सहन में मितव्ययता और सादगी की बात की जाती है। किन्तु यह पहले उच्च स्तर पर लाई जानी चाहिए।

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में कम से कम दो राजभवन हैं। उनकी देखभाल पर लगभग एक करोड़ रुपया व्यय होता

है। दिल्ली में हाल में हुई रेली में 5000 ट्रक और बसें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा अन्य भागों से लाई गईं।

श्री वयालर रवि : बिहार में जब श्री जय प्रकाश का जलूस चल रहा था तो 9 व्यक्ति मारे गये।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : सभी गैर-विकास खर्चे में भारी कमी की जानी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में आलसीपन आ गया है जो मुद्रा स्फीति का मुख्य कारण है। यह बात सही नहीं है। उद्योगपति ही उत्पादन में कमी कर अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। गत वर्षों में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कुछ कमी आयी है। उर्वरकों का उत्पादन अपनी प्रतिस्थापित क्षमता का केवल 45 प्रतिशत हो रहा है। इन्हीं कारणों से अभाव है और मूल्य भी बढ़ रहे हैं।

खेद की बात है कि कृषि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अन्तर बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति खपत घटकर 17 प्रतिशत रह गई है। निर्धनता बढ़ रही है। गत 10 वर्षों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आठ गुणा बेरोजगारी बढ़ी है। युवक-युवतियों को खेती कार्य पसंद नहीं हैं। कोई व्यक्ति खेती में धन नहीं लगाना चाहता और प्रत्येक वस्तु में अस्थिरता व्याप्त है। जब तक इस संबंध म उपचारात्मक कदम यदि तुरन्त नहीं उठाये जायेंगे तो वर्तमान स्थिति में सुधार की कोई आशा नहीं है।

SHRI R. S. PANDEY (Rajanandgaon) : While answering a question in United Nations Panditji stated that every person in this country was a problem. It means that even after independence we are not free from problems.

Plans for the economic uplift of the country are prepared by the Planning Commission. It is evident that planning has failed after first two plans. The population of the country has been rising at the rate of 2.5 or 2.7 per cent without any corresponding rise in resources. There is something wrong in our planning. Our country has two per cent of agricultural land of the world whereas its population is 18%.

It cannot be denied that black marketing and profiteering is rampart in the country. But the question to be considered is how to check it. Some method ought to be devised to unearth black money. It is necessary to increase agricultural and industrial production. Persons guilty of black marketing and adulteration should be severely punished.

In agricultural sector top priority be given to irrigation. The contribution of our agricultural sectors to the G.N.P. is about 17000 crores of rupees and therefore the planners should plough back in agriculture an amount appropriate to the contribution made by agriculture. And for that priority should be given to irrigation.

Black money should be unearthened.

SHRI M. RAMGOPAL REDDY (Nizamabad) : I fully support the second Finance Bill. The Finance Minister has discharged his responsibility in a befitting manner.

The taxes that have been levied by the Finance Minister put burden only on rich people who can very well bear it. Similarly the persons engaged in productive activities are not required to face any burden out of total of Rs. 11 thousand crores in circulation 1000 crores *i.e.* ten percent is being withdrawn from circulation.

Our agricultural production has been ever decreasing. It appears that the implementing officers' at State level are not doing their job properly.

In my constituency fertilisers worth Rs. 1½ crores are stocked, but there are so many disputes over it distributions that it is withheld. If fertilisers are distributed properly to the

farmers they could produce enough rice. The Agriculture Minister should ask the chief to arrange for the distribution of fertilisers within 10 days so that the labour of the farmers do not go waste.

It is regrettable that unproductive expenditure has been going up. In 1969 the wage Bill of Government was Rs. 2000 crores. But in 1973 it has gone up to Rs. 3000 crores. It is high time that this kind of expenditure is reduced.

Our population has been growing very fast. It increases every year by 13000000 which represents the total population of Japan. In order to check the growth of population the Government should strictly implement the Family Planning programmes. All advanced countries have controlled the population growth. In U.S.A. it is almost static. But in India it continues to grow. The Ministry should take effective steps in the matter.

SHRI RAM HEDAOO (Ramtek): I congratulate the Finance Minister for taking the courage of coming forward with heavy taxation proposals within 5 months. After 27 years of independence and having undergone five Five Year Plans what have we achieved for the country? The country is passing through an unprecedented economic crisis. Corruption is rampat in all the walks of life. Inflation and black money are expanding at a rapid pace. People are facing with various problems and the problems of shortages of essential commodities and unemployment.

This kind of situation has created a sense of great resentment on the minds of the people.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा बुद्धवार, 14 अगस्त, 1974/23श्रावण 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, August 14, 1974/Sravana 23, 1896 (Saka).

M 398LSS/74—G.I.P.F.